Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

बुधवार, दिनांक २९ मार्च, १९७२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-०० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

संदेश–राज्यपाल महोदय का धन्यवाद प्रस्ताव पर

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है:—

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका २८ मार्च, ७२ का पत्र क्रमांक-४७९१/नि० स०/प्रा० वि० स०/७२ का मिला। इस कृतज्ञता संदेश के लिए माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुँचाने का कष्ट करें।

(करतल ध्वनि)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

सर्वश्री केशरीमल और योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है, जिनमें पहले में ई० एस० आई० शफाखानों के प्रभारी अधिकारी द्वारा श्रमिकों को गलत दवाइयां देने और दूसरे में अजमेर जिले में बढ़ी लगान से उत्पन्न हुई स्थिति का उल्लेख किया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन, सदस्य विधान सभा ने बाड़मेर जिले के ३५० अकाल-ग्रस्त गांवों में राहत कार्य नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा की है।

सर्वश्री मीठालाल और मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा ने दौसा कस्बे से पीने के पानी की व्यवस्था न होने की स्थिति की चर्चा की है।

सर्वश्री गोवर्धनसिंह और केशरदेव, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें सीकर में दिनांक २३ मार्च, १९७२ को स्वतन्त्र पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर हुए हमले का उल्लेख किया है।

इन सभी स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

Page No 2

श्री केशरदेव एवं गोवर्धनसिंह : अध्यक्ष महोदय, दिनांक....

श्री अध्यक्ष : बैठिये ! आप आसन ग्रहण करिये !

श्री शंकरलाल, सदस्य, विधान सभा ने पाली तहसील के कई गांवों में पेय जल की समस्या से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि माननीय मुख्य-मन्त्रीजी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के पर हुई बहस के उत्तर मे सदन को सूचना दी है कि इस कार्य के लिए १० करोड़ रुपये की राशि निर्धारित कर दी गई है, अतः इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में मैं असमर्थ हूं।

सर्वश्री गोवर्धनसिंह और केशरदेव, सदस्य, विधान सभा ने जिला सीकर में २९ विभागीय राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, मेरी दृष्टि में यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक २५ मार्च, १९७२ को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी कि जिस पर जिला कोटा के बारां क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ के डाकू स्वर्णसिंह द्वारा कुछ व्यक्तियों का अपहरण करने की घटना का उल्लेख किया गया था। इस स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है और मैं चाहूंगा कि माननीय गृह-मन्त्री इस विषय पर कल दिनांक ३० मार्च, १९७२ को सदन में एक वक्तव्य दें।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जिनमें से एक में भारत-पाक युद्ध के दौरान कपास निगम द्वारा कपास की खरीद के बावजूद किसानों के पास का स्टॉक होने की चर्चा की गई है और दूसरे में जिला गंगानगर में हरिजन व भूमिहीन परिवारों को रिहायशी जमीन नहीं मिलने की स्थिति का उल्लेख किया गया है। इन दोनों विषयों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा ने गंगानगर में चीनी की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति की चर्चा करते हुए एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसकी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो जानकारी आई है वह सदन के अन्दर पेश की जाय।

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : जो मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर मन्त्री महोदय एक स्टेटमेन्ट देने वाले थे। आपने व्यवस्था दी थी कि....

श्री अध्यक्ष : केनाल वाला ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बावरियों की फसल के बारे में जो गोपीराम जाट और उसका गेंग लूट रहा है एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल आपने सवाई माधोपुर के काण्ड के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए सरकार से कहा था....

श्री अध्यक्ष : मैंने वक्तव्य देने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जानकारी आने पर कहूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल का पूरा दिन चला गया। आज वक्तव्य होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं हो सकता है। आज जवाब आये तो मुमकिन है कि कल हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : दौसा के पेय जल की समस्या के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस पर इन्फर्मेशन चाही गई थी और कहा गया था कि शीघ्र ही सरकार के वक्तव्य की व्यवस्था की जायगी। अब भीषण गर्मी प्रारम्भ होने वाली है और कोई पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९७१-७२ पर विचार एवं मतदान

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों की दोनों मांगों को एक साथ ही प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि दोनों मांगों को एक साथ रखने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०६ के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९७१-७२ के सम्बन्ध में जिन पर सदन में विचार किया जाता है, निम्नांकित नियमों का लागू होना निलम्बित कर दिया जाय:—

(१) नियम १४३--जिसमें मांगों को सदन में प्रस्तुत किये जाने का क्रम निश्चित करने का प्रावधान है, तथा

(२) नियम १४४ (३)–जिसके अन्तर्गत किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जिनके लिए कहा गया है उन नियमों को निलम्बित किया जाय ?

(स्वीकृत)

निलम्बित किये गये।

(विराम)

मांगों पर विचार के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की जानकारी के लिये कुछ सूचना देना चाहूंगा कि आज सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स हैं, अनुपूरक अनुदान की मांगें हैं इनके लिये समय विभाजन इस प्रकार से होगा कि साढ़े तीन बजे तक तो

Page No 4

(श्री अध्यक्ष)

इस पर वाद-विवाद रहेगा और साढ़े तीन बजे से सरकारी पक्ष के उत्तर होंगे । चार बजे मुखबन्द लगा दिया जायगा, और उसके बाद डिमाण्ड्स पास की जायेंगी, और उसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल रखा जायेगा और पारित किया जायेगा ।

इस पर भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स पर कट-मोशन्स वगैरह भी आये हैं तो किसी भी मांग पर बहुत थोड़ा-थोड़ा बोलें क्योंकि समय की तंगी है । इसलिये जनरली आमतौर पर आप लोग सभी बोलने चाहेंगे तो उनको समय दिया जायेगा । कुल समय ४ घन्टे का अपने पास रहेगा तो इसका विभाजन कर दिया जायेगा ।

दूसरी मैं यह जानकारी देना चाहता था कि माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स पर जिन मुद्दों पर सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स हैं उन्हीं तक अपना भाषण सीमित रखेंगे और-और मुद्दे नहीं लिये जायेंगे । यह आपकी जानकारी के लिये आपसे निवेदन कर रहा हूं ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक भूमि का सम्बन्ध है गंगानगर जिले में भाखरा नहरी क्षेत्र में भूमि का बंटवारा जो किया गया है वह उचित ढंग से नहीं किया गया है । भूमि ऐसे लोगों को दी गई है जो कि भूमि पाने के हकदार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह आप सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स पर बोल रहे हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : हां, जी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह सब यही मांग है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : भूमि ऐसे लोगों को दी गई है जो कि भूमि पाने के हकदार नहीं थे । कुछ लोगों ने दूसरे लोगों के नाम से भूमि एलॉट करवा ली है और बड़े-बड़े लोग उन भूमियों पर काबिज हैं । ऐसी हालत में मैंने कई दफा जो वहां पर एक कमेटी बनी हुई है हाई पॉवर कमेटी उसके अन्दर सुझाव रखे थे कि आप लोगों के आइडेन्टीफिकेशन कार्ड बनवा दीजिये कि किन लोगों ने भूमि एलॉट करवाई हुई है, मगर सरकार इसलिये टालती रही कि कुछ ऐसे लोग भूमि पर काबिज थे जो कि वहां के रहने वाले नहीं है, जो कि भूमि पाने के हकदार नहीं हैं, जो कि असली आदमी नहीं हैं और दूसरे लोगों के नाम से उन्होंने भूमि एलॉट करवा रखी है ।

इसलिए मैं अर्ज करूंगा, मेरा यह निवेदन है, वह इस सम्बन्ध में कार्ड बनवा सकते हैं । जहां मेरा क्षेत्र आता है, वहां सीलिंग की चर्चा हो रही है । गंगानगर जिले में १९०७–८ तक भूमि का कोई इन्तखाब नहीं हुआ है । अच्छा तो यह होता कि हर भूमि का हर महीने में दिया जाता । लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है । जिन लोगों ने भूमि को बताया है, उन्होंने अपने नाम पर जितनी थी उसको बताया है । उनके परिवार के पास कितनी थी, यह नहीं बतलाया है । जिनका यह विश्वास किया गया था कि उनकी भूमि नहीं

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

ली जायेगी। उसमें सत्ताधारी दल के ऐसे लोग हैं जिन्होंने भूमि को छुपाया है। उन्होंने भूमि को छुपा कर और भूमि को ले लिया है। उन्होंने उस भूमि के स्टाम्प बना लिये हैं और उस भूमि की रजिस्ट्री करवा ली है। मेरा निवेदन है कि ऐसे कार्यों की इन्क्वायरी करायें। वहां पर जो पक्षपात हुआ है, उसकी इन्क्वायरी करायें। ऐसे लोगों को भूमि दी गई है जो कि वहां के असली रहने वाले नहीं हैं। उन लोगों का असली पता भी नहीं है। ऐसे लोगों के नाम से अलाट हुई है। उनके नाम से बनवा ली गई है और आगे रजिस्ट्री करवा ली गई हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक आइडेण्टीफिकेशन कार्ड नहीं होगा और लैण्ड रिफार्म कार्य लागू नहीं किया जायेगा तब तक यह नहीं हो सकता है। इसी तरह से राजस्थान नहर क्षेत्र में रूल्स बनने से कुछ पूर्व जो उधर बैठने वाले लोग हैं, उन्होंने दो-दो मुरब्बे जमीन अलॉट करा ली है। मेरा निवेदन है कि उन लोगों की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ पंचायतों के लोन के सम्बन्ध में आता है, मेरा निवेदन है कि पिछले सालों में कोआॅपरेटिव सोसाईटीज के जरिये से बीज और खाद दी गई थी। उसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई हैं। उसमें यहां तक हुआ है कि लोन लेने वाला कोई और है। जिन लोगों को दिया गया है उनको रसीद दी गई है। दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे बहुत से केसेज हैं कि गलत नामों पर बीज और खाद दर्ज कर दिया गया है। अब वह वसूल किया जा रहा है। गांव गांव में वसूल किया जा रहा है। उन लोगों से कभी पूछा भी नहीं गया कि तुमने ऋण लिया है या नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि इसकी जांच करा ली जाये। एक-दो बोरियों के लिए वे लोग क्या अदालतों में दौड़ते फिरेंगे। इसी तरह इलेक्शन के टाइम में भी बहुत से स्टण्ट बनाये गये हैं। इस इलेक्शन में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। बहुत बड़ा पक्षपात हुआ है। सरकारी कर्मचारियों का इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ है, शायद इतना बड़ा दुरुपयोग कभी देखने में नहीं आया था। मेरे अपने क्षेत्र की बात करूंगा, वहां पुलिस विभाग और रेवेन्यू विभाग ने कोई दखल नहीं दिया। लेकिन, नहर विभाग ने बहुत कुछ किया है। कहीं पर ३-४ हजार वोट हैं। पानी का मोगा है, उसको अगर नीचा कर दें तो वहां वोट आ सकते हैं। इस तरह से उन लोगों को नीचा किया गया है। इसी तरह के कई काम किये गये हैं। इस तरह से वहां पर कांग्रेस के लिए वोट लिये गये हैं। इसी तरह से कई जगह पुल बनाये गये हैं। एक मुनाबासतार है, जहां पुल बनाने की कोई मंजूरी नहीं थी। लेकिन वहां से वोट आ सकें, इसके लिए वहां पर पुल बनाया गया है। मकहमा नहर में महीने का पैसा बांट दिया जाता है। ६ महीने तक कोई पकड़ने वाला नहीं है। उसमें पुलिस विभाग का पैसा होता है। नहर विभाग का पैसा होता है। उसको साइफर कहते है। मेरे गांव में ऐसा हुआ है। एक आदमी से मुड्ढा लेने के लिए भी ऐसा किया गया है। हालांकि नहर विभाग में ऐसा कोई नियम नहीं है। १५ गांव हैं, उनको कहा गया कि तुम्हारा तावान माफ कर

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

देंगे। हमारे अपने गांव में सन् ५७ से एक लिंक रोड की मंजूरी है। जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। एक गांव है, जहां सड़क की मंजूरी नहीं है। लेकिन उनको पैसा पहले दिया गया है। जब इलेक्शन बन्द हुआ तो सड़क का काम भी बन्द हो गया। महकमा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जल्दी से जल्दी गांवों में बिजली लगा देगा, ताकि वोट मिल सकें। तो में यह कहूँगा कि खुल्लमखुल्ला महकमा नहर ने, मुहकमा पी० डब्ल्यू० डी० और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। महकमा आबकारी वाले जब गांवों में शराब पकड़ने के लिए जाते हैं तो साथ में कांग्रेस वालों को ले जाते थे। वहां पर एक गांव कंगूवाल है। वहां पर उनको एक भी वोट मिलने की उम्मीद नहीं थी। महकमा आबकारी वाले गये तो साथ में कांग्रेस वालों को भी ले गये। उनको आबकारी वालों ने पकड़ा और कांग्रेस वालों ने छुड़ा लिया।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट और बोल लें।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : ज्यादा वक्त नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट हो गये हैं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : सड़कों के बारे में जो लोगों से मालूम किया जा सकता है। वहां मौके पर जाकर देखा जा सकता है। सड़क पर जो ईटें लगी हैं, उनका कोई टेन्डर पास नहीं है। उनको किस हिसाब से पैसा दिया जाता है? ३ लाख ७२ हजार रुपया उनको पेमेन्ट करना चाहिए, लेकिन टेण्डर मंजूर नहीं हुआ। लेकिन इस इलेक्शन में उसने अपनी जीप दी कांग्रेस वालों को, इसलिए उसकी रेट रिवाइज कर दी गई और १ लाख ८५ हजार की बढ़ोतरी करके ११ मार्च को पेमेन्ट कर दिया। इसके अलावा ढाई लाख का पेमेन्ट उसको अधिक दे दिया गया। मेरा यह निवेदन है, यह सिर्फ इसलिए हुआ, जिन लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में कोशिश की थी. जिन लोगों ने जीप भेजी थी, उस व्यक्ति ने पांच जीप मेरे क्षेत्र में दी और पांच जीपें अलवर में आई यह भी मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ। यह भी अर्ज करूं, जहां तक प्रशासन का सवाल है उसके सम्बन्ध में इतना अर्ज करूं. मेरे क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वह सिक्ख भी हैं और हमारा एक गुरुद्वारा. जिसका नाम बड़े जोड़ है। जिस दिन प्रधान मंत्री गंगानगर में पधारी थीं, २३ फरवरी को, उस दिन गुरुद्वारा के लिए कहा उस पर कब्जा कर लिया गया है। दिल्ली से छपे हुए इश्तिहार बांटे गये। हमने उस पर कब्जा कर लिया। वह गुरुद्वारा गंगानगर से पचास मील दूर है। उस पर सुबह चार बजे कब्जा कर लिया गया। सेवादार को पीटा गया, गुरुद्वारा में शराब पीकर उसकी बेइज्जती की गई। सोचा गया था कि इसमें सिक्ख उलझ जायेंगे और कांग्रेस को वोट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन नतीजा इसका उल्टा हुआ कांग्रेस वालों ने चिल्लाया था कि इसको खत्म करना चाहिए, कांग्रेस वालों के पास के गुण्डों ने उस पर कब्जा कर रखा था। उनके पास में हैण्ड ग्रेनेड थे।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट और हैं आपके समय के हिसाब से।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : तीन मिनिट में मैं समाप्त नहीं कर सकता।

मैं यह अर्ज कर रहा था, वहां पर क्या हुआ। उनको जाकर कहा गया कि हमें यह सन्देश मिला है कि तुम गुरुद्वारा खाली कर दो तो उन्होंने कहा, गंगानगर से बात करा दो। टेलीफोन गुरुद्वारे से बाहर लगा हुआ था। सरकारी कर्मचारी, पुलिस के साथ में वह बाहर लाये गये और उनको बात कराई गई। वह टेलीफोन से बात करते हैं तो उनको जवाब मिलता है कि तुम दिल्ली से बात कर लो। जब दिल्ली से जवाब आ गया कि गुरुद्वारा खाली कर देना चाहिए तब उनको एक ट्रक में बैठा कर लाया गया। जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति के इसकी जानकारी करने के लिए अमृतसर से आये तो राजस्थान के बोर्डर में दाखिल हुए उस समय उनसे आसरा लिया गया लेकिन उन गुण्डों से नहीं लिया गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, वैसे यह बड़ी महत्त्वपूर्ण मांग है। नहर जी बात करूं। नहर विभाग है गंगानगर में, इसमें सबसे ज्यादा करप्शन है। इतना ज्यादा करप्शन और कहीं नहीं है। पक्की नालियां बनी हुई हैं पानी की, लेकिन पानी की छूट गलत ढंग से की जाती है। युद्ध के समय जो वहां नहर है उसमें पानी सदा चालू रखा गया क्योंकि उधर कांग्रेस के लोगों की जमीन थी। हमने पूछा तो जवाब दिया गया कि ये जो मिलिट्री वाले हैं, ये ऐसा कहते हैं कि इसमें पांच फीट पानी रखना चाहिए। हमने सुझाव दिया, अगर १०५ क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाय, तो जो कांग्रेस के एम. एल. ए. हैं उनके मोघे के ऊपर खुली रखी जाय और इनको पानी दे दिया जाय, उसका समय कर दिया जाय तो हमें एतराज नहीं है। १०५ क्यूसेक पानी चलता है तो नहरें टर्न बाई टर्न चलाई जायं। ऐसा न करके वे हमेशा चलाई गई और सात सौ, आठ सौ क्यूसेक पानी उनमें छोड़ा और दूसरी नहरें कम चलती हैं उनमें पानी नहीं होता। हमने एजीटेशन किया था उस वक्त यकीन दिलाया गया था कि तीन महीने में मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। उसके बाद में पानी ९० पर्सेन्ट हो जायगा। लेकिन मोतीराम कमीशन ने रिपोर्ट ८० पर्सेन्ट की दी है। हमें बताया गया है कि करणीजी को राजस्थान नहर के साथ मिला दिया है और एल० एम० पी० को बारहमासी कर दिया जायगा इससे पानी पूरा हो जायगा और करार को अन्जाम दिया जायगा तो पानी पूरा हो जायगा। लेकिन उसको करने में आज तक सरकार फेल रही है बताने में कि मोतीराम कमीशन को कब लागू करेगी। कल प्रश्न आया था कि मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को लागू करिये। मैं निवेदन करूं, मैं दूसरे मुद्दों को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जिन बातों पर बोलना चाहता हूं उनको पूरा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया, समय कम है, कई बोलने वाले हैं। आप सोलह सत्रह मिनिट ले चुके हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : मेरी यह रिक्वेस्ट है कि महकमा नहर सबसे ज्यादा करप्ट है। मैं पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में कल चर्चा करूंगा, दूसरी बातों के ऊपर कल चर्चा करूंगा।

Page No 8

श्री अध्यक्ष : आज जो समय मिला है उसमें साफ रूप से संक्षेप में कह दें।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : मैं कम समय लेने की कोशिश करूंगा।

श्री केदारनाथ : इरिगेशन ले लें।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : मैं कहूंगा कि इरिगेशन....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक सब्जेक्ट ले लें, ज्यादा नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : इरिगेशन डिपार्टमेन्ट में सबसे ज्यादा करप्शन है, वहां पर एक्स० ईएन० जो बैठे हुए हैं, वह सबसे ज्यादा करप्ट हैं।

इतवार में नहर का पानी मिलता है, समय से पानी बदलता है, सोमवार को बारी आयेगी तो वहां सोमवार को पानी आता नहीं है। वह डिस्ट्रिब्यूट नहीं करते हैं। मैं मिसाल के रूप में बताऊं, आर० बी० में सोमवार को इस फसल में करीब-करीब पानी बन्द रहा। बी० एस० में इतवार को इस फसल में करीब-करीब पानी बन्द रहा। सीजन के अन्दर एक दिन भी किसी रकबे में पानी बन्द रखने का मतलब है कि जिनकी बारी है वे फसल नहीं बो सकेंगे। नहर की हालत है कि दो सौ दिन नहर चलाई जाती है तो सौ में दो समय रात भर पानी चलाया (समय-समाप्ति सूचक घंटी) मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि महकमा नहर जो है उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चिम्मनसिंह भाटी!

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : अध्यक्ष महोदय, हम आज जिन मांगों पर विचार कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन है कि जो मांगें हम स्वीकार करने जा रहे हैं, उनमें या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में या मुख्यमन्त्रीजी के उत्तर में गांवों की तरफ कोई खास दृष्टि नहीं डाली गई है। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : जो अनुपूरक मांगें आपके सामने हैं उन पर बोलना है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : मैं मांगों पर बोल रहा हूं।

मैं अर्ज कर रहा था कि गांवों में आज यदि आप पधार कर देखें तो खरीफ में भी कहीं अति वृष्टि से नुकसान हो गया है या कहीं सूखा पड़ गया है। खरीफ की रिपोर्ट तो राज्य सरकार के पास पहुंच गई है, उसमें केवल आठ-दस जिलों को लिया गया है, बाकी के जिलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उसके बाद में रबी की फसल भी शीत लहर के कारण जल गई है और इतने भयंकर रूप से जली है कि किसानों के पास अनाज तो है ही नहीं बल्कि भविष्य में भी काम में आने लायक नहीं रहा है। इस संकट की परिस्थिति में राज्य सरकार ने या हमारे मन्त्री महोदय ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा जिन आशा और अपेक्षाओं के साथ हम यहां जनता को विश्वास दिला कर आये थे कि हम तुम्हारी सारी समस्याओं को वहां जाते ही विधान सभा में रखेंगे और हमारे मन्त्री महोदय उन पर विचार करेंगे। लेकिन यहां आने पर हमें बड़ी निराशा हुई है, राज्य सरकार उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठा सकी....

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो रियायतें उनको मिलनी चाहिए, वे अवश्य मिलें और अविलम्ब मिलें, अति शीघ्र मिलें। श्रीमान् ! अजमेर जिले में काश्तकारों को विदेशी सरकार के समय में भी ६० प्रतिशत मालगुजारी की छूट थी और अभी जो तरमीमी सेटिलमेन्ट हुआ उस समय भी मुख्यमन्त्री और जिलाधीश महोदय ने हमें आश्वासन दिलाया था कि तुम्हारी रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी जब तक कि सेटिलमेंट नहीं होता। किन्तु हमारे यहां आने के बाद अभी-अभी हमने सुना है कि वहां ६० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। यह वहां की जनता के साथ एक घोर अन्याय है। अगर इस प्रकार किया जाता है और हम अपने वायदे से मुकर रहे हैं, जो चीज विदेशी सरकार ने भी नहीं की, उन्होंने भी मालगुजारी नहीं बढ़ाई और आज हमारी स्थानीय सरकार और प्रजातन्त्र के युग में इस प्रकार किसानों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की छोटी-छोटी जोतों पर समाजवादी सरकार के शासन में, मालगुजारी खत्म कर देनी चाहिए। खत्म करना तो कहां रहा, इसके विपरीत मालगुजारी बढ़ाई जा रही है, यह बड़े दुःख की बात है।

इसी प्रकार आज प्रशासनिक दृष्टि से जो हमारे सामने प्रश्न हैं, प्रशासन में हम कई जगह ऐसे कार्य करते हैं जिनसे जनता का विकास हो। उदाहरण के लिए, जहां हमने देश के लिए इतनी कुर्बानियां कीं, फौज और पुलिस ने मिल कर देश के नाम को रखा और देश की इज्जत रखी, वहां पर हमारे सैनिक भाइयों के लिए, जिनके माताओं ने हजारों लालों की कुर्बानी दे दी, जिन देवियों ने हजारों मांगों के सिंदुर पोंछकर रख दिए देश के सामने, उनका आदर और सत्कार एक हजार रुपया देकर किया जाता है। यह दुःख की बात है। आज के युग में जिन वीरों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, उनके बलिदान की कीमत, यह एक शर्म की बात है, इस प्रकार एक हजार रुपये में चुकाई जाती है। बहुतसी जगह जो सैनिक भाई शहीद या घायल हो गए हैं, उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, यह हमारे मन्त्रिमण्डल को या दूसरे अधिकारियों को याद तक नहीं है।

श्रीमान, मंत्रिमंडल के सदस्य या अधिकारीगण, मैं समझता हूँ, जरूर जाते होंगे लेकिन जो जमीन का एलॉटमेंट किया जाता है, वह या तो उनको कागजों पर ही किया जाता है, मौके पर कब्जा नहीं दिलाया जाता और यदि दिया जाता है तो उदयपुर जिले में रहने वाले को गंगानगर में दिया जाता है। तो क्या यह संभव हो सकता है कि २५ साल की नवयुवति को, जो विधवा हो चुकी है और उसके परिवार की देख-रेख करने वाला कोई नहीं, वह गंगानगर में जाकर जमीन लेगी और क्या वह अकेली स्त्री वहां रह सकेगी ? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार फौजी भाइयों के साथ में, फौजी विधवाओं के साथ, सेना के परिवारों के साथ में, कई तरह की तकलीफें हैं जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना बड़ा जरूरी है।

सैनिकों के विश्राम-गृहों की हालत देखिए। वहां खटमल और मच्छरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वर्षों से मरम्मत

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

नहीं हुई। सम्पूर्ण जिले में एक सेक्रेटरी होता है। एक जिले में एक सेक्रेटरी पूरे सैनिकों के परिवारों को नहीं देख सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनके नीचे एक वेलफेयर ऑफिसर और मुकर्रर किया जाय जिससे हमारे देश के कुर्बानी देने वालों के परिवारों की या अपाहिजों की देख-रेख अच्छी हो जाए।

१९४७ के बाद पेन्शन में बढ़ोतरी हुई है। यह प्रश्न राज्य स्तर का नहीं है, किन्तु आपके मार्फत मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि १९४७ के बाद पेन्शन में अवश्य बढ़ोतरी हुई है लेकिन फौजी भाइयों की ओर पुलिस सिपाहियों की तनख्वाहों में बढ़ोतरी नहीं हुई। फौजियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये एक कमीशन बिठाया गया था उसकी रिपोर्ट भी चली गई लेकिन वह रिपोर्ट अभी तक वैसे ही पड़ी हुई है। इसलिये केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूं कि जिन लोगों ने, जिन वीरों ने यह कुर्बानी दी है उनके लिये तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए उस रिपोर्ट के अनुसार जो कमीशन ने दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी तो ५ मिनट भी नहीं हुए।

भूमिहीनों के मामले में निवेदन करना है कि जिस प्रकार फौजी भाइयों के साथ होता है उसी प्रकार भूमिहीनों की हालत है। भूमिहीन लोग चिल्लाते रहते हैं और एलॉटमेंट किसको होते हैं? बड़े-बड़े नेताओं को, बड़े-बड़े लीडरों को, उन गरीबों को और भूमिहीनों को नहीं होता है और यदि कहीं हो भी गया तो कब्जा नहीं मिलता है। इसलिये कमेटी मुकर्रर की जाए ताकि वास्तव में जो भूमिहीन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भूमि दी जाए।

यही हाल बिजली का है। बिजली के मामले में हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। उदाहरण के लिये अजमेर जिले में एक गांव टाडगढ़ है। चार विद्युत् मंत्री बदल चुके। चारों ने आश्वासन दिया था। श्री चन्दनमल वैद, श्री शिवचरण माथुर, श्री हरिदेव जोशी और मुख्यमन्त्री श्री बरकतुल्लाखां साहब। लेकिन ९ दिन चले ढाई कोस। इस गति से बिजली चलती रही, ढाई-ढाई खम्भे चलते रहे, पांचवा चुनाव खत्म हुआ और बिजली नहीं पहुँची आश्वासन पर आश्वासन दिया गया और अभी भी बिजली नहीं पहुँची। मैं आपके मार्फत मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाऊंगा कि ब्यावर नगर में जब मुख्य-मंत्री पधारे थे उस समय उन्होंने कहा था कि यदि ब्यावर प्यासा रहेगा तो मैं सबसे पहले प्यासा रहूँगा। उस बात को ६ महीने हो गए, ब्यावर वही प्यासा है और मुख्यमंत्री प्यासा नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसी तरीके से कई शिकायतें हमारे साथ हमारे गांवों के साथ हो रही हैं। हमने जो वायदे जनता से चुनाव से पहले किए हैं और जो प्रलोभन उनको देकर आए हैं और इन्दिरा गांधी के नाम से वोट लिए हैं, वह जनता के साथ धोखा किया है। हम एक मत होकर इतना त्याग करने के लिये तैयार हैं कि अगर हमारे मुख्यमन्त्री या मन्त्रिमंडल आदर्श उपस्थित करना चाहें तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वे अपनी मोटरों को छोड़ दें, अपनी सैलरीज

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

छोड़ दें। मुझे माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि अगर असल में समाजवाद लाना है और देश के सामने आदर्श उपस्थित करना है तो अपनी सैलरीज छोड़ दें और ओवरड्राफ्ट खतम करने के लिये यह सबसे बड़ा आदर्श होगा। अगर समाजवाद लाना है तो राजस्थान का ओवरड्राफ्ट खतम करने के लिये यह अनुकरणीय उदाहरण सबके सामने रखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र भारतीया !

राजेन्द्रकुमार भारतीया (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, जो डिमान्ड्स इस सदन के समक्ष रखी गयी हैं उनके संबंध में, मैं समझता हूं कि इस समय जो-जो डिमान्ड्स जिन-जिन विभागों के बारे में इस सदन में रखी हैं उन्हें वाजिब समझते हुए हमें पास करना बहुत ही आवश्यक है। आज समाजवाद के रास्ते में प्रगति के रास्ते में हमें इन्हें पास करना अत्यन्त ही आवश्यक है। आज जिन वायदों के ऊपर जनता ने हमें यहां भेजा है इतनी बड़ी तादाद में और आज जो ओपोजिशन की संख्या यहां पर कम आयी है उनके लिये हमें उन वायदों को पूरा करने के लिये इन डिमान्ड्स को पास करना जरूरी है। इन मांगों के पास होने से जो जनता ने हमें वरडिक्ट दिया है कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है। उस वरडिक्ट को पूरा करने के लिये अध्यक्ष महोदय, हमें इस सदन में बहुत ही तीव्र गति से काम करना होगा। हमें आगे बढ़ना है, समाजवाद को लाने के लिये समाजवाद के रास्ते में जो भी रुकावटें आयेंगी उन्हें समाप्त करनी हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन में हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कल कहा था कि हमें समाजवाद के लिये, तेजी से आगे बढ़ने के लिये बहुत रास्ते तय करने हैं। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, समाजवाद के रास्ते को तय करने के लिये हमें इन मांगों पर जो कि सदन में रखी गयी है उन्हें पास करने में पूरा सहयोग देना होगा। और इनके लिये हमें सरकार का समर्थन करना होगा। इनके लिये इस पक्ष के सदस्यों को तो निवेदन करता ही हूं पर उस पक्ष के सदस्यों को भी निवेदन करूंगा कि समाजवाद को लाने के लिये हमें इन मांगों को पास कर देनी चाहिये। जो सदन में आज मांगे राज्य सरकार द्वारा रखी गयी हैं। वे सभी मैं समझता हूं वाजिब हैं। चूंकि वे जायज हैं उन्हें हमें सरकार की योजनाओं व सरकार के सुचारु रूप से चलने के लिये उन्हें पास करना बहुत ही आवश्यक है। और इसके अलावा दूसरे खर्चे जो राज्य सरकार को करने हैं इसके लिये यह डिमान्ड्स जो आज सदन के सामने आयी हैं उन्हें जल्दी पास करदी जाये। ये बहुत ही आवश्यक है। परन्तु मेरा एक निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से ये डिमान्ड्स आयी हैं जैसे हमें पुलिस के ऊपर ऐसा ऐसा खर्चा करना है जो कि इस लिस्ट में है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा जो पुलिस के बारे में जितनी डिमान्ड्स रखी हैं उनमें अगर थोड़ी कमी कर दी जाय तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस प्रकार की डिमान्ड्स जैसे कि मेडिकल है, एज्यूकेशन है, इरीगेशन है इन पर हमको अगर खर्चा बढ़ाना पड़े तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। इन्हें हमें बढ़ाना भी चाहिये। आज पी० डब्ल्यू० डी० के बारे

Page No 12

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया)

में जो मांगें आयें उन्हें हमें पास कर देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, पर पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में अकसर यह देखा जाता है कि हमारे प्रान्त राजस्थान में सड़कों की हालत तो बहुत ही खराब है। वैसे तो अपने राजस्थान में हर जगह की सड़कों की हालत खराब है पर कोटा डिविजन और खास तौर से बून्दी जिले की जो सड़कें हैं उनकी हालत तो बहुत ही खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि २५ वर्षों में कोटा डिविजन और बून्दी के इलाके में पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। वहां की सड़कों की हालत बिलकुल खराब है, जनता परेशान है। हमने यह देखा है कि जो बजट राजस्थान सरकार पास करती है, और उसके प्रोविजन्स के अनुसार जो भी धनराशि स्वीकृत होती है उसमें से ५० प्रतिशत भी पैसा खर्च नहीं किया जाता है। और जो बाकी ५० प्रतिशत पैसा होता है वह लेप्स हो जाता है। इसके लिये मैं सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता ही समझता हूं। उन्हें ही दोषी मानता हूं। यह सरकारी कर्मचारियों की ढिलाई की वजह से पैसा लेप्स होता है काम होता ही नहीं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से आपके मार्फत यह निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि सरकारी कर्मचारियों की इस ढिलाई को खतम किया जाना चाहिये। हमें उनसे काम लेना चाहिये। इसके अलावा लघु उद्योगों सिंचाई योजनाओं, नहीं सारी लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, लघु सिंचाई योजनाओं के लिये बून्दी जिले में जहां आदिवासी क्षेत्र हैं स्टेट के जमाने से जब राजस्थान बना था तो स्टेट से राजस्थान में ४०० लघु सिचाई योजनायें हस्तांतरित की गयी थीं पर अभी जब इलेक्शन हुए तो उस दौरान बून्दी जिले के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों ने बताया कि उसमें २०० ही रह गयी हैं, और वो भी बहुत ही टूटी-फूटी हालत में है आज तक उन पर कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस दिशा में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाये और उन लघु सिंचाई योजनाओं को वापस शुरू की जाय। आज कितने ही फण्ड्स राज्य सरकार के काम नहीं होने से लेप्स होते जा रहे हैं। रुपये की राशि मन्जूर राज्य सरकार द्वारा होने पर भी उस इलाके की हालत बहुत ही खराब है। आज वो यों बेकार पड़ी है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इन मांगों को पूरा किया जाय और इसके लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारियों को इसके लिये एक्टीवेट किया जाये। और सरकारी मशीनरी को इसके लिये यह स्पेसिफिक आदेश दिया जाय कि वे इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरी करे ताकि जनता को राहत मिले। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही जरूरी है कि उस क्षेत्र की सड़कों का व वहां पर जो लघु सिंचाई योजनायें हैं उन्हें पूरी की जायें और अगर हम इन्हें पूरी नहीं कर सके, जो वायदे आपने जनता को समाजवाद लाने के लिये दिये और उसके लिये जनता ने आपको इतने भारी बहुमत से यहां पर भेजा है। मैं समझता हूं कि इस सदन में इतने भारी बहुमत से पहले कांग्रेस कभी नहीं आई और न ही अपोजीशन पहले इतनी कम मात्रा में आया। इसलिये आज मेरा इस

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया)

सदन के माननीय सदस्यों से खास तौर से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से निवेदन है कि कांग्रेस के भारी बहुमत आने से हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। इसलिये हमें राज्य के विकास के लिये जल्दी से जल्दी कार्य करने चाहियें। इसके साथ-साथ मैं सरकारी कर्मचारी भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि वे इसमें हमारा पूरा सहयोग दें। ताकि जनता को जो वायदे दिये गये हैं, चुनावों के वक्त वे पूरे किये जा सके। अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों का सहयोग बहुत ही जरूरी है और मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने सरकारी अधिकारियों को और सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश दें कि वे योजनायें हैं उन्हें पूरी करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें और हम जल्दी से जल्दी इन डिमान्ड्स को पास करें। ताकि जो पैसा मिले उन्हें इस्तेमाल किया जा सके और पैसा लेप्स नहीं हो। इसके अलावा भी इस लिस्ट में कुछ डिमान्ड्स एग्रीकल्चर के बारे में तथा कुछ उद्योगों के बारे में है उसकी तरफ भी राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन-जिन मदों पर यह डिमान्ड्स पास की जायेंगी उन्हें जल्दी से जल्दी पूरी की जाय। इन डिमान्ड्स को पास करने के लिये मैं सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन मांगों को जो कि राज्य सरकार ने रखी है वह सही है उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। क्योंकि समाजवाद के रास्ते पर अग्रसर होने के लिये यह बहुत ही जरूरी है। इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि चाहे कांग्रेस के हों चाहे अपोजीशन के वे सभी इन मांगों को तत्काल पास करने में हमारा सहयोग दें। ताकि हम समाजवाद की तरफ जल्दी से जल्दी अग्रसर हो सकें। जय हिन्द।

श्री शान्तिलाल कोठारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी इस सदन में श्री चिम्मनसिंहजी भाटी ने अपने भाषण में यह कहा था कि कुछ कांग्रेसजनों ने भूमि अनधिकृत रूप से हथियाली है। लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है इसके लिये रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मुझे इस बात की पूरी जानकारी दे कि किन नेताओं ने नाजायज भूमि हथियाली। ताकि हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। आज जब हम समाजवाद लाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ अपने आपको स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं तो हमारे लिये स्वच्छ होने के लिये यह जरूरी है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरे पास लिस्ट नहीं है लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा।

श्री शान्तिलाल कोठारी : अच्छा।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा !

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में अनुदानों की मांगों पर बहस चल रही है। इसमें भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोटा के चम्बल एरिया में जो सन् ५६, ५७ व ५८ जो नहरों द्वारा सिंचाई होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, जो नहरें तैयार की गयी थीं उनका

(श्री नन्दलाल बैरवा)

पानी जो कोटा, बून्दी और मध्य प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिये था। जब ये

११ ४८ म० पू०

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

नहरें निकाली गयीं उस वक्त हजारों किसानों ने जो कि भूमिहीन थे उन्होंने चम्बल एरिया में नहरी क्षेत्र में भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया था। चूंकि उस वक्त तक चम्बल नहर पूरी तरह से निर्माण नहीं हुई थी, और लोगों ने पहले से ही चम्बल नहर के कमाण्ड में जमीन पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद में राज्य सरकार ने उस एरिया में उन लोगों को भूमि नहीं दी। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो १५ साल से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। उनका १५ साल से भूमिहीनों का कब्जा है उन गरीब भूमिहीनों को बेदखल किया जा रहा है और उस जमीन की कीमत १०० रुपये से ५०० रुपये तक तय की गयी है। हजारों किसानों पर इस नौतोड़ के मामलों में केस चल रहे हैं सरकार की तरफ से और हर तीन-चार महीनों से उनकी तारीखें पड़ती रहती है। किसान आज इस नौतोड़ की समस्या से परेशान है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। चम्बल कमाण्ड एरिया में नौतोड़ की एक गम्भीर समस्या है।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करावें और इसके लिए इस इलाके में एक कमेटी बिठावें जो जांच करे कि चम्बल कमाण्ड एरिया बनने से पहले इस एरिया में कितने किसानों का नाजायज कब्जा था। जिस दिन से इनका नाजायज कब्जा था उस दिन से उनके नाम रेगुलेराइज कर देना चाहिये। ये सब भूमिहीन किसान थे और भूमिहीन किसानों को जमीन अलाट करना या उनके द्वारा ली गई जमीन को रेगुलेराइज कर देना सरकार की नीति है।

इससे पूर्व भी इस बारे में मैंने कई सुझाव सरकार को भेजे थे पर मुझे आज तक सूचना नहीं है कि इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की। तो सरकार को यह नौतोड़ की समस्या हल करनी चाहिये।

सिंचाई विभाग के बारे में भी मेरा निवेदन है कि नहरों की मरम्मत के लिये सरकार प्रति वर्ष काफी रकम का बजट में प्रावधान करती है। पर इस रकम का अधिकांश में भयंकर दुरुपयोग होता है। इसका अधिकांश पैसा ठेकेदारों की जेबों में, सरकारी अधिकारियों की जैबों में रिश्वतों के माध्यम से पहुँच जाता है। वास्तव में आये दिन स्पाट इस काम में बहुत कम नाम मात्र की रकम खर्च की जाती है।

सरकार प्रति वर्ष लाखों का ठेका देती है। मैंने भी इसे नजदीक से देखा है। जांच की है। जिस हिसाब से नहरों से मिट्टी निकालने का ठेका दिया जाता है वह अजीब है। मौके पर मैंने देखा कि ठेका जो दिया गया था १६ फीट चौड़ी और एक फीट गहरी मिट्टी निकालने का था पर मिट्टी जो निकाली गई वह कठिनाई से दो या तीन इन्च से अधिक नहीं होगी, केवल नाम मात्र की मिट्टी हटाई गई। मैंने इस मामले को लेकर मुख्य मन्त्रीजी को लिख दिया। जब जांच की बात सामने आई और इसकी खबर नीचे के अधिकारियों और

(श्री नन्दलाल बेरवा)

कर्मचारियों को मिली तो उन्होंने तुरन्त उस नहर में पानी छोड़ दिया। तो इन कामों मे ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी और कर्मचारी तथा ठेकेदार सभी मिलकर यह पैसा हड़प कर जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कैसे ये नाप करते हैं और कैसे ये पेमेन्ट करते हैं। अगर किसी जगह से पन्द्रह बीस फीट गहरी और चौड़ी मिट्टी निकाली जाती है तो वह मिट्टी तो सतह पर या किनारे पर कहीं मिलनी तो चाहिये। नापने का इनका जो तरीका है उसकी चैकिंग करने वाला कोई नहीं। सब आपस में मिले होते हैं और वह सारा पैसा इस तरह से हड़प कर जाते हैं। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिये।

इसके साथ ही सीपेज की समस्या भी खतरनाक बनती जा रही है।। मुख्य नहर में जितना पानी नहीं होता उससे, कहीं अधिक पानी उसके दोनों तरफ भरा रहता है बारह महीनों। आडिला गांव के चारों तरफ पानी भरा रहता है। इसी तरह अनेटा ग्राम है। इस तरह से कई गांवों के नाम मैं गिना सकता हूं। तो इसके लिये ड्रेनेज का उपाय सोचा गया पर इसकी भी हालत खराब है। सीपेज की समस्या को हल करने के लिये ड्रेनेज का काम जिस तीव्र गति से चलाया जाना चाहिये, नहीं चलाया जा रहा है। तो इस ड्रेनेज का भी सर्वे कराकर इस समस्या का तुरन्त समाधान किया जाना चाहिये। सरकार को इधर तुरन्त ध्यान देना चाहिये और इसके निवारण के लिये ठोस सक्रिय कदम उठाने चाहियें।

इसी तरह से पिलाई की समस्या है। किसके खेत में कितनी पिलाई हुई इसका रेकार्ड एक पिलाई पटवारी सिंचाई का रखता है और इसके बिल वसूली के लिये दूसरे पटवारी रेवेन्यू को दिये जाते हैं। अब पिलाई पटवारी क्या करता है कि मनमाने तौर से पिलाई की कीमत लिख देता है जिसके यहां दस बीघा पिलाई हुई, वहां पन्द्रह बीघा और बीस बीघा लिख देना उसके बायें हाथ का खेल है। गेहूं की पिलाई हुई तो चने की लिख देता है, चने की हुई तो गन्ने की लिख देता है। इस तरह से हेराफेरी करता रहता है। इसकी चैकिंग करने का कोई साधन नहीं है। इसका कोई उपाय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो किसानों में इससे अत्यन्त रोष और असन्तोष व्याप्त है, यह किस समय क्या रूप ले ले कोई नहीं कह सकता। इसके लिये मेरा सुझाव है कि इन दोनों कामों के लिये एक ही पटवारी की नियुक्ति की जानी चाहिये। दो की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये। जो नोट करे वही वसूल करने जाय ताकि अगर कहीं गलती हो तो आपस में एक-दूसरे के सामने ठीक कर लिया जा सके और तुरन्त कर लिया जा सके। किसान को तकलीफ न हो और अधिक तवालत भी नहीं उठानी पड़े।

ये दो तीन सुझाव मेरे इर्रिगेशन विभाग के बारे में हैं, जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री जगमोहनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री शंकरलाल (पाली) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ-ऑर्डर सर! यह डिस्कशन जो चल रहा है किसके अन्तर्गत चल रहा है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाई दी चेयर।

श्री शंकरलाल : मैं क्या कहना चाहता हूं यह तो आपने सुना ही नहीं।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) : यहां की कार्य प्रणाली क्या है ? हम सीखना चाहते हैं। यहां की परिपाटी के बारे में हमें जानकारी दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

श्री शंकरलाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। सप्लीमेन्टरी बजट है। इस पर कई माननीय सदस्यों के कट मोशन हैं। अब यह जो डिसकशन हो रहा है उसके बाद क्या ये कट मोशन लिये जावेंगे ? अगर लिये जाने को है तो नियमानुसार इनको पहले सरकूलेट किया जाना चाहिये था। नहीं सरकूलेट किये गये तो यह कैसी व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में शासन से व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री शंकरलाल : क्या व्यवस्था दी गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन एन्टरटेन नहीं किये जावेंगे।

वित्तमन्त्री : (**श्री** चन्दनमल वैद) उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में पहले व्यवस्था हो चुकी है कि यह जो नियम १४३ एवं १४४ का तीसरा रूल जो है वह निलम्बित कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी सूचना दे दी गई है।

श्री शंकरलाल : कट मोशन जिन्होंने दिये हैं उनको बोलने का तो अधिकार होगा।

श्री उपाध्यक्ष : होगा। साधारणतया प्रत्येक सदस्य को होगा !

श्री जगमोहनसिंह !

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहन !

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने ११८ करोड़ और कुछ रुपये की जो डिमान्ड रखी गई है इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है जैसा कि हम राजस्थान को आगे लेकर चलना चाहते हैं जो कुछ भी खर्चा और ऐक्सपेन्डिचर सरकार भविष्य में करने जावे वह उन क्षेत्रों में होना चाहिये और उन मदों में होना चाहिये जिससे हमारी जो समाजवादी नीति है और विकास का लक्ष्य है वह पूरा हो सके। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार के मंत्री महोदयों को पहले राजस्थान के उन क्षेत्रों के विकास के लिये चुनना चाहिये जिनमें कि आज तक विकास बहुत ही कम हुआ है या हुआ ही नहीं है और खर्च किया जावे वह उन क्षेत्रों में किया जावे दूसरा जो खर्च किया जावे वह योजना में किया जावे जिससे रोजगार बढ़े और बेरोजगारी की समस्या हल हो और लोगों को परमानेन्ट रोजगार मिल सके।

इसमें मेरा निवेदन यह है कि एक इसमें डिमान्ड रखी गई है कि प्रोहिबीशन को मजबूती से लागू करने के लिये निरोधक दल का गठन किया जाय और इसके सम्बन्ध में कुछ खर्चे की स्वीकृति सदन से चाही गई है। इसके बारे में निवेदन है जब हम प्रोहिबीशन राजस्थान में लागू करने नहीं जा रहे हैं और इसको हमने कुछ समय के लिये, हमारी राजस्थान की

(श्री जगमोहनसिंह)

आर्थिक स्थिति को देखते हुये पोस्टपोन कर दिया तो फिर एडीशनल खर्चे के करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता इसलिये मेरा निवेदन है कि जब प्रोहिबीशन को जो कि एक सोशियल इविल है और उसका निवारण हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसीज के अनुसार होना चाहिये लेकिन यह एक नेशनल लेविल की इविल है और इस समस्या पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार होकर सारे राष्ट्र के लिये एक जैसी योजना बनाई जानी चाहिये।

मुझे इस बात का खेद है कि जो पहले घोषणा कर दी गई थी कि हम फर्स्ट अप्रेल से प्रोहिबीशन कर देंगे वह घोषणा राजस्थान जैसे प्रदेश के लिये जिसके इकोनोमिक रिसोर्सेज बहुत कम हों वहां एक सूझबूझ वाला कदम नहीं था। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा जहां पर मद्य-निषेध है उनको भी स्क्रेप कर दिया जाय और सारे देश के लेवल पर जनता के मानस को बनाना बहुत आवश्यक है और इसके बाद में ही विचार होना चाहिये। इसके बारे में जो एडीशनल खर्चे की मांग है वह मेरे ख्याल से उचित प्रतीत नहीं होती है।

इसमें अकाल सहायता और काम करने के लिये चार करोड़ रुपये की स्वीकृति का जिक्र किया गया है। इस बारे में मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में एक धारणा बन गई है कि शायद अकाल पानी नहीं बरसता है तो मारवाड़ क्षेत्र में अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं वहां पर ऐसा आधार मानकर नहीं होना चाहिये। ऐज यूजवल बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं मेरे क्षेत्र छबड़ा, छीपाबड़ोद का जिक्र करूंगा वहां अति वृष्टि से ज्वार, बाजरा, मक्का की फसल नष्ट हो गई। आम काश्तकार की सब फसलें नष्ट हो गई, उसके बाद शीत लहर आ गई उससे चना और अफीम की फसल को ९० पर्सेन्ट नुकसान हो गया। पिछले ६ महीने से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि काश्तकार के पास सुबह का खाने को है तो शाम का नहीं है और शाम को खाने को है तो सुबह को नहीं है। इस तरह की परिस्थितियों से वहां का काश्तकार गुजर रहा है। मैंने मुख्य मंत्री महोदय को भी इस बारे में पत्र पेश किया था कि मेरे क्षेत्र की स्थिति पर ध्यान दीजिये, आज उस पत्र को सात आठ दिन हो चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस सरकार ने स्थिति बनाई है, उसका निराकरण बहुत आवश्यक है।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में छबड़ा एक म्युनिसिपल टाउन है जहां पर १२ हजार की पोपुलेशन है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां एक भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है। पास के कुछ गावों के लोगों ने धन एकत्रित करके दो साल से बिल्डिंग बना रखी है लेकिन स्कूल नहीं खुल रहा। एक पकावा गांव है, वहां पर लोगों ने बिल्डिंग बना रखी है लेकिन अभी तक स्कूल नहीं खोला गया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जगह पर शिक्षा की दृष्टि से कुछ नहीं किया गया है, वहां पर स्कूल जरूर खोले जाने चाहियें।

Page No 18

(श्री जगमोहनसिंह)

जहां तक चिकित्सा की मांग का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में डागला गांव है, वहां पर चार-पांच साल पहले प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोला गया था, लेकिन वहां पर क्या स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर न तो डॉक्टर और दूसरे स्टाफ के बैठने की कोई जगह है और न उनके रहने के लिये कोई स्थान है। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है और जो मेल और फीमेल नर्सेज हैं और डॉक्टर हैं उनको बहुत तकलीफ है। वहां का प्राइमरी हेल्थ सेन्टर एक कच्चे मकान में काम कर रहा है, इस प्रकार की वहां स्थिति है। इसका इन्तजाम करना बहुत आवश्यक है।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि छबड़ा एक मुख्य कस्बा है और वहां पर एक अस्पताल है। वहां से मध्य प्रदेश की सीमा तक करीब ३० मील तक गांव दूर-दूर तक बसे हुए हैं, पर वहां पर कोई बस रूट नहीं, कोई रास्ता नहीं जिससे कि किसी सीरियस पेशेन्ट को उन गांवों से छबड़ा लाया जा सके। न ही ऐसा कोई वाहन चलता है, न सड़क ही है। तो इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुख्य ग्राम हैं, जैसे कि बाली ग्राम है, वहां पर अलग चिकित्सा सुविधा प्रदान करनी चाहिये।

श्री यशवंतसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा। ऐसा है कि अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी उसके बारे में तो निवेदन नहीं करना है लेकिन ये हैं अनुपूरक मांगें यानी सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स अर्थात् अब खर्चा नहीं होना है और मेरे ख्याल से वह हो चुका है इसलिए माननीय सदस्य का ध्यान आपके द्वारा इस ओर आकर्षित हो जाये और फिर भी वोटेड डिमाण्ड तो बहुत ही लिमिटेड हैं इसलिए चार्ज्ड डिमाण्ड पर तो बोलने का सवाल नहीं है। आपके द्वारा वे जरा सीमित हो जायें इस प्रकार के आदेश हो जायें तो उचित होगा।

श्री जगमोहनसिंह : इसमें तो यही दिया है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : ये तो सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स हैं और फिर आखिर कोई सीमा तो हो।

श्री शंकरलाल : जो खर्च किया गया है उसकी आलोचना सिद्धान्ततः की जा सकती है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : इसके लिए कौन इन्कार करता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें।

श्री जगमोहनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सड़कों की व्यवस्था है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब हमारे यहां मिडिल स्कूल ही नहीं है तो फिर सड़कों के होने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए पी० डब्ल्यू० डी० मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये।

दूसरे प्रिन्सिपली जो मैंने अर्ज किया था उसको एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी खर्च किया जाये

(श्री जगमोहनसिंह)

उसका क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि अनडवलप्ड एरियाज़ डवलप्ड हों और. रोजगार बढ़े और गरीबी मिटे, इस तरह का होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल मीणा !

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने अनुपूरक मांगों के लिए प्रस्ताव रखा है इसमें यदि सरकार कुछ अपनी आमदनी और खर्च के बारे में विशेष सुधार करे तो आने वाले बजट पर इतना ज्यादा वित्त मंत्री जी को और टैक्स लगाने के बारे में नहीं सोचना पड़े। इन बदखर्चियों के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। जैसे पंचायत समितियां हैं। पंचायत समितियों से आपका क्या उपयोग हो रहा है। लाखों रुपया खर्च होता है और पंचायत समितियों में यदि आज कोई चीज है तो वह है प्राइमरी स्कूलें। लेकिन शिक्षा का स्तर पंचायत समितियों में दिनों दिन गिरता जा रहा है। एक अध्यापक की स्थिति यह है कि वह हर हालत में सरपंच पर निर्भर रहता है। अगर सरपंच के कहने से किसी लड़के को फेल पास नहीं किया तो उसका एक महीने में दो-चार बार ट्रान्सफर हो जाता है। इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है और पंचायत समितियों में लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं और उससे जनता को लाभ नहीं हो रहा है इसलिए पंचायत समितियां जो वदखर्च कर रही हैं इन पंचायत समितियों को बन्द कर दूसरा इसका विकल्प निकालें।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, पेय जल की योजनाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, ग्रामीण भी और शहरी भी। इनके बारे में राजस्थान सरकार ने विशेष प्रावधान तो जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि कुछ किया है लेकिन फिर भी केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो योजनायें चालू की जा रही हैं या पहले से जो योजनायें पास हैं उनके बारे में क्या हो रहा है.? सवाईमाधोपुर जिले में नादौती, कैमला, सोप, कुजैड़ा आदि गांवों में पेय जल के लिए लगभग २३ लाख रुपये के करीब केन्द्रीय सरकार से पास हुए थे और आज उनको २-२॥ साल हो गए हैं लेकिन कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं हुई है और न अभी तक सर्वे किया जा रहा है और जो पैसा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ था उसके बारे में क्या हुआ यह भी पता नहीं है। दूसरे बामनवास की योजना है उसके लिए केन्द्रीय सरकार से लाखों रुपया पास हुआ था लेकिन यह योजना भी आज तक पूरी नहीं हो सकी। लालसोट में जल योजना पूरी तो की लेकिन लालसोट कस्बे के आधे हिस्से में पानी ही नहीं पहुंच रहा है। इसी तरह से दौसा की योजना है और इसके लिए भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री भीखाभाई जी ने जाकर कहा था कि जो चालू वर्ष का ग्रीष्मकाल है इससे पहले पहले लोगों को पानी मिल जायेगा लेकिन अभी तक इस जल योजना का कार्य दौसा में पूर्ण नहीं हुआ। तो इस तरह से पेय जल की योजना के बारे में सरकार की जो योजना है वह पूरी तरह से सफल नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कस्बों व शहरों में अस्पताल हैं वहां पर डॉक्टर भी हैं, कम्पाउन्डर्स भी हैं और अस्पतालों की

(श्री मीठालाल मीणा)

बिल्डिंग भी है लेकिन वहां पर दवाइयां नहीं हैं। मामूली गोली भी बाजार से मंगवाई जाती है इन्जैक्शन्स तो बाजार से आते ही हैं लेकिन गोलियां और पुड़ियां वगैरह सब बाजार से आती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर केवल सुझाव के लिए ही है या दवाइयों के लिए भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, छोटी सिंचाई योजनायें हैं। इसके लिए केन्द्रीय सरकार से भी आपको अलग से धनराशि मिलती है। छोटी सिंचाई योजनायें जिनमें कम खर्च होता है और जो पहले से बनी हुई हैं आप उनके सुधार के लिए एक पैसा भी नहीं लगाते और जो छोटी सिंचाई योजनायें बनती हैं वह एक-एक बांध दस-दस साल तक बनता रहता है और इधर बना उधर टूट जाता है तो सिंचाई योजना के बारे में और बिजली के विकास के बारे में सोचें जिससे किसानों का हित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सों की वसूली के बारे में कहना चाहता हूं। टैक्सेस तो आप नये-नये लगाते जाते हैं लेकिन पुराने टैक्स इतने बाकी रह जाते हैं चाहे वे सिफारिश या दबाव के कारण रह जाते हों लेकिन आखिर कहां तक रहते रहेंगे। सवाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थिति यह है कि दिनों दिन जो उद्योग के मालिक हैं वे पैसा निकाल कर दूसरे कारखानों में लगाते रहे हैं और ३॥ लाख रुपया टैक्सों का बाकी है और अन्य कई प्रकार का पैसा बकाया है। राजस्थान सरकार का कई लाख रुपया उनकी तरफ बकाया है। आखिर उसकी वसूली कब तक होगी? कम से कम उसका ब्याज तो वसूल किया जाये। इसी तरह से कई उद्योगपति हैं उनसे आप पैसा वसूल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिये कि वे चुनाव में लाखों रुपया आपको देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि अब तो आपका प्रचण्ड बहुमत है इसलिये मंत्रिमण्डल का विस्तार जैसा कि अभी एक समिति का सुझाव था कि दस प्रतिशत से अधिक नहीं रखे जायें तो मेरा कहना है कि पहले की तरह ४०-५० की पलटन न बनाकर उचित प्रकार से मंत्रिमण्डल का विस्तार करें जिससे आपका काम चल सके और फालतू खर्चा न हो।

सहकारिता विभाग में जो बकाया राशि है उसके लिये आप क्या कर रहे हैं? किसी सोसाइटी की तरफ ४० हजार बाकी है तो किसी सोसाइटी की तरफ ५० हजार बाकी है। ऐसी भी सोसाइटीज हैं जिनकी तरफ तीस-तीस हजार रुपया रोकड़-बाकी चला आ रहा है वह न तो पोस्ट ऑफिस में जमा है और न सरकार के किसी अन्य खजाने में जमा है और उसको आज ६-६ साल हो गए हैं। लालसोट में एक सोसाइटी की तरफ तीस हजार रुपया रोकड़ बाकी है। तो आखिर आपने इस रोकड़ बाकी के बारे में क्या किया? न तो पोस्ट ऑफिस में जमा है और न सरकार में। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक टैक्सों की वसूली का सवाल है मैं कहूंगा कि इसके लिये सरकार को सख्त कदम उठाने चाहियें, उपाध्यक्षजी। चुनाव की सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है मैं उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि मेरे ६७ के संसद के चुनाव की सिक्योरिटी अभी तक नहीं मिली, ७१ की मेरी व मेरे सहयोगी

(श्री मीठालाल मीणा)

(डमी)को नहीं मिली और ७२ का तो मिलने का सवाल ही नहीं है। चुनाव सिक्योरिटी अभी तक नहीं मिली है।

कृषि उपज समितियां हैं जिनका कार्यालय शहरों में है। वे कृषि उपज समितियां किसानों से और व्यापारियों से टैक्स वसूल कर रही हैं लेकिन मन्डियों के विकास के लिये क्या कर रही हैं ? एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता है। ज्यों-ज्यों ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है वह जमा होता रहता है और शानोशोकत की चीजों के ऊपर खर्च किया जाता है। उन मन्डियों के विकास के लिये आपके पास कोई विशेष योजना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में ऐसी कई योजनायें हैं जिनके लिये केन्द्रीय सरकार से पैसा मिला है जैसे कि सवाईमाधोपुर में रेलवे पुल का निर्माण। इसकी योजना बनाने की ७० में थी और ऐसी योजना थी कि ४० हजार रुपया लेकर १९७० में काम शुरू कर दिया जायगा और ७३ तक पूरा हो जायेगा। इसके लिये केन्द्रीय सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है और केवल उसके ऊपर से सड़क बनाने का काम राजस्थान सरकार को करना है लेकिन राजस्थान सरकार वह भी खर्च नहीं कर सकी इसलिये पुल का मामला सारा का सारा खटाई में पड़ा हुआ है और जो केन्द्रीय सरकार ने पैसा दिया वह या तो राजस्थान सरकार के पास होगा या फिर केन्द्रीय सरकार के पास ही होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा इस मामले में आपका समय न लेकर यही सुझाव देना चाहता हूं कि जो पैसा किसी योजना के लिए केन्द्रीय सरकार से मिले उसको पूरी तरह उसी योजना में शीघ्र खर्च किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह !

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो डिमाण्ड पर चर्चा हो रही है और मांगों पर जो चर्चा हो रही है, मैं नदबई क्षेत्र के बारे में बताता हूं कि नदबई क्षेत्र में सरसों को चेंपा ने मारा है। सरसों के साथ ही साथ चना, अरहर और गेहूं की फसल को भी शीत ने हानि पहुँचाई है। गेहूं की फसल पचास प्रतिशत उस इलाके में पैदा नहीं हो रही है। इसलिए मैं डिमाण्ड करता हूं कि उस इलाके में, जैसे राजस्थान में और और इलाकों में सूखा पड़ जाता है और सहायता दी जाती है उसी तरह से मेरे क्षेत्र के लिए भी, भरतपुर जिले के लिए भी शीघ्र ही सहायता भिजवाने की व्यवस्था कराई जावे, क्योंकि वहां पर किसानों की सरसों पैदा नहीं हुई, चने में कुछ रहा नहीं और और फसलों में भी पचास परसेंट फसल भी नहीं हो रही है। इसलिए वहां पर भरतपुर जिले में चने की फसल मारी गई है, गेहूं की फसल शीत से मारी गई है इसलिए वहां पर सरकार जल्दी से जल्दी सहायता देने की व्यवस्था करे, एक बात।

दूसरी बात मैं और बताता हूं और यहां पर डिमाण्ड करता हूं कि जो भूमिहीन किसानों को अलॉटमेंट हुए हैं, हजारों बीघा भरतपुर जिले में अलॉटमेंट हुए, राजस्थान में लाखों बीघा अलॉटमेंट हुए लेकिन इन अलॉटमेंट्स के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका

(श्री नत्थीसिंह)

ध्यान दिलाता हूं कि वहां ऐसे अलॉटमेंट हुए हैं कि जहां पचास परसेंट भी यानी पचास परसेंट लोगों को भी दखल नहीं मिला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो चेयरमेन अलॉटमेंट कमेटी के, एस० डी० ओ० थे, उन्होंने भूमि का यानी चरागाह की भूमि का; सिवाय चक भूमि का अलॉटमेंट करने से पहले १५ दिन पहले, एक महीना पहले नोटिस इश्यू कर दिया कि ऐसी जमीनों पर जिनके नम्बर ये-ये हैं, इन पर किसी का भी एतराज हो तो वे एतराज पेश करें। उपाध्यक्ष महोदय, उस टाइम में जो नोटिस इश्यू हुए थे उस टाइम में कोई भी किसी प्रकार का, किसी जागीरदार का, किसी जमीदार का या और किसी का भी कोई एतराज नहीं आया। लेकिन जब अलॉटमेंट्स भूमिहीन किसानों को हो गया, पट्टे हो गए और दखल मिलने लगा उस पट्टेदार को, उस भूमिहीन किसान को, जिसको दो बीघा, तीन बीघा, चार बीघा और पांच बीघा जमीन अलॉट हुई; तो उस वक्त जमींदारों ने एतराज किया, ए० डी० एम० के पास, कलेक्टर के पास कि इस जमीन पर तो मेरा कब्जा है और उनको उस किसान के खिलाफ, उस पट्टेदार के खिलाफ स्टे मिल जाता है। ए० डी० एम० कोर्ट से, कलेक्टर के यहां से स्टे मिल जाता है! तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह आपसे निवेदन करूंगा कि भरतपुर जिले में जो करीब पचास पचपन हजार बीघा जमीन अलॉटमेंट हुई है उसमें से पच्चीस, तीस परसेंट तो ऐसे हैं जिनको शीघ्र से शीघ्र दखल मिल गया और ७०–८० परसेंट ऐसे हैं जिनको दखल नहीं मिला है। अब आप देखिए कि एक भूमिहीन किसान है जिसको केवल दो बीघा, तीन बीघा अलॉटमेंट हुआ है, उनके खिलाफ एस० डी० ओ०, ए० डी० एम० और कलेक्टर के यहां से स्टे मिल जाता है, रेवेन्यू अधिकारियों ने स्टे दे दिया है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं और साथ ही इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने, उपाध्यक्ष महोदय मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस जमीन का अलॉटमेंट हुआ है उससे पहले पट्टे के लिए, उन्होंने पट्टा करने से १५ दिन पहले, महीने भर पहले नोटिस दिया उस समय कोई ओब्जेक्शन नहीं आया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विषयान्तर हो रहे हैं। आज केवल सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स हैं और इसलिए आप केवल सप्लीमेंट्री डिमाण्ड पर ही बोलें।

श्री नत्थीसिंह : मैं तो इसी बात के लिए बोल रहा हूं और आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसके नोटिस निकल गए, जब कोइ एतराज नहीं आया और उसके बाद में अब स्टे मिल रहे हैं, ए० डी० एम० के यहां से स्टे मिल रहे हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं और भरतपुर जिले के लिए मांग करता हूं कि इसकी कमेटी द्वारा जांच करवाई जावे। भूमिहीन किसानों को गांधी शताब्दी के अवसर पर पट्टे दिए गए लेकिन पट्टे देने के बाद भी जो अब तक दखल नहीं मिला है। और एक बात यह भी है कि बोता कोई है, कोई भूमिहीन किसान है, और काटता है जबरदस्त जमीदार ही काश्तकार बोता है और काटता दूसरा है। मैं आपसे निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बात की जांच करवाई जावे एक

Page No 23

(श्री नत्थीसिंह)

कमेटी बैठाई जावे जो इस बात की जांच करे कि कितने लोगों को दखल मिला है और कितने लोगों के खिलाफ केस चल रहे हैं। कितने केस इल्लीगल चल रहे हैं। जो इल्लीगल केस चल रहे है उनको विथड्रा करवाया जाय और भूमिहीन काश्तकारों के माफिक फैसला करवाया जावे। मैं इस बात की, उपाध्यक्ष महोदय, मांग करता हूं।

दूसरी मांग भरतपुर जिले में और नदबई के बारे में यह कहता हूं कि वह ऐसा इलाका है जहां सौ फीट और ९० फीट पर पानी निकलता है। पानी कुओं में बहुत नीचा है। कई-कई गांवों में पानी बहुत नीचे गहरा पहुंचा हुआ है और वहां पर पीने के पानी व सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि उस जिले में जो खुरामपुर नहर है उसको चौड़ा बनाया जाय और उस नहर को चौड़ा करके पानी की व्यवस्था कराई जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि नहर को चौड़ा बना करके और उसको भीतर तक ले जा कर, जो वहां पर कुए में पानी नीचे है, कुए सूख जाते हैं तो इसलिए पीने के पानी व सिंचाई के पानी की व्यवस्था उस इलाके में करवाई जावे।

मैं इतना ही कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैंने आपका एक मिनिट और ज्यादा ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा !

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की अनुपूरक अनुदानों की मांगें आज सदन के समक्ष विचाराधीन हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि आज एक तरफ तो हमारे सामने हजारों समस्यायें हैं, हमारे साधन कम हैं, पैसा कम है, हम विकास करना चाहते हैं। हम जनता की हालत और हैसियत सुधारना चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से विभाग ऐसे हैं, कौन से काम ऐसे हैं जिनको हमें ज्यादा महत्व देना पड़ेगा और कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे विभाग हैं जिन पर खर्चा तो इतना होता है लेकिन जिनका उपयोग, समाज के लिए, देश के लिए नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि अकाल के मामले में बहुत खर्चा किया जाता है। मेरे इलाके में भी अकाल पर बहुत खर्चा किया गया लेकिन जैसा कि हमने देखा है अकाल के मामले में पैसा बहुत खर्च किया जाता है और उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। अकाल के मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग एक तरफ तो अपनी जैबें गरम करता है और दूसरी तरफ काम कुछ नहीं होता है। इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनको हमें बन्द करना पड़ेगा। अकाल के समय में सड़कें बनाई जाती हैं लेकिन क्या वे सड़कें उपयोगी बनी हैं यह हमें देखना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कि अकाल के नाम पर मेरे क्षेत्र में कुछ सड़कें बनीं, उन सड़कों पर सड़क के नाम पर मिट्टी बिछा दी गई जो बरसात में बह गई और उनका कोई उपयोग नहीं हुआ। इस प्रकार अगर हम पैसे का दुरुपयोग करते रहें तो खर्चा तो होता रहेगा लेकिन समाज को, देश को और राज्य को उसका कोई फायदा

(श्री सुरेशचन्द्र)

नहीं होगा। इसी प्रकार से आपका पुलिस विभाग है, जिसके खर्चे की आज डिमाण्ड भी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान का पुलिस विभाग भी राज्य के लिए एक निष्क्रिय विभाग है। निष्क्रिय इस मामले में है कि जब यहां पर चोरियां होती रहें, डकैतियां होती रहें और जहां पुलिस का केन्द्र हो, पुलिस की चौकी हो और वहीं पर चोरियां होती रहें तो फिर इसका क्या उपयोग है। अभी कल ही यहां पर चर्चा हो रही थी कि सवाईमाधोपुर में मूर्तियों की चोरी हुई और पुलिस स्टेशन उससे सटा हुआ था। तो जब चोरी हो रही थी तो पुलिस क्या सो रही थी, पुलिस वाले क्या कर रहे थे, उनको तनख्वाह मिलती है, उन पर खर्चा होता है तो उसका क्या उपयोग है ? लिखा तो वहां पर यह रहता है कि मेरे योग्य सेवा और करते हैं चोरी की सेवा। इस प्रकार की बातें होती रहें तो किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से हम हालत सुधार पायेंगे; किस प्रकार हम जनता की स्थिति सुधार पायेंगे इस बात पर हमें गौर करना चाहिए ?

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के ऐसे विभाग हैं जिन पर खर्चा किया जाना चाहिये। इन पर अधिक खर्चा करने से जनता की हालत सुधर सकती है। मैं आपसे अर्ज करूं कि स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों की क्या हालत है। गांवों के अन्दर, मेरे सब डिविजन क्षेत्र में दस हजार रुपये की वार्षिक ग्रान्ट होती है और वहां पर पांच सौ मरीज, नये मरीज, प्रतिदिन आते हैं, तो इस प्रकार एक मरीज पर एक नया पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। लोगों को पट्टी बांधने को नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, मल्लम और गोली तक नहीं मिलती तो फिर किसलिये आपने ये दफ्तर और अस्पताल खोल रखे हैं। डाक्टरों को पर्चा लिखने के लिये कागज तक नहीं मिलता। कागज भी पर्चा लिखाने के लिये बाहर से लाना पड़ता है। इण्डोर पेशेंट को टिकिट बनवाने के लिये कागज बाजार से लाकर देना पड़ता है। इसलिये मैं अर्ज करूं कि हमें जन-स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग पर अधिक खर्चा करना चाहिये क्योंकि इससे जनता को लाभ मिलने वाला है।

इसी प्रकार आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट है इसमें भी खर्चा बहुत फालतू होता है। इसके अन्दर जो इन्सपेक्टर हैं, सेल्स टैक्स ऑफिसर हैं वे गांवों में जाकर लोगों को परेशान करते हैं, और अपनी जेबें भरते हैं और दूसरी तरफ सरकार से टी. ए. चार्ज करते हैं। इस प्रकार इन पर जो शासन का खर्चा होता है वह खर्चा फालतू होता है। अब भी बराबर पहले के जमाने के आधार पर गिरदावरी चैकिंग का एक प्रोग्राम चलता है। परन्तु वास्तव में गिरदावरी नहीं होती है। गाड़ी डिस्ट्रिक्ट पूल की होती है और टी. ए. डी. ए. दिया जाता है। अधिकारी घर पर बैठे रहते हैं। पटवारियों को बुला लिया जाता है और प्रोग्राम गिरदावरी चैकिंग का दिखा दिया जाता है। केवल फसल काश्त लिख ली जाती है। चने की काश्त हुई, गेहूँ की काश्त हुई। इस चैकिंग के नाम पर लाखों रुपये के टी. ए. डी. ए. का भुगतान कर दिया जाता है। यह बड़े अचरज की बात है। हमारे अधिकारियों ने और राजस्व मन्त्री महोदय ने इस बात पर गौर नहीं किया है कि

(श्री सुरेशचन्द्र)

लाखों रुपया इस बात पर क्यों खर्चा किया जाता है जबकि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस पर राज्य सरकार को खर्चा बन्द करना चाहिये

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. में गैंग रखी जाती है। जो पी. डब्ल्यू डी. का ओवरसीयर होता है वह बड़े से बड़े अधिकारी की हैसियत रखता है, उसके पास दस नौकर रहते हैं। सरकार तनख्वाह देती है, सड़क पर मिट्टी डालने के लिये और उस काम के लिये गैंग रखने के लिये परन्तु वह सड़क की गैंग घर की गैंग रह जाती है। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के खर्चे को बन्द करना चाहिये। और यही वजह है कि हमारी सरकार घाटे में चल रही है। बिजली की मांग करते हैं तो सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, स्कूल की मांग की जाती है तो पैसा नहीं है, अस्पताल की मांग होती है तो पैसा नहीं है, सड़क की मांग होती है तो पैसे की कमी बताई जाती है। स्कूल में और विषय खोलने की मांग होती है तो कहा जाता है कि जनता बिल्डिंग बना कर दे। साइन्स विषय की मांग होती है तो साइन्स ब्लॉक जनता द्वारा बनाकर दिये जाने के लिये कहा जाता है। तो क्या ये सारी बातें जनता करे और सरकार कुछ न करे। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्यों इस प्रकार फिजूल खर्ची करती है? हमारे यहां पर मुख्य मन्त्री महोदय का जो निवास-स्थान है उसको बदलने के लिये, उसको साज-सज्जापूर्ण बनाने के लिये लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इस प्रकार के फालतू खर्चों को बन्द किया जाना चाहिये और जो खर्चा जिनसे उत्पादन बढ़ता है, समाज की हालत सुधरती है, किया जाना चाहिये, जनता के स्वास्थ्य सुधारने के लिये खर्चा किया जाता है तो वह खर्चा किया जाना चाहिये।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जो कृषि अधिकारी हैं क्या वे गांवों में जाते हैं? उनसे पूछा जाना चाहिये कि वे कितने किसानों के पास गये? सरसों के अन्दर चेपा का रोग लग गया परन्तु कृषि अधिकारी को इसका पता नहीं है कि यह जो रोग है इसका इलाज किस प्रकार से होगा? फसलों को जो बीमारी लगती है उसको सम्भाला नहीं जाता है। डायरियां बराबर मेन्टेन की जाती हैं, टी. ए. डी. ए. चार्ज किया जाता है। सरकार को देखना चाहिये क्या वे किसानों के पास में जाते हैं और कितनी जिम्मेदारी को निभाते हैं? मेरा निवेदन है कि यह मांग सदन के सामने रखी गई है कि जो खर्चा किया जा रहा है उन खर्चों में कमी की जानी चाहिये और उन विभागों को पैसा दिया जाना चाहिये जिनसे कि उत्पादन बढ़ता है और जनता को फायदा पहुँचता हो। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन !

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक अनुदान की मांगें हैं उनके बारे में मैं कुछ विषयों पर सदन में प्रकाश डालना चाहता हूं। कल मैं मुख्य मन्त्रीजी का भाषण सुन रहा था और उन्होंने जो मद्य निषेध के बारे में कहा, शायद वह राज्य सरकार की नीति की घोषणा थी, उससे मुझे बड़ी ठेस पहुँची। पांच साल से बराबर यह कोशिश की जा रही थी, ६७ से ७२ तक मैं सदस्य था,

Page No 26

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हमारे मनोहरसिंहजी मेहता जो एक निर्दलीय सदस्य थे वे मद्य-निषेध के बारे में पूरी तरह से अपने विचार इसके समर्थन में रखते थे। मैं भी उन्हीं विचारों का था और राज्य सरकार ने घोषणा भी की थी कि पहली अप्रेल, ७२ से मद्य-निषेध कर दिया जायेगा। परन्तु जो मुख्य मन्त्री ने बयान दिया, प्रोहिबिशन को एक्सेप्ट नहीं किया और यह घोषणा की कि इसको पोस्टपोन कर दिया जायेगा। पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पोस्टपोनमेन्ट कितने अर्से के लिये किया गया है। अब तक की राज्य सरकार की स्पष्ट नीति बतायी जाये और कांग्रेस की मूलभूत नीति है मद्य-निषेध की और कांग्रेस बराबर यह कोशिश कर रही है तो यह नहीं हो सकता कि प्रोहिबिशन को इस प्रकार पोस्टपोन करके निर्णय लें। प्रोहिबिशन को स्टेण्ड कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं राज्य सरकार से वह प्रोहिबिशन कब तक कर देगी ? बार-बार यहां पर फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स के कारण बतला कर मद्य-निषेध को लम्बा कर रहे हैं परन्तु यह फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन तो हमेशा बना रहेगा। आप नॉन-टैक्स रेवेन्यू से अपनी फाइनेन्शियल पोजीशन को ठीक करें। टैक्स लगा कर पोजीशन को ठीक करें। एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स लगाकर पोजीशन को ठीक करें। स्टेट की फाइनेन्शियल पोजीशन को ठीक करें। मद्य-निषेध की नीति कांग्रेस ने अपनाई है वह सही नीति अपनाई है। उस पर अमल करना है और इसके लिये मुख्य मंत्रीजी को स्पष्ट करना है कि कब तक वे मद्य-निषेध करेंगे ? यह मैं जानना चाहता हूं।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं यहां राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और जिसके लिये संविधान के अन्दर भी प्रावधान है, वह यह है कि जो भी पढ़ा लिखा नहीं है उसको पढ़ायेंगे। परन्तु प्राइमरी स्कूल्स के लिये हमने जो गत साल में स्थिति देखी वह यह है कि राजस्थान में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खुला। बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले में प्राइमरी स्कूल्स के लिये बराबर मांग बढ़ती जा रही है और वह स्वाभाविक भी है। तो प्राइमरी एज्युकेशन पर भी कुछ जोर नहीं दिया जा रहा है जो बहुत आवश्यक है और उसके लिये स्कूल्स नहीं खोले जा रहे हैं। गत साल के अन्दर एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया, प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल स्कूल्स जरूर बनाया गया, हायर सैकन्डरी स्कूल भी बनाया गया, कॉलेजेज भी खोले गये लेकिन प्राइमरी स्कूल एक भी नहीं खोला गया। हमारे यहां शिक्षा केवल दस प्रतिशत ही है और ९० प्रतिशत लोग अभी तक पढ़े लिखे नहीं है, चार-चार मील और पांच-पांच मील के फासले से छोटे-छोटे पांच और छः वर्ष के बच्चों को स्कूल के लिये आना पड़ता है। यह स्थिति कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं कि इस साल कितने प्राइमरी स्कूल्स खोले जायेंगे ?

तीसरा प्रश्न मेरा रोड्स के बारे में है, रोड्स के बारे में मैंने प्रश्न उठाया था कि फेमीन के अन्दर रोड्स में भ्रष्टाचार हुआ था चौहटन से रामसर सड़क के बारे में। २५ मील का ग्रेविल रोड बना और उस पर २५ लाख रुपये का खर्चा हुआ, जब कि ग्रेविल रोड के एक मील पर २० हजार से अधिक खर्चा नहीं होता जैसा कि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पी. डब्ल्यू. डी. वाले भी जानते हैं, दूसरे जितने भी ग्रेविल रोड्स बने हैं वहां पर एक मील पर २० हजार से अधिक खर्चा नहीं हुआ है, तो फिर इस २५ माइल के टुकड़े पर २५ लाख रुपये कैसे खर्च हुए ? मैंने जब यह प्रश्न सदन में उठाया था तो एस. पी., एंटी-करप्शन को जांच करने के लिये नियुक्त किया गया, लेकिन अभी तक वे कोई रिपोर्ट नहीं दे पाये। इस प्रकार की देरी अगर जांच में होगी और इतना समय लगेगा तो किस प्रकार से सबूत मिलेगा और किस प्रकार से दोषी अधिकारी को दण्ड मिलेगा ? इसलिये मेरा यह भी निवेदन है कि चौहटन से रामसर का जो ग्रेविल रोड है, मैं पुलिस विभाग की माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में एंटी-करप्शन डिपार्टमेन्ट के पास पेपर्स पेन्डिंग हैं, उनको मंगवाकर देख लें कि क्यों इतनी डिले हो रही है ? यदि इसमें किसी प्रकार की टेक्निकल एडवाइज लेने की भी आवश्यकता हो तो टेक्निकल आदमी का कोओपरेशन लेकर जल्दी जांच करा ली जाये और दोषी अधिकारी को पनिशमेंट देना चाहिये।

और मेरा प्रश्न है वह यह है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उससे हमारे क्षेत्र में एक समस्या पैदा हो गई है। छाछरों से करीब २० हजार व्यक्ति बाड़मेर आ गये हैं। उनको न तो शरणार्थी माना जाता है न नागरिक और उनको बार-बार यह कहा जाता है कि उन्हें वापस छाछरों जाकर रहना चाहिये। और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। लॉ एन्ड आॅर्डर की सिचुएशन वहां पर ठीक नहीं है। उन्हें विश्वास नहीं है कि वे चले भी जायें और उनको वापस निकलना पड़े इसलिये उनको बसाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? बरसात का टाइम आवेगा, खेती का समय आवेगा तो वे लोग खेती के लिये डिमान्ड करेंगे। ऐसे बहुत से लोग आये हैं जो कि गवर्नमेन्ट सर्विस में हैं उनको किस प्रकार से बसायेंगे। उन लोगों के पास पाकिस्तान के करेन्सी नोट्स हैं जो उनके पास यों के यों ही रह गये हैं और न ही उनको कोई उनकी वेल्यू मिली है उनको बसाने के लिये क्या कर रहे हैं ? इसके लिये गवर्नमेन्ट को निर्णय लेना है। हम लोग ज्यों ही क्षेत्र में पहुंचेंगे उनके रिप्रेजेन्टेटिव हमारे पास पहुंचेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार उन शरणार्थियों को बसाने के लिये और उनके पास पाकिस्तान के करेन्सी नोट्स है उनके लिये क्या कर रही है ? इन सब प्रश्नों पर राजस्थान सरकार को निर्णय लेना है, केन्द्रीय सरकार से निर्णय लेकर अथवा और कैसे भी करना है मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय ले।

पानी की समस्या के लिये भी कुछ निवेदन करना है, मैं इस विधान सभा का पांच साल तक सदस्य रहा हूं और राजस्थान गवर्नमेन्ट ने पानी की समस्या को हल करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं, वे सराहनीय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को दृष्टिगोचर करते हैं तो हम पाते हैं कि उन लोगों को पानी मिला है। जहां ८-१० मील से पानी लाना पड़ता था, पाइप लाइन स्कीम मंजूर हुई भीमड़ा सेवापतु, डंडू से पनावड़ी। बाड़मेर में भी पानी की सप्लाई पहले से ठीक हुई है। बाड़मेर

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

नगर की पानी की स्कीम पांच-छः वर्ष पहले बनी थी उसके बाद बाड़मेर की काफी आबादी बढ़ गयी [सन् ७१ में आबादी ३८३४० थी और अब ४० हजार की आबादी हो गई है] और बोथिया एवं भाडका नल कूप से ही पानी पहुँचाया जा रहा है। यहां से पानी केवल बाड़मेर नगर को ही नहीं पहुँचाया जा रहा है बल्कि कपूरडी, जालेपा, बोथिया आदि गांवों को भी दिया जा रहा है। उस स्कीम को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें शिवकर, कुड़ला, मगना, बीड़ारेमो, बाड़मेर, आगोर वगैराह आते हैं। ६० हजार आबादी को पानी पहुँचाना है। अभी जो पानी दिया जा रहा है वह अपर्याप्त है। चीफ इन्जीनियर और सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर के सामने स्कीम रखी कि ३० साल की योजना बनाई जानी चाहिये। बाड़मेर टाउन से मिलिटरी को पानी देना पड़ता है और फेमीन एरिया को भी ट्रकों से पानी देना पड़ता है इसलिए २० लाख गैलन की स्कीम बननी चाहिये। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को १६ हजार की स्कीम भेजी। उन्होंने चीफ इन्जीनियर को भेजी जो स्वीकार करना आवश्यक है। बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र है। मिलिटरी को भी पानी पहुँचाना पड़ता है। छाछरो पाकिस्तानी इलाका था उसको भी पानी पहुँचाना पड़ा। गांवों की आबादी भी बढ़ गयी। इन सब बातों को दृष्टिगोचर रख कर गवर्नमेन्ट को जल्दी से जल्दी स्कीम मंजूर करनी चाहिये। अगर गवर्नमेन्ट ने ढील बरती तो यह समस्या कभी भी बड़ी गम्भीर रूप धारण कर सकती है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान का कभी भी युद्ध हो सकता है और छाछरा क्षेत्र है यहां पर पानी का भयंकर संकट है। यहां पर केवल बाड़मेर से ही पानी पहुँचाया जा सकता है इसलिये बाड़मेर नगर की स्कीम की स्वीकृति देकर शीघ्र से शीघ्र चालू करना चाहिये।

अब मैं रूरल वर्क्स के ऊपर आना चाहता हूँ। पानी की योजनायें जो रूरल वर्क्स के अन्तर्गत बनी हैं उसकी स्वीकृति नहीं हुई हैं। १० लाख की योजना स्वीकृत हो चुकी है। दस लाख रुपये से अधिक की योजनाएं हैं उनको भी स्वीकृत करवा कर, चाहे केन्द्रीय सरकार से भी करावें, कार्य शुरू कराना है। रूरल वर्क्स के अन्तर्गत गांवों में पानी के संकट को दूर करना चाहिये।

मुख्य मंत्रीजी ने अपनी घोषणा में यह उल्लेख किया कि दस करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जावेगा। यह उनकी घोषणा सराहनीय है, परन्तु ऐसा न हो कि इस घोषणा का पालन न किया जाय। अगर इस साल दस करोड़ रुपया खर्च करते हैं तो ग्रामीण जनता को बड़ा भारी लाभ पहुँचेगा और जल संकट की समस्या भी हल हो सकेगी।

माइनिंग विभाग की समस्या है उसके लिये भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बाड़मेर जिले में उत्तरलाई एवं कवास में जिप्सम माइन्स और सिंदरी फर्टीलाइजर्स जिप्सम निकालने का कार्य कर रही हैं। जोधपुर यूनिट में २० माईनिंग लीजेज दिये हुए हैं। सिवाय उत्तरलाई और कवास के अलावा अच्छा जिप्सम है जिसका सदुपयोग कर सकते हैं। ९० पर्सेन्ट कम्पोनेन्ट न हो, अच्छा जिप्सम न हो तब तक उसका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं और वह यूजलेस

Page No 29

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

माना जाता है। गवर्नमेन्ट को कोई रोयल्टी नहीं मिलती है। जिप्सम फर्टीलाइजर के जोधपुर के यूनिट के अधिकारी बार-बार यह कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने भी यह बात लायी गयी है। मैंने देखा है कि अच्छे जिप्सम की युटिलिटी हो रही है। दूसरा वेस्ट में जाता है। खराब जिप्सम की कोई चोरी करके ले जाते हैं और किसी तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। मेरा यह निवेदन है कि ग्रोन दी स्पोट या तो मिनिस्टर जायें ऑफिसर्स जायें या गवर्नमेन्ट और व्यवस्था करे लेकिन इस सम्पत्ति को वेस्ट न होने दें और सिन्धरी फर्टीलाइजर भी सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का इम्पोर्टेन्ट कन्सर्न है और गवर्नमेन्ट कन्सर्न को लाभ होता है तो अपने देश को लाभ होता है, वहां के मजदूरों को लाभ होता है, हमारे जिले के मजदूरों को लाभ होता है और राजस्थान को लाभ होता है। यह जो कन्डीशन रखी गई है यह जो प्रोविजो का क्लॉज रखा गया है उसको ओमिट करके दूसरा जो जिप्सम खराब है उसको बेचने का अधिकार उन्हें दिया जाय ताकि सारे जिप्सम का सदुपयोग हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अनुपूरक मांगों के विषय में मैं अपने विचार रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज चौधरी!

श्री चतुर्भुज चौधरी (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में दो सुझाव पेश करना चाहता हूं। जो हमारे सामने आंकड़े पेश हुए हैं, उसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मेरी ओर से मंजूरी दी जाय। इसमें हस्तक्षेप करना मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं।

सरकार की नीति के अनुसार फालतू समय खराब न करके इसको कार्यान्वित किया जाय। हमारे सामने सारी नीतियां समाजवाद की हैं। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं। मैं मेरे साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं हमारी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो समाजवाद अंग्रेजी कानून और किताबों से नहीं आ सकता है। यह मैं विश्वास नहीं कर सकता। समाजवाद को हमारे देश में लाना और समाजवाद को हमारे घरों और प्रदेश में लाना मुश्किल बात है। समाजवादी सम्मेलनों में हाका करने से समाजवाद नहीं आ सकता। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद मामूली बात नहीं है। अगर हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमारा यह सुझाव है सदन में कि हम स्वयं समाजवादी बनें। हम स्वयं समाजवादी नहीं बन सकते हैं और जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं तो वह विश्वास नहीं कर सकती है। समाजवाद लाने के लिये हम खुद समाजवादी बनें। समाजवादी बनने का रास्ता मेरी यह मान्यता है कि जितनी भी सम्पत्ति हमारे पास है, हमारे साथियों के पास है, हमारे प्रदेश में है, हमारे काका, बाप, माता के नाम पर है उसकी लिस्ट यहां सदन की मेज पर पहले आ जाय और उसके बाद हम समाजवादी बनने की बात करें। तब तो हम समाजवाद की तरफ जनता को ले जाने में सफल होंगे। जो लक्ष्य हमने रखा है और जिस लक्ष्य को ध्यान में रख कर हमारे देश की जनता ने और हमारे प्रदेश की जनता ने हमको वोट दिया है वह जनता उत्सुक है, वह इस बात के लिये इच्छुक है कि आज

(श्री चतुर्भुज चौधरी)

बहुमत समाजवाद का है तो जो सीलिंग के कानून है जमीन वाला और पैसे वाला उसको लागू न करें और जो कांग्रेस में रहना चाहते हैं लोग उनसे न पूछें और केवल विभाग खोल दें और विभाग खोल कर कानून बना दें तो कानून बनाने से ही कार्य सिद्ध नहीं होगा। कानून बनाने से जनता को पूरा विश्वास नहीं होगा। कानून बना कर हम समाजवाद नहीं ला सकते हैं। इसलिये सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद का अगर हम काम करना चाहते हैं तो हम स्वयं समाजवादी बनें। समाजवादी इस तरह से बनें कि जनता को विश्वास हो जाय कि कांग्रेस वाकई में समाजवादी है। न तो सम्मेलन में हाका पाड़ने से और न सदन में हाका पाड़ने से जनता आपको समाजवादी मानेगी....

श्री उपाध्यक्ष : जो अभी पहले कहा गया है उसकी मैं पुनरावृत्ति करूंगा कि जिस मसले पर और जिस मुद्दे पर बहस होना चाहिये उस पर सामान्य विषय पर न बोल कर स्पष्ट रूप से आ जायें।

श्री चतुर्भुज चौधरी : मैं थोड़े में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विषय से रेलेवेन्ट रहें।

श्री चतुर्भुज चौधरी : २० तारीख से आज तक मौका नहीं मिला। हम नये आदमी हैं इसलिये आप मौका नहीं देना चाहते हैं। हम बोलेंगे। हम बोलें और आप नहीं सुनना चाहते है तो भी हम बोलेंगे। दूसरों को आपने टाइम दिया। अगर आप टाइम भी नहीं देंगे तो भी ज़बरदस्ती हम बोलेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो दो दिन बाद आपको मनवा देंगे। माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मैं कहना चाहता हूं कि हम कानून नहीं चाहते हैं, हम काम चाहते हैं। हम मन्त्रिमण्डल में बैठने वाले नहीं हैं। हम काम चाहते हैं। हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा कि तीन वर्ष में यह होना चाहिये और हमारे मुख्य मन्त्रीजी ३ वर्ष में नहीं करना चाहते हैं, क्यों? राजस्थान एक छोटा सा प्रदेश है। जब वे हिन्दुस्तान में तीन वर्ष में ही करना चाहती है समाजवाद तो हम डेढ़ वर्ष में करना चाहते हैं। हम काम चाहते हैं इसलिये हमारी बात कोई सुनना पसन्द नहीं करेगा। लेकिन हम सुनाएंगे और उनसे काम कराएंगे। आपका आदेश मैं मानूंगा। समाजवाद के लिये मेरा एक ही सुझाव है और दूसरा सुझाव है सरकार के लिए। अगर आप समय देंगे तो मेरा सुझाव देने की कोशिश करूंगा। जय हिन्द!

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया!

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज करीब-करीब जो मांगें रखी गई हैं वे हर डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक रखने वाली हैं। सर्व-प्रथम पुलिस डिपार्टमेन्ट के लिये माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, या गृह राज्य मन्त्री महोदय यह स्वीकार करें कि हरेक पुलिस स्टेशन के सामने जो 'मे आई हेल्प यू' उसके स्थान पर 'मे आई हैरेस यू' के बोर्ड लगाने की मांग को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आजकल उस बोर्ड की जगह यह बोर्ड पुलिस वालों के लिये ज्यादा फिट होता है। पुलिस के बारे में इस सदन में भी कई बार चर्चा हुई है और अभी-अभी सदन के कुछ वक्ताओं ने भी इस पर प्रकाश डाला था। उपाध्यक्ष महोदय, जिस स्थान पर पुलिस स्टेशन है और मैन

(श्री मूलचन्द सामरिया)

गेट मन्दिर का बन्द है तो भी सवाई माधोपुर में मूर्तियों की चोरी हो सकती है और उसके लिये यह भी बताया गया है कि एक दीवार ऐसी थी कि जो पुलिस स्टेशन से लगी हुई थी उसको लांघ कर वह काम हो सकता था। तो मैं समझता हूं कि ऐसे गम्भीर मामले में तुरन्त जांच करवाई जाय और इस मामले को इसी सन्दर्भ में देखा जाय कि क्या ऐसे विभाग के लिए यह मांग मन्जूर की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पी० डब्ल्यू० डी० विभाग की मांग पर आ जाऊंगा और उसके बारे में पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि यह निर्माण विभाग है इसके बारे में आप देखें कि आज से दो साल पहले किसी अध्यापक ने सैकेण्डरी एज्यूकेशन के पर्चे में विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न पूछा था कि पी० डब्ल्यू० डी० में जो कमीशन होता था इन्जीनियर्स और अधिकारियों का वह तो एक तरह से करीब-करीब कानूनी शक्ल अख्त्यार कर गया है ५ या १० पर्सेन्ट। वह एक प्रश्न के रूप में आया था और उसको पढ़ कर विद्यार्थियों ने जवाब दिया था। तो इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार इस तरह से समा गया है कि विद्यार्थियों के लिए एक पर्चे के रूप में वह आता है। आज जिस व्यक्ति को २०० रु० तनख्वाह देते हैं तो क्या कारण है कि उसके पास में इतना आलीशान बंगला है? क्या इन्हीं लोगों के लिए इस मांग को मन्जूर करवा कर उनको दिलाना चाहते हैं? आज सड़कों की स्थिति देखिये। बरसात के पूर्व में कुछ काम करवा देंगे और बरसात में वह खत्म हो गया और जो पुराने गड्ढे हैं उनकी नाप हो जायगी। और एक की जगह १०-२० रुपये लगा दिये जायेंगे। कुछ अधिकारियों और कुछ ठेकेदार इनमें मिलकर बंटवारा हो जाता है। ऐसे विभाग के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये काम को समय पर पूरा नहीं कर सकते। काम होते-होते बरसात हो गई और मिट्टी बह गई और पैसा बह गया। इसी तरह से अकाल राहत के लिए जितना कार्य हुआ उसके लिए मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि २० पर्सेन्ट भी पैसा उन लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा कि जिनके पास जाना चाहिए था। बड़े-बड़े गबन के केसेज पाये गये। उनका कुछ नहीं हो सका। यह हालत हो गई है कि फर्जी मस्टर रोल बनाये गये और हजारों रुपये खा गये और जिन लोगों को राहत मिलना चाहिए थी उनको राहत नहीं मिली।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो बच्चों के लिए बैठने का स्थान नहीं है और दूसरी तरफ शिक्षा पद्धति के बारे में राष्ट्रपति, आदरणीय प्रधान मंत्री, गवर्नर साहब से लेकर हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर और अन्य हर स्टेट का गवर्नर और हर स्टेट का मिनिस्टर दिन-रात यह रट लगाते हैं कि शिक्षा पद्धति में दोष है इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन-प्रतिदिन और आज जो आंकड़े हैं वह दूसरे साल बढ़ जाते हैं। उसके बारे में कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। फिर ऊपर से यह नारा लगाते हैं कि यह व्यवस्था बदली जाये। इसके बावजूद उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं हो रहा है। आकाश से आकर कोई व्यवस्था को नहीं बदलेगा। मैं नहीं जानता कि क्या होगा। मैं समझता हूं कि यह रोजगार देने वाली व्यवस्था है। अगर ऐसा नहीं किया गया

Page No 32

(श्री मूलचन्द सामरिया)

तो देश के अन्दर क्रांति होगी। यह क्रांति खूनी भी हो सकती है। जो नौजवान आता है, वह अपने मां, बाप और बहनों को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकता है। उसके दिमाग में क्या रिएक्शन आ सकता है। अगर सरकार ने स्वयं ध्यान नहीं दिया तो यह जनतन्त्र और समाजवाद का नारा कुछ और ही रूप ले सकता है। प्राइमरी स्कूलों को पंचायत समितियों के अधीन दे रखा है। उनकी हालत मैं बताता हूं, उनके अध्यापक जैसे पंच और सरपंच के चपरासी हो गये हों। पंचों और सरपंचों के घरों पर उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये जाते हैं। जो बड़े-बड़े लोगों के मुंह लगे हुये हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको पंचायत विभाग से हटाकर शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में लेना चाहिए। जभी बच्चों के संस्कार ठीक बन सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दौसा नगरपालिका में जो अस्पताल है, वहां एक्स-रे की मशीन की खरीदने के लिए पैसा दिया गया। वहां मशीन लगाई गई लेकिन उससे दो बार भी फोटो नहीं लिये गये हैं। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है, जिससे कि उसका सुधार हो सके। गरीब से गरीब आदमी को भी अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जयपुर में ही आना पड़ता है। होस्पिटल में दवाई तो कुछ और चीज है, पट्टी भी नहीं मिलती है। गरीबों के साथ में [पुलिस अफसरों जैसा व्यवहार किया जाता है गरीबों के साथ में] हमदर्दी का व्यवहार होना चाहिए। चोर और डाकुओं जैसा नहीं होना चाहिये। जो साधन-सम्पन्न हैं, उनको वहां पर जगह मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या ये साधन बड़े-बड़े साधन-सम्पन्न और प्रभावशाली लोगों के लिए हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसकी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाये। प्राथमिक शालाओं को पंचायत समितियों से अलग किया जाये और शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लाकर उनका आनुकूल परिवर्तन किया जाये। वह जनता की सेवा करने के लिए है। राजनैतिक उपयोग करने के लिये नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस मांगों को टोटली रिजेक्ट किया जाय। यह राजस्थान की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल !

श्री जयकिशनलाल (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह विनियोग विधेयक रखा गया है, इसके सम्बन्ध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा समाज एक ऐसी एक स्थिति में है कि यदि हम इसकी वास्तविकता को ग्रहण नहीं करेंगे तो यह विधेयक और यह विनियोग विधेयक केवल कागजों तक ही सीमित रह सकते हैं। हमारे समक्ष इसकी कई डीलिंग आई हैं। इसके बारे में मैं विचार रखना चाहता हूं। जैसा कि शिक्षा के बारे में कहा गया है, आज हर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। और, हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा भविष्य क्या होगा। समाज के लिए कौनसी भावना को लेकर कार्य करना चाहिए या उसके मानसिक विचारों को किसी कारणवश कुचल देंगे तो उसकी वास्तविक शिक्षा नहीं हो सकती है। मैं अपने क्षेत्र का बता दूं। वहां म्युनिसिपल एरिया होने के बावजूद

(श्री जयकिशनलाल)

वहां पर हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं है। वहां पर कम से कम हायर सेकेण्डरी स्कूल तो होना चाहिए। वहां के विद्यार्थी कहां जायेंगे? क्या वे आटा, दाल सिर पर रख कर गांव-गांव घूमते रहेंगे? क्या यह वास्तविक स्थिति नहीं है?

दूसरी बात बिजली की समस्या है। यह विनियोग विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है। बिजली के लिए कुछ धनराशि हमारी सरकार ने रखी है। मेरा क्षेत्र फागी है। वहां कई कुए हैं, लेकिन वहां बिजली नहीं दी है। अगर वहां पर बिजली पहुंच जाय तो बिजली के कारण वहां पर आज जितना अनाज मिलता है, उससे चौ गुना अनाज पैदा हो सकता है। बिजली के कारण काफी अनाज वह क्षेत्र दे सकता है। दूसरे वहां की सड़कों की जो स्थिति है, हमारी सरकार ने जो विनियोग विधेयक रखा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में आप जाकर देखेंगे तो इस वर्ष भयंकर बाढ़ आ गई है। रास्तों की बात तो दूर खेत इस प्रकार से मिल गये हैं कि एक दूसरे को नहीं पहचान रहे हैं। इस कारण वहां पर लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं।

तीसरी बात कृषि सीलिंग कानून है। कल कई माननीय सदस्यों ने कहा था। यह सीलिंग कानून जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाये। जिन व्यक्तियों के पास हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई है, वे मालिक बने हुये हैं। एक तरफ वह भूमिहीन किसान है। अंशमात्र का टुकड़ा उसके पास नहीं है। वे अपने परिवार, जन्मभूमि और मातृभूमि को छोड़ कर दर-दर भटक रहे हैं। अगर गरीबों की वास्तविकता का ध्यान रखते हुए उनकी सहायता की जाये तो आज हमारे देश में जो जनता का ही एक अंग है, उसका पेट अच्छी तरह से पाला जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती है। जिसके पास अधिक जमीन है, उसके अगर चार लड़के हैं तो उसने अपने ५ लड़के बना रखे हैं। एक लड़का झूठा है, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ होगा लेकिन फिर भी उनके नाम से सीलिंग कानून को इस प्रकार से रोका हुआ है लेकिन उन पर हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यदि इस प्रकार ध्यान देकर सारे का सारा रेकार्ड लाकर यदि उसका सही रूप से निर्णय लिया जाए तो आज हमारे भूमिहीन किसान वास्तव में दुःखी नहीं रहते।

इस प्रकार से दूसरी बात यह है कि जैसे कल ही सदन में चोरों और डकैतों के बारे में लोगों ने विचार रखे, अपनी भावनायें प्रदर्शित कीं। वास्तव में चोर और डकैत कौन बनता है? यह हमारा कार्य है। यदि हम उपेक्षित समाज की ओर ध्यान दें तो चोरी और डकैती के नतीजे हमारे समाज में नहीं आ सकते। हमें उनके विचारों को बदलना पड़े, उनके लिए योजना बनानी पड़े, यदि हमारे देश और राज्य से गरीबी को दूर किया जाए तो वास्तव में चोरी के केसेज सामने नहीं आ सकते। मैं इसमें एक सुझाव दे सकता हूं कि समय-समय पर ऐसी समितियां कायम की जायें। वह व्यक्ति जो चोरी करता है, जो डाका डालता है, यदि उसको खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए जमीन दी जाए तो ऐसी स्थिति हमारे समाज में पैदा नहीं

(श्री जयकिशनलाल)

हो सकती। कल सदन में जब फूला डाकू का मामला आया, जिसको पुलिस ने मार दिया उस समय में सभी ने मेजें थपथपाई। लेकिन मुझे दुःख हुआ क्योंकि उसको डाकू किसने बनाया? समाज बनाता है। यदि उनकी व्यवस्था का दायित्व हम अपने पर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डाकू बनना समाज में एक अंश मात्र भी नहीं रह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : यह ग्रांट्स पर बहस है।

श्री जयकिशनलाल : वही बता रहा हूं। जैसे चिकित्सा है, सरकार ने राशि तय की है। चिकित्सा की दृष्टि से यदि हम गांवों में जाकर देखें तो शायद आनंदकर की गोली भी नहीं मिलती। यदि विश्वास नहीं हो तो उपाध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यों के समक्ष वहां की स्थिति रख सकता हूं। यदि सच्चाई से, वास्तविकता से हम देखना चाहें तो कहते हैं हैल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। यदि स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि हम समाज के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देंगे तो न हमें बिजली की शिकायत रहेगी, न जमीन की शिकायत रहेगी न हमें अन्न की शिकायत रहेगी। इसलिए सबसे पहले हमें स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपने राशि रखी है, उसको मैं मानता हूं, शिरोधार्य करता हूं लेकिन साथ ही साथ कुछ चिकित्सा व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए। एक स्थान पर तो बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं लेकिन दूसरी ओर यदि आप जाकर देखें तो सर दर्द दूर करने के लिए गोली भी उपलब्ध नहीं हो सकती। यह कहां का समाजवाद है?

आपने जन-स्वास्थ्य की बात कही है। जयपुर को ही ले लीजिए या गांवों को लीजिए। यह जो धनराशि है वह खर्च कहां की जाती है? जहां पर उसका वास्तविक खर्चा हमारे समक्ष रख दिया जाए और उसकी उन्नति यदि हमारे सामने उपलब्ध हो तो हमें विश्वास हो जाए कि यह धनराशि किसलिए खर्च की जा रही है।

आज गरीब की झोंपड़ी में जाकर देखो। न आबहवा, न रहने के लिए मकान, न सर्दी-गर्मी में सर ढकने के लिए छत है। यह जन-स्वास्थ्य की भावना कहां प्रदर्शित की जा सकती है? जहां महल है, जहां ४-४ कमरों में पंखे चल रहे हैं, पंखे तो क्या रेफ्रिजिरेटर्स चल रहे हैं। सारी की सारी धनराशि समाप्त की जाती है। इस धन को यदि आप गांवों में जाकर, झोंपड़ी के अन्दर रहने वाले भूमिहीन काश्तकार और गरीब जाति के लोग जो अपने पेट के लिए टुकड़ा मांग रहे हैं, उनके लिए राशि काम में ली जाए तो हमारा सदन और हमारी सरकार मानवीय बन सकते हैं।

आज परिवार नियोजन की बात है, धन खर्च किया जा रहा है और करना भी चाहिए क्योंकि आज परिवार नियोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन मेरे विचार कुछ इसके विरुद्ध हैं। केवल परिवार नियोजन के लिए यदि किसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध की जाए या उस पर धन खर्च किया जाए, इससे परिवार नियोजन नहीं चल सकता। परिवार नियोजन चलेगा व्यक्ति के मानस

Page No 35

(श्री जयकिशनलाल)

को बदलने से। उसके अन्दर वास्तविक आध्यात्मिक भावना डालनी चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करेगा और ऐसी समस्या सरकार के समक्ष नहीं आ सकती लेकिन एक तरफ हम देखते हैं सिनेमाबाजी, दूसरी तरफ मेहफिलबाजी, उससे प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को भड़काया जाता है और दूसरी तरफ कहते हैं परिवार नियोजन के लिए इस प्रकार धनराशि खर्च कर रहे हैं।

पशुपालन की समस्या भी हमारे सामने है। हम कहते हैं कि पशुपालन के लिए कितना धन खर्च किया और भविष्य के लिए कितना धन खर्च करने वाले हैं, लेकिन हमारे गांवों में जाकर आप देखें तो वहां पर योग्य गाय या बैल नहीं मिल सकता। यदि हम मांग भी करते हैं तो कोई सूचना नहीं। पशुपालन की बात आज २.५७ करोड़ जो राजस्थान की जनता है यदि प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह स्थिति रखी जाए तो वास्तविकता आपको नजर आएगी। अभी जब बाड़मेर के अन्दर अकाल पड़ा था तो हजारों की संख्या में मवेशी हमारे क्षेत्र में आए, जो वहां के प्रतिनिधि हैं। सही भावना

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

को रखें, पशुपालन की ओर ध्यान दें तो वास्तव में पशुपालन हो सकता है और अच्छी नसल मिल सकती है, यदि सही प्रयोग किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : समय हो चुका।

श्री जयकिशनलाल : अब मैं सहकारिता पर आता हूं। वास्तविक रूप से यदि खर्च किया जाए, सहकारिता की जो समितियां बनाई जाती हैं, यदि उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री आदि के चरित्रों को देखा जाए तो मिलेगा कि उनके घर की सहकारिता है। सहकारिता के रूप में यदि हम उन्हें धन देना चाहते हैं तो उनकी वास्तविकता की खोज करनी पड़ेगी, और उसके पश्चात् कौन व्यक्ति कहां के लिए उपयुक्त हो सकता है, तभी जाकर सच्ची विचारधारा उनके सामने रखकर सहकारिता से जो हमारी गरीब जनता है, बेरोजगार जनता है, उसके लिए हम सब प्रकार का कार्य कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय हो चुका है।

श्री जयकिशनलाल : एक मिनट। जहां तक औद्योगिक स्थिति का प्रश्न है, छोटे-छोटे उद्योग गांवों में जाकर स्थापित करें तो वहां की जनता वास्तविकता को ग्रहण करते हुए उसका सही रूप हमारे सामने लाएगी और जो गरीब जनता है उसको उद्योगों से लाभ मिलेगा। उद्योगों का फायदा उठाकर समाज को उन्नति की ओर ला सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के विचार यदि हम रखें तो आज हमारी जनता जो परेशान है, भूख के कारण, रहने के कारण, पहनने के कारण, यदि यह राशि इन बातों की ओर ध्यान देते हुए खर्च करें, सारी की सारी परिस्थितियों को लेकर खर्च करें तो आज हमारे सामने जो भयंकरता उपस्थित है, वह मिट सकती है। यह जो विनियोग रखा है उसके प्रति मेरी सहमति है और उसके साथ-साथ यह जो मेरी राय है सही रूप में देखी जाए, जिस प्रकार से विचार रखे हैं तो सार्थक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरिराज प्रसाद ! अनुपस्थित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल ! अनुपस्थित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ! अनुपस्थित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार ! अनुपस्थित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में सरकार की ओर से जो मांगें रखी गयी हैं उनके बारे में मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा, कि आज इस सदन के सम्मुख बातें तो समाजवाद की की जा रही हैं, बातें प्रगति की की जाती हैं, बातें विकास की की जाती है। आज सदन में यह कहा जाता है कि जनता ने हमें यहां भेजा है समाजवाद लाने के लिये। इसके लिये हमें गति के साथ आगे बढ़ना है और भी तेजी से आगे बढ़ना है। हमें राजस्थान में विकास करना है और हमें ऐसा विकास करना है कि राजस्थान का नक्शा ही बदल जाय। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, व्यवहार में अगर हम देखें, आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार की करनी को देखें तो वास्तव में हमें इसके ठीक विपरीत स्थिति मिलेगी। आज समाजवाद के स्थान पर राजस्थान में भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन दिया जाता है, आज राजस्थान के प्रशासन में लाल फीताशाही का जोर है। आज जिस प्रकार का राजस्थान में भ्रष्ट-शासन चल रहा है, वैसा शासन पहले वर्षों में नहीं था। आज पिछले एक साल से इस राजस्थान में जितना भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार फैला है मैं आपसे निवेदन करदूं उपाध्यक्ष महोदय कि पहले नहीं फैला। आज जो इस सदन के सम्मुख राज्य सरकार ने जो मांगें रखी हैं वे सही माने में पास नहीं होनी चाहियें। उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी इस सदन में डिमान्ड्स रखी गयी थीं। यहां पर उन्हें पास किया गया पर जिन कार्यों के लिये वे डिमान्ड्स पास की गयी थीं उनकी पालना सही तरीके से नहीं की गयी। आज डिमान्ड किस काम के लिये पास की गयी पर उस धनराशि को कांग्रेस सरकार ने किसी और काम में ली। आज इस प्रकार से इस भ्रष्ट कांग्रेस शासन में पिछले इतने सालों से रिश्वतखोरी पनप रही है, भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन खुले आम दिया जा रहा है और मैं तो कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि यहां पर तो आपा-धापी राज्य है। इसलिये सही अर्थों में समाजवाद लाना नहीं चाहते। आज आप ये डिमान्ड्स रख कर गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगाकर और गरीब करना चाहते हैं जो गरीब अपनी खून के पसीने की कमाई करता है उसे आप कुछ भी सुविधा नहीं देकर उससे छीनना चाहते हैं। आज एक मजदूर अपनी जिन्दगी बोइलर के सामने काम करके धीमे-धीमे अपने जीवन को झोंक कर अपनी कमाई करता है और अपने पेट को पालता है, आप उसकी मेहनत का अन्दाज कीजिये कि कितनी मेहनत से वह अपना पेट पालता है। उस पर आज आप ये डिमान्ड्स रख कर उस पर और टैक्स लगाकर उस पर और बोझ डाल रहे हैं। आज एक बच्चे के गरीब मां-बाप अपने बच्चे को अपना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पेट काटकर पढ़ाते हैं पर पढ़ लिख कर जब वह तैयार होता है और उसे नौकरी नहीं मिलती तो कितना दुःख होता है। उसके मां-बाप को आज आप बेरोजगारी के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इधर जनता पर आप टैक्स लादे जा रहे हैं। इस तरह की बेकार डिमान्ड्स का खर्चा बढ़ाकर व्योपारियों और सरकारी कर्मचारियों की कमर महंगायी से तोड़ दी है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अपील करूंगा और आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसे पास नहीं करें क्योंकि वास्तव में ये मांगें सभी बेकार हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे आज पुलिस की मांग पर एक डिमाण्ड रखी गयी है। यह डिमान्ड इसलिये रखी गई है कि पुलिस का आधुनिककरण किया जाय, आप पुलिस के महकमे का क्या आधुनिककरण करेंगे ? अभी-अभी कुछ समय पहले की बात है हिन्डौन में एक प्रश्न को लेकर इस सदन में कुछ चर्चा हुई। वहां पर पुलिस जो कि जनता की रक्षा के लिये होती है उन्होंने ही कुछ चोरों से मिल कर एक ऐसी योजना बनायी कि थाने के पास एक जैन मन्दिर है उसमें चोरी करवा दी। जब यह हालत पुलिस के महकमे की है, जब रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं तो ऐसे महकमे के लिये इतनी धनराशि क्यों मन्ज़ूर की जाये। अब इसमें क्या आधुनिककरण की जरूरत आन पड़ी ? जब पुलिस का महकमा मन्दिर में चोरियां करवाने में हिमायती रहे तो मैं समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार डिमान्ड्स सदन में रखना बिलकुल गलत है। इसके अलावा अभी हमारे सामने एक उदाहरण और आया था कि केकड़ी पुलिस वालों ने एक विद्यार्थी को लगातार ५-६ दिन तक थाने में रखा, उसे बुरी तरह से पीटा गया और तो और उपाध्यक्ष महोदय, उसकी पीठ पर जूते मारे, उसको इस तरह से पीटा कि वह चल फिर नहीं सके। इसके अलावा उसके गुप्तांगों पर चोटें मारीं फिर बाद में उसे चलाया गया। इसके बाद में उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वह बेचारा पुलिस के इस तरह के थर्ड रेट कार्य से रोने लग गया। ऐसी बुरी अवस्था उस विद्यार्थी की हो गयी थी। आज के युग में इस प्रकार की पुरानी रीतियां अपनाना बहुत ही शर्मनाक बात है पर पुलिस वाले बहुत ही रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी और अत्याचारी होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग द्वारा कैसे-कैसे कर्म आज किये जा रहे हैं। अभी १८ तारीख को मेरे पास इत्तला आई और मैं जोधपुर गया। वहां पर जाने पर मालूम हुआ कि पुलिस ने अभी जो दंगा चुनावों में हुआ था उसमें रूपकुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। यहां से एक पुलिस उच्च अधिकारी भी वहां पर इन्क्वायरी के लिये गये हुए थे। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस लड़के को थाने में ले जाकर उस उच्च अधिकारी के सामने बड़ी बुरी तरह से पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पांच पुलिस अधिकारी और थे। राजस्थान सरकार के उस उच्च-अधिकारी के सामने उन पांचों व्यक्तियों ने दो ने उसके हाथ पकड़ लिये और दो पुलिस के कान्स्टेबलों ने उसके पैर बांध दिये और एक आदमी उसकी छाती पर खड़ा हो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गया। उपाध्यक्ष महोदय, उस लड़के की पगतलियों पर डन्डों से बुरी तरह पीटा गया और वह बेचारा बहुत ही हीन अवस्था में जब अधमरा हो गया तो उसे पैदल चलाया गया। यह आपके पुलिस का आधुनिककरण, इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, एक लड़के रूपकुमार को पीटा गया। क्या यही आपका आधुनिककरण है ? यह तो अभी की ही बात है। पुलिस ऐसे कुकृत्य करें, उसके लिये अगर आप किसानों के गाढ़े खून की कमाई को इस अत्याचारी और रिश्वतखोर पुलिस को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसी भ्रष्ट पुलिस को आप मजदूरों की मजदूरी जिससे वे अपना पेट पालते हैं वह आप पुलिस के आधुनिककरण के नाम से उन्हें मदद देना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इन मांगों को पास न करें ताकि जनता का शोषण नहीं हो। अगर आप पुलिस को बढ़ावा देंगे तो जिस तरह से एक अधिकारी के सामने व पांच पुलिस अफसरों के सामने पुलिस के कान्स्टेबलों ने उस रूपकुमार को मारा है उसी तरह यहां पर और कुकृत्य होंगे। जनता जो पुलिस की रक्षा के लिये होती है वह पुलिस आज रक्षक नहीं है बल्कि जनता को परेशान करने वाली सरकारी मशीनरी है। मैं यह नहीं कहता कि आप दोषी व्यक्तियों को दण्ड नहीं दें। मैं कहता हूँ कि आप दोषी व्यक्तियों को सजा दो पर रूपकुमार को जो कि निर्दोष व्यक्ति है ऐसे निर्दोषों को दण्डित अकारण नहीं किया जावे। यही मेरी प्रार्थना है राज्य सरकार से। इसके अलावा एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जो डिमान्ड्स की लिस्ट निकली है उसमें कई मद हैं। इन मदों में करीब १५-२० मद ऐसे हैं जो सरकार ने उस धन-राशि को इसलिये रखी है कि राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस हार जाने से डिक्री उपाध्यक्ष महोदय, हो गई है। यह क्यों हुई है, इसका कारण मैं आपसे निवेदन करूंगा। वह कारण यह है उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सरकार ने अपने गवर्नमेंट एडवोकेट रख रखे हैं, जो सरकारी वकील रख रखें हैं वे सभी कोई तो मुख्य मन्त्री के चुनावों में पुराने कार्यकर्त्ता थे या कोई उनके रिश्तेदार थे या ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई है जो पॉवरफुल कांग्रेस के सत्ताधारी लोगों के रिश्तेदार हैं। इसलिये जिन्हें पूरा अपने धन्धे का ज्ञान नहीं, जिन्हें सिर्फ अपना पैसा पैदा करने का ही ध्येय हो उन्हें वहां पर भरण-पोषण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे किसी भी विभाग के बारे में सप्लीमेण्टरी डिमान्ड रखी गयी हो, चाहे वह कृषि विभाग हो, चाहे याता-यात विभाग हो, चाहे और कोई उद्योग विभाग भी हो पर इन सभी केसेज में सरकार के खिलाफ में डिक्री हुई। मैं इसका मतलब यह लेता हूं कि सरकार की तरफ से पैरवी ठीक तरह से न्यायालय में नहीं की गई। आज अगर हम जिन केसेज में सरकार के खिलाफ डिक्री हुई है उनका विश्लेषण करें तो हमें कई केसेज में पता लगेगा कि सिर्फ आपके गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स एफीशियेन्ट नहीं होने की वजह से सरकार को यह नुकसान हो रहा है। इसलिये आज यह १५, २०, मदों में जो सरकार ने करीब ८-१० लाख रुपये की अनुमति उन डिक्रियों की भुगतान के लिये मांगा है उन्हें पास नहीं किया जाय और जिन अधिकारियों को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गलती से यह हुआ है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये ताकि जो आज गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स व सरकारी वकील जो कि मन्त्री महोदय के चापलूस हैं और जिन्होंने सन् ६७ के चुनावों में मुख्य मन्त्रीजी की जोधपुर में चुनावों के वक्त मदद की थी उन्हें वहां से हटाया जाय। आज राजस्थान हाई कोर्ट का उदाहरण आप देख लें। पिछले चुनावों तक ६७ के चुनावों के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट का जो पैनल था उसमें सरकार की तरफ से असिस्टेन्ट एडवोकोट, डिप्टी एडवोकेट आदि के नाते जिनकी नियुक्तियां की गई और कोई क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं थी सिवाय इसके कि सन् ६७ में जिस जगह से मुख्य मन्त्रीजी ने चुनाव लड़ा उसमें एक वार्ड के वे इन्चार्ज थे। इस तरह से जिन-जिन लोगों ने कांग्रेस की चुनावों में मदद की, मन्त्रियों की मदद की या जो कांग्रेसी थे, पर चुनावों में हार गये और जिनके पास काम नहीं था या जिनकी वकालत चल नहीं रही थी ऐसे अपने चाटुकार लोगों को, अपने चमचों को सरकारी तौर पर राजस्थान हाई कोर्ट के अन्दर असिस्टेन्ट एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट या गवर्नमेन्ट एडवोकेट नियुक्त किया गया सरकारी एडवोकेट के पैनल में। अब वास्तव में वे काबिल थे या नहीं यह नहीं सोचा गया। योग्यता का मापदण्ड जो था उसको वे पूरा करते थे या नहीं इसकी परवाह किसी ने नहीं की।

ऐसी स्थिति में यह सोचने की बात है कि इनके लिये जो सरकार खर्च कर रही है वह पैसा राजस्थान की गरीब-जनता कैसे दे? सरकार को विचार नहीं आया, कि आखिर यह पैसे का बोझा तो गरीब जनता पर ही पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मुख्य मन्त्रीजी से और कानून मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के राजनैतिक भ्रष्टाचार को बन्द किया जाय। यह स्पष्ट रूप से राजनैतिक भ्रष्टाचार है। यही कारण है कि आप हर मुकदमा हारते हैं और लाखों की डिक्रियां सरकार पर होती रहती हैं। किसी विभाग की ओर से राजस्थान की पैरवी करने के लिये उपयुक्त वकील उपस्थित नहीं होता। सरकारी विभागों की तरफ से जिस तरह की पैरवी की जाती है उस पर राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश हंसते हैं। कहते हैं सरकारी महकमे हैं ये। राजस्थान का खजाना बहुत बड़ा है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार यह नहीं सोचती कि यह गरीबों की जेब से पैसा जाता है। यह पब्लिक एक्सचेकर का मनी है। वे इसके ट्रस्टी हैं। इस तरह से लुटाने के लिये इस तरह से अपने कृपा पात्रों को देने और राजनैतिक भ्रष्टाचार को पनपाने के लिये नहीं है। ये वकील जो भ्रष्टाचार के कारण नियुक्त होते हैं फेवरेटिज्म के कारण आते हैं, मुकदमों में सौदेबाजी करते हैं। मुकदमा लड़ते नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी आपके सामने दो दिन पहले उदाहरण रखा गया और एक जिम्मेदार सदन के सदस्य ने जिम्मेदारी के साथ सदन में भी कहा कि जोधपुर में जो दंगा और लूटपाट अभी हुआ उसमें एक व्यापारी कादरबख्श की दुकान से ४० लाख का माल लूट लिया गया। मैं जोधपुर अभी गया और जांच की। मुझे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यह जान कर आश्चर्य और हैरानी हुई कि एक नये पैसे का माल उसकी दुकान से नहीं लूटा गया। उसकी दुकान पर कोई लूट-पाट नहीं हुई। पर सरकार की पोल के कारण भाई लोगों को मुफ्त का माल सरकारी खजाने से लेना है इसलिये यह षड्यंत्र रचा गया। सदन में कहा गया दस लाख का सामान लूटा गया। अब न्यायालय में मुकदमा जावेगा, पैरवी कौन करेगा? ये ही लोग करेंगे और आगे जाकर डिक्री हो जावेगी। पब्लिक एक्सचेकर का मनी, गरीब किसान, मजदूरों का पैसा इस प्रकार राजनैतिक सौदेबाजी में चला जाय और बाद में आप यहां आकर इस तरह की सप्लीमेन्टरी की डिमाण्ड लावें यह कौनसा समाजवाद है आपका?

मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, हमारी न्याय प्रणाली में सरकारी पक्ष की ओर से जो अधिवक्ता न्यायालय में भेजे जाते हैं उनकी चुनाव प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। राजनैतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करके विशुद्ध योग्यता के आधार पर लोगों का चयन किया जाना चाहिये और ऐसे ही लोगों को सभी स्थानों पर हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जजी में अथवा पी. एस. सी. में, मुन्सिफ कोर्टों में भेजा जाना चाहिये। इसी तरह से रेवेन्यू बोर्डों में भी और हाई कोर्ट में और अन्य कोर्टों में भी नियुक्तियां शुद्ध मैरिट्स पर की जानी चाहियें। यह भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना चाहिये अन्यथा लाखों की तादाद में जो आज रुपया सरकार का बर्बाद हो रहा है वह होता रहेगा और उसमें वृद्धि ही होगी। ह्रास की सम्भावना नहीं है और यह अनावश्यक रूप से सरकार पर बोझा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में आश्वासन दिया गया था कि रेवेन्यू बोर्ड में उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जावेगा जो जूडिशियरी का एक्सपीरियन्स्ड हैण्ड होगा और डिस्ट्रिक्ट जज की कैडर का होगा। लेकिन आज दिन तक इसका पालन नहीं किया गया। अगर वास्तव में मैरिट पर योग्यता के आधार पर नियुक्तियां नहीं की गईं और इसी तरह से फेवरेटिज्म होता रहा, अपने चाटुकारों को भरती करते रहे तो इन दस-बीस लाख की अनुपूरक अनुदानों की मांगों से ही काम नहीं चलेगा, करोड़ों की नौबत आ जावेगी। करोड़ों की डिक्रियां सरकार पर होंगी। वही मुद्दई और वही मुद्दायला होगा। राजनैतिक कारणों से मिल कर सरकारी खजाने को हड़पने की नीयत से मुकदमे लड़े जावेंगे और सरकारी एक्सचेकर का भार बढ़ जावेगा। जो पैसा गरीब किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी वर्ग की गाढ़ी कमाई में से आता है और जिसका वाजिब हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की न्यायपूर्ण मांगों की पूर्ति में खर्च किया जाना चाहिये वह उनको नहीं दिया जाकर इन लोगों की जेब में जावेगा। अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो इसकी तादाद करोड़ों तक जाने वाली है और जिस दिन ऐसा होगा वह दिन राजस्थान के लिये बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि मांगें जो रखी गई हैं वे अधिकतर फिजूल खर्ची के कारण हैं। अगर सरकार अपनी फिजूल खर्चियों

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को ही रोक दे तो इन डिमान्ड्स की आवश्यकता ही नहीं रहे ।

सरकार की कोई भी मद ले लीजिये आप। आबकारी विभाग ले लीजिये नमूने के तौर पर। मैं आपको इसकी दास्तान सुनाता हूं कि इसमें क्या-क्या होता है। जालौर तथा अन्य स्थानों पर जहां कि प्रोहिबिशन किया हुआ है इस विभाग द्वारा बनाये गये शराब की बिक्री के भयंकर अड्डे हैं जहां लाखों-करोड़ों की शराब बेची जाती है और इस तरह से इस विभाग के सारे कर्मचारी और अधिकारी इस भ्रष्टाचार और व्यापार में लिप्त हैं। जोधपुर में सरकार की डिस्टिलरी है, आबकारी विभाग के अधिकारियों के कार्यालय हैं। अब वे कौन-कौन हैं इस भ्रष्ट काम में नाम मैं उनका नहीं लूंगा। एक नहीं कई हैं। लगभग सारा विभाग ही इसमें लिप्त है आप यों ही मान कर चलें। ये क्या करते हैं। वे इन ड्राई एरिया में जाकर देखते हैं कि कौनसा ठीक अड्डा बन सकता है। इसके बाद वे जोधपुर में आस-पास में अपने भाई-भतीजों को शराब के ठेके देते हैं जिनमें उनका भी बहुत बड़ा शेयर होता है। फिर वे अधिकारी ऊपर के मन्त्री महोदय तक की साजिश के साथ, पुराने मन्त्रीजी के बारे में ही मैं कह रहा हूं, अभी का तो मुझे मालूम नहीं हो सका है, उनके प्रोटेक्शन में जीपों से तथा अन्य साधनों से वह शराब वहां भिजवा कर उन ड्राई एरिया में भिजवा कर अपने गुप्त अड्डों पर बिकवाते हैं और काफी ऊंची रेट पर बिकवाते हैं। इसके लिये विभाग के लोग प्रोटेक्शन फोर्स तक की मांग करते हैं और उसकी एस्कोर्ट में धुंआधार रूप से यह व्यापार चलाया जाता है। तो वह फोर्स भी एक तरह से रक्षक नहीं, भक्षक बन कर इस व्यापार को वहां ड्राई एरिया में मजे से पनपाती है। उनके साथ साजिश करके, उनके साथ षड्यन्त्र करके ड्राई एरिया में इस तरह से ये सरकारी अधिकारी शराब भिजवाते हैं और महंगे भाव पर बिकवा कर अपने भाई-भतीजों को मालामाल बनवा रहे हैं। खुद भी मालामाल हो रहे हैं। अन्दरूनी तौर पर भी सरकार की यह ड्राई एरिया की पॉलिसी है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी स्थिति में मेरी यह पुरजोर मांग है कि इस आबकारी विभाग की मांगों को तो ठुकरा दिया जाना चाहिये। इस रकम को तो विभाग के अधिकारियों से ही वसूल की जानी चाहिये और इस क्षति की पूर्ति उन्हीं से की जानी चाहिये। यह वास्तविक रूप में एक भ्रष्टाचार की मांग है जो सदन में उपस्थित की जा रही है। इसमें भयंकर भ्रष्टाचार की बदबू आती है। यह पवित्र मांग नहीं है। नापाक मांग है। इसे ठुकरा दिया जाना चाहिये सदन के द्वारा। सदन को इस नापाक मांग में अपने को सहयोगी बनने से इन्कार कर देना चाहिये।

इसी प्रकार निवेदन करूंगा कि आज आपके सामने जो सरकार की ओर से अधिनायकवाद का परिचय दिया जा रहा है कारण यह है कि लोगों ने कई हजार की तादाद में कट मोशन दिये हैं। पर इस पर व्यवस्था दे दी गई है कि कट मोशन नहीं आ सकते। नियम को समाप्त कर दिया गया। कट मोशनों को सदन में आने की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि चिन्तन और मनन और मन्थन करके सदन के माननीय सदस्य सरकार की अनिय-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मितताओं की तरफ ध्यान आकर्षित कर सके। पर उसका अवसर नहीं दिया गया। नीर-क्षीर विवेक के लिये अवसर नहीं दिया गया। कह दिया गया कि सारे कागज एक साथ पढ़े गये समझे जावें। तो इस तरह से नियमों की परिपाटी तक को समाप्त करके समाजवाद नहीं अधिनायकवाद लाया जा रहा है। सदन के माननीय सदस्यों को विचाराभिव्यक्ति का अवसर नहीं दिया जा रहा है, उनका दम घोंटा जा रहा है। बहुमत के आधार पर यह विधेयक पास कर लिया जावेगा, इसमें सन्देह नहीं। पर जिन मुद्दों पर हमें हर किसान, मजदूर, विद्यार्थी वर्ग को समझाना पड़ेगा कि क्यों उनसे करोड़ों रुपयों की मांग की जा रही है, तब अगर यहां बहस नहीं होगी तो उनको क्या समझा पावेंगे कि यह रुपया किसलिये गरीबों की जेबों से मांगा जा रहा है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य आसन के लिये कह रहे हैं कि अधिनायकवादी वे हो गये हैं, जिन्होंने कट मोशन उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी। इस अधिनायकवाद शब्द पर मैं आसन की व्यवस्था चाहता हूं। माननीय सदस्य को सदन के आसन की गरिमा के प्रति इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये। यह आसन का अपमान है। यह सरकार का काम नहीं है। सदन का और आसन का काम है कट मोशन्स लेने नहीं लेने के बारे में निर्णय देने का।

श्री उपाध्यक्ष: वक्ता महोदय स्वयं स्वीकार कर चुके हैं।

श्री मोहरसिंह (चूरू): वे नियमों की बात कर रहे हैं। आप इस पर निर्णय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: वे स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी है। इसलिये दुबारा इसमें व्यवस्था देने का प्रश्न नहीं उपस्थित होता। आप उनको बोलने दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा: श्रीमन्, मैंने आसन की गरिमा के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा। पर यह मेरा दुर्भाग्य है कि जब-जब मैं सही-सही बात सदन में कहना चाहता हूं सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य उनको सुनना भी गवारा नहीं करना चाहते। क्रियात्मक रूप से उन पर चिन्तन, मनन और आचरण करना तो दूर रहा। यह दुर्भाग्य है राजस्थान का और इस समाजवाद का ढोल पीटने वाली सरकार का। आसन का जो आदेश होगा उसको शिरोधार्य किया जायगा, उसको स्वीकार किया जायगा, लेकिन मैं सत्तारूढ़ दल के नेताओं से, मंत्रिमण्डल से और अन्य व्यक्तियों से इस बात को निवेदन कर रहा था कि सत्ता के रूप के अन्दर, बहुमत में आकर इस बात का प्रयास न करें। प्रश्न इस बात का है हमारे सामने कि करोड़ों रुपयों की ग्रान्ट हमसे कराना चाहते हैं, और ग्रान्ट्स को लेना चाहते हैं। श्रीमान्, १९७१-७२ के अन्दर पूरा बजट था, उसमें २३३ करोड़ ८३ लाख रुपये की मांग थी, और आज पूरक, सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड से चाहते हैं वह १५८ करोड़ रुपये की मांग उसके बीच में है। अब अपने को निर्णय करना इस बात का है कि क्या राजस्थान सरकार के फाइनेन्स डिपार्टमेंट के अन्दर जो मंत्री महोदय थे अथवा कार्य

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

करने वाले अधिकारी थे, वे इस बात के लिए विजुएलाइज कहीं कर सकते कि पचास पर्सेन्ट इन्क्रीज करवाना चाहते हैं, पचास पर्सेन्ट बढ़वाना चाहते हैं खर्च के अन्दर। यदि इसको पहले रखते सदन के सामने, जिस समय पहले मांग की गई थी क्योंकि यह पूरक मांग नहीं है, सप्लीमेण्ट्री नहीं है, यह काया पलट है, पूरा बजट २३३ करोड़ रुपये का आया, अब १५८ करोड़ रुपये बढ़ाने की मांग, सप्लीमेन्ट्री मांग की तारीफ में नहीं आ सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस मांग को अस्वीकार कर दिया जाय।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, बंगाल गवर्नमेंट के बारे में डिमाण्ड की गई है। बंगला देश का प्रश्न, जिस प्रकार सबको विदित है, हमने सम्मान के साथ में, सफलता के साथ में हल कर दिया और अब बंगला देश हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संधि हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर संधि हुई है उसमें जिस प्रकार की व्यवस्थायें हैं, उनका निस्सन्देह रूप से हमें पालन करना है, लेकिन राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर बंगला देश के नाम पर अब भविष्य में और बोझ डाला जाय, वित्तीय बोझ डाला जाय यह मैं समझता हूं, उचित नहीं है। बंगला देश आजाद हो चुका है, स्वतन्त्र देश है, उसकी अपनी सरकार है, उसके अपने विभाग हैं, इसलिए राजस्थान के मतदाता के ऊपर, राजस्थान के साधारण नागरिक के ऊपर बंगला देश के नाम पर इस मांग से बोझा डालेंगे, जैसे कि इसके अन्दर मांग की गई है। मेरा निवेदन है, इसके पृष्ठ १५ के ऊपर ७१-विविध नाम से जो बंगला देश को विशेष अनुदान हेतु १० लाख रुपये की मांग की गई है, मेरी श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, प्रार्थना है, सदन इस मांग को अब स्वीकार न करे। बंगला देश की स्थिति अब समाप्त हो चुकी है और अब आवश्यकता इस बात की है कि विगत में पाकिस्तान के नया छोर से, अन्य स्थानों से बाड़मेर, जैसलमेर चौहटन में हमारे शरणार्थी भाई आकर बैठे हैं। उनको इस बात की कठिनाई है, रहने के लिए स्थान नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। वे आज इस प्रकार की करुण अवस्था में हैं। तकाजा इस बात का है, आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी सब प्रकार से सहायता करें, उनकी मदद करें और उनको अपनायें और इस सदन के द्वारा इस बात की गारन्टी दें कि उनको खूंख्वार भेड़ियों को नही सौंपा जायगा। उनका आज हृदय चिन्तित है, वे घबरा रहे हैं कि भारत हमेशा ताशकन्द करता आया है, भारत सरकार रण में हमारे जवानों ने खून देकर जो भूमि जीती है उसे टेबल पर बैठ कर वापस कर देती है। उनकी चिन्ता खून व्यर्थ जाने की है। इसलिए इस बात की गारन्टी देनी है कि जो जवानों ने खून देकर भूमि ली है वह वापस नहीं देंगे और आज जो सिन्ध का हिस्सा भारत में मिला है वह हमेशा भारत के साथ रखा जायगा– इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करूंगा, आज रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का २२० लाख का व्याज थोपा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि राजस्थान की गरीब जनता, राजस्थान के मजदूर, राजस्थान के किसान इस बात की सरकार से

Page No 44

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पूछेंगे कि आपने इतना बड़ा कर्जा, इतना बड़ा ओवर-ड्राफ्ट किस बात के लिए लिया, क्यों लिया ? सरकारी कर्मचारी मांग करते हैं महंगाई भत्ते की, तो उन पर घोड़े दौड़ाये जाते हैं, उन पर लाठी चलाई जाती है, जैल में उनको डाल दिया जाता है। आज मजदूर मांग करते हैं तो लोक-आउट कर दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आपने यह रकम क्यों ली, किस काम के लिए ली, कहां उपयोग किया, किस प्रकार उपयोग किया और २२० लाख ब्याज के लिए कैसे देते हैं ? जनता इस बात की मांग करेगी। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से जो ओवर ड्राफ्ट लिया, असल में यह ओवर-ड्राफ्ट को चुकाने के लिए नहीं है, यह केवल उस ओवर-ड्राफ्ट का ब्याज के रूप में देने के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जल्दी-बाजी के अन्दर, पूरक मांग के नाम पर, सदन में अपने बहुमत के कारण से इसे पास अवश्य करा लें लेकिन राजस्थान की जनता इनको हमेशा कटघरे में खड़ा करके पूछेगी, जवाब तलब करेगी कि यह बोझ क्यों डाला जा रहा है, किस कारण से बोझ डाला जा रहा है, राजस्थान के अन्दर कौनसा विकास का कार्य किया ? राजस्थान की सीमा से सेनायें नये छोर की तरफ जा रही थीं तो उनको पानी उपलब्ध नहीं था, सड़कें तक नहीं थीं तो कहां पर आपने विकास का कार्य किया है। आज यह बोझ थोपा जा रहा है और २२० लाख का ब्याज दिया जायगा। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान सरकार की ओर से सदन के अन्दर यह मांग रखी गई है, इसको ठुकरा दिया जाय, यह राजनैतिक शोषण बहुमत के द्वारा गरीब जनता और मजदूर किसानों का है, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल, संगठन कांग्रेस !

श्री झाबरमल (फतहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मांग रखी गई है, इसमें कुछ ऐसा लगता है कि उन महकमों में ज्यादा रूप से खर्च किया गया है जहां अधिकारियों का बोलबाला ज्यादा है। जन-प्रतिनिधियों की मांग यह हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। जिन महकमों में अधिकारी लोग स्वेच्छा से ऐसे स्थान निकाल सकते हों जहां पर ये लोगों को नियुक्त कर दें, उनके लिए यह मांग रखी है और हम फिर उनके समर्थन में हां कह दें—मैं इसका समर्थन करने के लिए कतई तैयार नहीं हूं। जो भी ऐसी मांग है, जो शुरू की मांग से आधे से भी ज्यादा है और जिनसे साफ ऐसा लगता है कि अधिकारी लोग मनमाने ढंग से ऐसा करते हों अपने फायदे के लिए, अपने कुटुम्ब के लिए या अपने उन आकाओं के लिए जिनकी परवरिश से वे बैठते हैं, उनका संरक्षण मिलता है। एक-एक अधिकारी एक जगह से दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल तक रहता है, उसको संरक्षण के रूप में स्थानान्तरित नहीं किया जाता, उसको स्थाई किया जाता है। ऐसी मांग का समर्थन मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर इन मांगों के साथ में जितने महकमों के लिए यहां मांग रखी गई है डिक्रियों के लिए, जो डिक्रियां कर दी गईं, सैशन कोर्ट या मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी कोर्ट से, उसके लिए पैसा दिया जाय तो मैं कहता हूं कि

(श्री भावरमल)

सरकारी वकील वहां मौजूद रहते हैं, तो फिर किस कारण से यह पैसा हमको देना पड़ा। मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया है कि सरकारी वकील पूरी तरह से अपनी सरकारी ड्यूटी का अन्जाम नहीं देते हैं, या तो वे गैर हाजिर रहते हैं या इस तरह का इन्तजाम करते है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के पक्ष में वकालत नहीं कर सकते। इसलिए यह पैसा हमें देना पड़ता है। मैं यह चाहता हूं, सरकारी वकील को या तो आगाह किया जाय कि सरकारी वकील की कमजोरी के कारण हुआ है, उनके पद की जिम्मेदारी का उनके द्वारा निर्वाह न करने के कारण हमें यह पे करना पड़ रहा है, इसलिए इन मांगों का समर्थन करके यह पैसा हम यहां से दें– यह हम नहीं चाहते हैं।

इसके साथ ही संतुलन भी इसमें नहीं रखा गया है, कृषि के महकमे में बहुत कम किया गया है, सहकारिता के महकमें में बहुत कम किया गया है। अनुपूरक मांग वहां से आ सकती थी, लेकिन उन्हें न तो काम करने के लिए अवसर दिया जाता है, न वहां के अधिकारी समझ सकते हैं कि हम करेंगे तो हमको परवरिश मिलेगी। इसलिए मैं यह भी चाहता हूं कि इस तरह की बात समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाने वाले महकमों की तरफ से कम आ रही है, वह उन अधिकारियों की कमजोरी से नहीं आ रही हैं, बल्कि उन महकमों के जो हैड हैं, मिनिस्टर हैं, उनका संचालन कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनको छूट रहनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की बात न आवे।

पुलिस का जहां तक सवाल है, चोरियां लगातार हो रही हैं, राजस्थान में ऐसी खास-खास जगह हैं, जैसे डकैती के लिए धौलपुर, चोरी के लिए नीम का थाना और उसके आसपास। न तो वहां ऐसे केन्द्र लगाये जाते हैं जिससे चोरों को पकड़ने की व्यवस्था हो, न डैकोइट्स को खत्म करने के लिए इन्तजाम है। डैकोइटी समाप्त करने के लिए व्यवस्था की जाती और उसके लिए अनुपूरक मांग आती है तो हम उसका समर्थन खुशी के साथ करते। लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। अगर पुलिस स्टेशन पर जीप गाड़ियां दी जाती हैं तो वे ड्यूटी का अन्जाम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह की बातें आतीं तो मैं उसका समर्थन करता लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं आया। मैं इन सब बातों के हिसाब से यह समझ पाया हूं कि जो पूरक मांगें हैं वो बेकार हैं और मैं इनका समर्थन नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीमल।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अनुपूरक मांगों पर जो चर्चा चल रही है उसके बारे में निवेदन करना है और सर्वप्रथम मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में। जो पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को मिलनी चाहियें वे कतई नहीं मिलती हैं। कई दिनों तक विद्यार्थी इधर-उधर भटकता फिरता है और स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें विद्यार्थियों को मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे पढ़ाई में बहुत बाधा पहुंचती है। दूसरे स्कूलों में कई कमियां हैं–विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये पूरे कमरे नहीं हैं, बैठने को जगह

Page No 46

(श्री केसरीमल)

नहीं है, मास्टरों के बैठने की जगह नहीं है। ऐसी हालतों में न तो मास्टर ही और न विद्यार्थी ही अपनी ड्यूटी का पूरा अन्जाम कर सकता है। यह भी मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी जगह स्कूलों के कमरे बनाये जायें। ऐसी-ऐसी मुश्किलात में भी गांव-गांव में चन्दा किया है तो उससे मकानात बनाये जायें इसमें सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्राइमरी स्कूलों को ठीक बनाया जाय और प्राइमरी स्कूलों से हायर सैकेण्डरी और सैकेण्डरी में क्रमोन्नत किया जाय-इस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसी प्रकार जो शफाखाने के मसले हैं उस पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। ब्यावर का जो शफाखाना है उसका बजट कम है। वहां के शफाखाने का जो बजट है वह सब तनख्वाहों में ही चला जाता है, दवा वगैरह उस बजट से उपलब्ध ही नहीं हो पाती है और इसी प्रकार जवाजा गांव है। वहां की भी हालत खराब है, इसके बजट को नहीं बढ़ाया जाता है। वहां पर जो आने वाले मरीज हैं वे केवल सलाह ले सकते हैं या पर्चियां बनवा सकते हैं। दवा वगैरह उनको कतई नहीं मिलती है और किसी प्रकार की कोई सहूलियत मरीज नहीं ले सकता है। ब्यावर के आडू-बाजू में कोई बड़ा शफाखाना नहीं है इसलिए दूर-दूर के लोग इसमें आते हैं इसलिए मेरा निवेदन है इस शफाखाने की शैयाओं की तादाद को बढ़ानी चाहिये और दवा वगैरह का पूरा इन्तजाम करना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। दवा की कोई व्यवस्था नहीं है जो मरीज आता है वह जमीन पर पड़ा रहता है। इसलिये व्यवस्था ठीक करके यह राहत दिलानी चाहिये। मैं इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ब्यावर का इलाका पहाड़ी है जहां वर्षा का स्तर कम है। हर दूसरे साल अकाल पड़ता रहता है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जगह-जगह कुए खुदवा कर ऐसी व्यवस्था करें कि पीने को पानी मिल सके और सारे इलाके में पीने के पानी की व्यवस्था हो। इस जिले के लोग कई वर्षों से ऐसी मांग करते रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। खास तौर से ब्यावर पौन लाख की आबादी का शहर है। वहां पर आज ऐसी स्थिति है कि एक-एक घड़े के लिये कई-कई घंटों खड़ा रहना पड़ता है और फिर भी पानी हाथ नहीं आता है। बार-बार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि ब्यावर के पास से ही पानी लाया जा सकता है लेकिन आपसी दबाव में आकर उस पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। उस क्रम को आगे नहीं बढ़ाया गया। अगर आज पानी के लाने की व्यवस्था की गई होती तो ब्यावर की यह हालत नहीं हुई होती। ५-१० लाख रुपया पानी देने के लिये कट किया जाता है। पैसा तो बहुत खर्च होता है लेकिन स्थायी हल निकालने की बात नहीं होती है। स्थायी हल निकालने के लिये रायपुर से पानी लाने की व्यवस्था की जाय और जो जीवन की बहुत आवश्यक चीज है उसकी सहूलियत दी जाय।

इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई के मामलों में बड़ी तकलीफ

(श्री केसरीमल)

है। वे आर्थिक हालत से दबे हुये रहते हैं। उन लोगों को जो वजीफे मिलने चाहियें वे नहीं मिलते हैं। कुछ बच्चों को मिलते हैं लेकिन कुछ के लिये मांग करते रहते हैं वे नहीं मिलते हैं इसलिये वजीफे की रकम बढ़ाई जानी चाहिये। विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा वजीफे मिलें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

अभी हमारा जो इलाका है उसमें सर्दी में जो शीत लहर आई उससे फसल को बहुत नुकसान हुआ है। सारी फसल नष्ट हो गई है। वहां पर लगान को माफ करना तो कहीं दूर रहा कर्जा वसूली तेजी से की जा रही है और लगान के अन्दर भी बढ़ोतरी की जा रही है। कई जमीनों पर जब कि अंग्रेज राज्य कर रहे थे उस इलाके की हालत को देखकर और भौगोलिक हालत को देखकर जितना लगान लिया जाना चाहिये था उसका ४० प्रतिशत ही लगान लगाया जाता था। अब ४० प्रतिशत को बढ़ाकर १०० प्रतिशत किया जा रहा है: एक तरफ तो अकाल पड़ता है और दूसरी तरफ लगान बढ़ाया जाता है, यह कहां तक उचित है। दूसरे उनकी जो जमीनें हैं वे अलाभकारी जमीनें हैं उन पर लगान बढ़ाया जाय यह ऐसा होगा जैसा आग में घी डालने जैसी बात होगी। यह बन्द करना चाहियें और लगान बढ़ाना नहीं चाहिये। अकाल की जो स्थिति है उसमें उनको जिन्दा रखने के लिए कोई काम-धन्धे खोलने चाहियें और लगान को स्थगित किया जाना चाहिये। यह बात ध्यान में लाना आवश्यक है। जो मंत्री महोदय हैं वे अविलम्ब कार्यवाही करके कोई काम-धन्धा खोलें और उनको राहत पहुँचायें।

इसी प्रकार मैं निवेदन कर रहा था और जिस इलाके का मैं जिक्र कर रहा था वहां कोई उद्योग-धन्धे नहीं हैं। काश्तकारों के पास छोटी-छोटी जमीनें हैं उनमें पैदावार नहीं है। वहां के लोग अधिकतर फौज में भरती होते हैं और फौज में जाते रहे हैं। बहुतसे भाई इस समय भी भरती हुये हैं और बहुत से भाइयों ने अपनी जानें देश की रक्षा के लिये दी हैं, शहीद हुये हैं। शहीद हुये लोगों को जो राशि दी जा रही है, एक हजार की राशि देना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आदमी को जो १००–१२५ रुपया महीना किसी प्राइवेट कम्पनी से पाता है उसको ही ८–१० हजार रुपया मिल जाता है और जो आपके जमीन देने की बात है वह बेकार साबित होती है। या तो वह जमीन ऐसी होती है जिसमें पैदावार ही नहीं होती है और या फिर वह जमीन किसी झगड़े की होती है। जमीन देने के बाद भी वह काश्तकार उसमें फसल नहीं कर सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मुआवजे की रकम बढ़े और जो जमीनें अलॉट की जायें वे अच्छी हों और जो अलॉट की जायें उसमें बेदखली का हिसाब नहीं हो। जमीन मिलने के बाद उसको बेदखल नहीं किया। जमीन मिलने के बाद भी उसको बोने नहीं दिया जाता है, खेती नहीं की जाती है। यह सारा इलाका फौजी भाइयों का है। यहां के निवासी पहले भी शहीद हुये हैं और अब भी शहीद हुये हैं। जमीन के अलॉटमेंट के बारे में मैं निवेदन करूंगा।

हमारे उस इलाके में जैसा मैंने जिक्र किया कि पथरीला इलाका है तो वहां के जितने भी कुए हैं उनकी खुदाई बड़ी मुश्किल से होती है। पत्थर बहुत मजबूत ढंग का

(श्री केसरीमल)

होता है उसको या तो मशीनों के जरिये या डाइनामाइट लगाकर ही तोड़ा जा सकता है लेकिन जो मशीनें उपलब्ध होनी चाहिएं वे उपलब्ध नहीं होती हैं तो मेरा निवेदन है कि वहां उस इलाके में ऐसी मशीनें जो कुए खोदने की हैं वे ज्यादा से ज्या मुहय्या की जायें और उनकी रेट्स ऐसी रखी जायें कि आसानी से गरीब लोग जो उस इलाके में पिछड़े हुए हैं वे उसका उपयोग कर सकें और अपने कुओं को गहरा करवा सकें। कुओं के आसपास में ऐसे तालाब और रपटें भी होनी चाहिएं जिससे कि पानी रुक कर उन कुओं में आये तो उस ओर भी ध्यान देना जरूरी है। उस इलाके में ज्यादा से-ज्यादा तालाब और रपटें बनाई जायें जिससे कि पानी रुक कर आगे से आगे कुओं में आये और कुए गहरे करवाने के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जायें और मशीनों की संख्या बढ़ाई जाये और सस्ती रेट पर उनको दिलाई जाये।

हमारे उस इलाके में बिजली जो गांवों में उपलब्ध होनी चाहिए वह बहुत लम्बे अरसे से नहीं हो रही है। लगातार एक लम्बे अरसे से किसान लोग इन्तजार कर रहे हैं। ब्यावर से आगे विद्युत् ले जाने का कार्य जो करना चाहिए वह हुआ ही नहीं। कई गांव तो ऐसे हैं आस-पास में कि जहां लोग अरसे से मांग कर रहे हैं बिजली के लिए तो वहां बिजली पहुंचाई जाये और वहां जो कुए हैं उनमें मोटरें लगाई जायें तो वहां खेती की पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत मांग करने पर भी न जाने क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और टॉडगढ़ के इलाके की तरफ, जवाजा के इलाके की तरफ बिलकुल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि यहां तेजी से जिले के अन्दर बिजली पहुँचायें ताकि गांवों में लोग पानी भी ले सकें और छोटे धन्धे खोल सकें, चक्की वगैरह लगा सकें। वहां पर पत्थर फुड़ाई का काम भी चल सकता है। बिलकुल बन्जर इलाका है व वहां कोई न कोई धन्धे बिजली के आने से खुल सकते हैं लेकिन बिजली नहीं आई तो कोई काम नहीं होने वाले हैं। इसलिये बहुत आवश्यक हो गया है कि उस इलाके में बिजली की व्यवस्था अवश्य की जाये।

सरकार ने ब्यावर की महालक्ष्मी मिल को अपने अधीन लेकर चलाया और ५ साल के करीब हो गए इस मिल को सरकार के द्वारा चलाते हुए। पांच साल से इस मिल के मजदूरों को बिलकुल ही कम पैसा दिया जा रहा है और जितना पैसा वाजिब मजदूरी का मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है और इसका कारण यह बतलाया जा रहा है कि मिल घाटे में जा रही है। तो मिल के घाटे में जाने के तो कई कारण हो सकते हैं। मशीनरी की खराबी हो या और बहुत सी बातें जो सरकार के सामने भी आ चुकी हैं, व्यवस्था की भी बात हो सकती है और व्यापार की भी बात हो सकती है लेकिन जहां तक मशीनरी का सवाल है मेरा कहना है कि इस मिल में सरकार ने पांच साल तक कोई मशीनरी बदलने के लिए एक पैसा भी नहीं लगाया। चाहिए तो यह था कि मशीनरी का नवीनीकरण किया जाता और मिल की हालत सुधारने के बजाय उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

(श्री केसरीमल)

जो घाटा जा रहा है उसको मजदूरों के माथे मंढा जाता है और हर मजदूर को ४० रुपया कम मिल रहा है। १२०० मजदूर वहां काम कर रहे हैं जब कि दूसरी मिलों में उस मिल से डेढ़ गुना तनख्वाह मिलती है। करीब ३० पर्सेन्ट ज्यादा मिलता है दूसरी मिल के मजदूरों को और वहां कम मिलता है। उसका कारण यही बताया जा रहा है कि मिल घाटे में जा रही है लेकिन तथ्य यह है कि मिल के घाटे में जाने का कारण कोई मजदूर के ऊपर नहीं है। मजदूर तो अपनी मेहनत करते हैं और जो कमी है वह है मशीनरी के नवीनीकरण की। तो फिर पांच साल में मिल की मशीनरी को बदलने के लिए सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया? और उसका दण्ड मजदूरों को भुगताना पड़े यह औचित्य नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात को फिर से ध्यान में लाये कि महालक्ष्मी मिल की मशीनरी है उसमें नवीनीकरण करे मजदूरों को पूरा वाजिब पैसा दे।

मेरा निवेदन करना यह भी है कि कई गांवों ने यह मांग की है कि वहां भी डिस्पेन्सरी बने और खास तौर से कुछ ऐसे गांव हैं जहां पांच, दस और पन्द्रह मील के अन्दर डिस्पेन्सरी नहीं होने से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कुछ गांवों में लोगों ने कहा है कि डिस्पेन्सरी बने तो जो हमसे मदद चाही जाये वह भी दे सकते हैं। खास तौर से ऐसा इलाका है मगरे का जिसमें बहुत दूर तक लोगों को गाड़ियों पर भी जाने के रास्ते नहीं हैं वहां डिस्पेन्सरी का होना आवश्यक है। वे बराबर मांग कर रहे हैं लेकिन वहां डिस्पेन्सरी नहीं बनी और इसी प्रकार से गांवों के अन्दर सड़कों का बनना बहुत आवश्यक है लेकिन गांवों में कहीं भी सड़कों का बनना जारी नहीं हुआ। जो सड़कें पुरानी बनी हुई हैं उसके बाद सारे गांवों के रास्ते कच्चे ही हैं जो कि कभी कभी अकाल के समय मिट्टी की सड़कें बनी थीं उनको पक्का बनाने की कोशिश नहीं की जाती है। यह आवश्यक हो गया है कि उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाये जिससे कि आसानी से लोग अपना सामान ला लेजा सकें और अपना काम कर सकें और गाड़ियां उनकी आ-जा सकें। इससे उन लोगों का आना-जाना भी साधारण तौर से हो सकेगा लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है और इस ओर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है और इसी प्रकार से जगह-जगह ऐसी पानी की व्यवस्था करनी चाहिये जहां ऐसे गड्ढे हों, नाले हों उनको रोक कर कुछ काम किया जाना चाहिये जिससे कि पानी रुक जाये और पानी रुक जाये तो थोड़े समय के लिये काम आ सकता है। इस तरह से ये तालाब और रपटें बनाना बहुत ही आवश्यक हैं जिससे कि थोड़ी बहुत सिंचाई भी हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इस तरफ ध्यान दिया जाये तो दोनों बातें हल हो सकती हैं। सड़कें और रपटें बनाने से लोगों को काम मिलेगा और लोगों को रास्ते और पानी की सुविधायें भी मिलेंगी और इस अकाल के समय में उनको थोड़ी राहत भी मिलेगी। इस प्रकार से राहत मिले और वहां पर सड़कें और रपटें बनाने के काम खुलें तो

(श्री केसरीमल)

इससे उनको काम मिल जायगा और रास्ते भी उनको मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज !

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष पूरक मांगें स्वीकृति हेतु पेश की हैं। यह आवश्यक है कि सरकार कई मुद्दों पर जब खर्च करती है और वह खर्च अनुमान से ज्यादा निकल जाता है तब सरकार के खिलाफ कई तरह के आक्षेप भी लगते हैं। अभी-अभी कुछ साथियों ने कहा कि सरकार के ऊपर इतना अधिक ओवरड्राफ्ट चढ़ गया। कुछ लोगों ने इस तरह के एलीगेशन्स' भी लगाये कि सरकार दिवालियेपन के कगार पर खड़ी है और कर्जा भी नहीं चुका पा रही है। मैं सोचता हूं हर विकासशील प्रदेश अथवा देश के लिये खर्च करना आवश्यक होता है और यह जो चार्ज लगाया जा रहा है यह बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है और इसके प्रमाण में सिर्फ इतनी सी बात कहना काफी होगा कि जब कभी भी हमारे राज्य ने हमारी राजस्थान सरकार ने विकास हेतु अथवा और भी किसी प्रकार के ऋण को लोगों से मांगा है तो लोगों ने समय के ऊपर ही उसकी पूर्ति कर दी है तो यह सचमुच में हमारे लोकतन्त्र में लोगों का अटूट विश्वास है और इसी वजह से उन्होंने इतना विश्वास दिखाकर जब कभी भी मांग की गयी उसकी पूर्ति की गयी है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी जब कई बार प्रायोरिटीज जो फिक्स की जाती हैं वे ठीक तरह से फिक्स अप नहीं होतीं। जिन मदों पर ठीक ढंग से खर्चा होना चाहिए, जिस क्षेत्र में आवश्यक राशि खर्च होनी चाहिए वह नहीं होकर के गलत जगह अधिक खर्च हो जाती है, तब कई तरह के वादविवाद पैदा होते हैं और लोगों की ये शिकायतें भी बहुत मौजूं होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा वित्त मंत्रीजी से कि वे पूरक मांगें तो जरूर मांगें लेकिन थोड़े ही दिन बाद राजस्थान का नया बजट भी तैयार होकर पेश किया जाएगा तो इसके पूर्व कि हम उस पर अधिक विस्तार से चर्चा करें, वे इस बात का जरूर खयाल रखें कि जिन क्षेत्रों को पहले उपेक्षित रखा गया है और जिन-जिन क्षेत्रों की ओर से शिकायतें रही हैं कि उनके यहां विकास के कार्य कम हुए हैं, उनके यहां काम कम स्वीकृत हुए हैं, या जो स्वीकृत हुए हैं वे पूरे नहीं हुए, प्रारम्भ ही नहीं किए गए, मैं सोचता हूं कि नया बजट बनाते वक्त उन सब खामियों की ओर पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि हम लोग ज्यादा विवाद में न पड़ें।

दूसरी चीज, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस वक्त राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में और खास तौर से पाली जिले के उस हिस्से में जहां से मैं आ रहा हूं वहां पर इस वक्त भयंकर अकाल है। हो सकता है और जैसा कि आज मैंने अकाल राहत मंत्री महोदय से मालूम किया अभी तक बाली और देसूरी क्षेत्र के बहुत बड़े इलाके के अन्दर अकाल की हालत है और इस मुतअल्लिक जिलाधीश पाली की रिपोर्ट मेरे खयाल से राजस्थान में और जगहों से बहुत पहले यहां पहुंच गई थी लेकिन वहां पर अभी तक सरकार ने अकाल घोषित नहीं किया है। फलस्वरूप वहां पर लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं, लोगों के पास धंधा

Page No 51

(श्री मोहनराज)

नहीं है, रोजी नहीं है, अनाज की कमी है और पीने को पानी नहीं है, पानी की भयंकर कमी है, इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया जा सका है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस इलाके में इस प्रकार सबसे भयंकर हालत हो, वह इलाका आदिवासी इलाका है, आदिवासी गिरासिया इलाका है, जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जातियों का इलाका है, वहां पर जाकर अगर आप हालत देखें तो मैं सोचूंगा कि उनकी हालत जो खराब से खराब इलाका है उससे भी बदतर है। नतीजा यह है कि कुओं में जहां थोड़ा बहुत पानी था, लोगों ने मामूली, बीघा, दो बीघा में रबी की फसल बोई थी लेकिन वह भी वहां पर पाला मार जाने से खत्म हो गई। लोगों ने अपने बैलों के लिए और गायों के लिए जो थोड़ा बहुत चारा बोया था वह भी सारा का सारा बर्बाद हो गया। इस प्रकार उन पर दोहरी मार पड़ी है। एक ओर तो खरीफ की फसल नहीं हुई और थोड़ी बहुत, दो-तीन बीघों में मवेशियों के लिए जो चारे की फसल बोई थी वह भी सारी की सारी बर्बाद हो गई। ऐसी हालत में उस इलाके के अन्दर राहत कार्य प्रारम्भ करना बहुत जरूरी है। मैं सरकार का ध्यान उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां पर दो वर्ष पहले जब भयंकर अकाल की स्थिति रही थी और उस समय जो राहत कार्य शुरू किए गये थे और जिनको अधूरा छोड़ दिया गया था वे आज भी अधूरे पड़े हैं, जो कि वहां की जनता के लिए, वहां के किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण काम थे। वे अधूरे रहने से जो भी धन-राशि खर्च की गई वह भी बिल्कुल बेकार साबित हुई। मैं सोचता हूं कि जो राहत कार्य अब शुरू किए जावें उनके अन्दर उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जावे ताकि वे जो अधूरे कार्य हैं वे भी पूरे हो सकें और वे जनता के लिए उपयोगी साबित हो सकें। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कामों के अन्दर कुछ तो बांध हैं, कुछ सड़कें हैं जो वहां के लिए बहुत आवश्यक हैं, उनको पूरा किया जावे। आदिवासी इलाके के अन्दर इस वक्त जो जंगल में लोग रहते हैं उनको वहां से सूखी लकड़ी लाने की और बाहर बेचने की, जो भी वहां गांव के आसपास के इलाके हैं, उनको वहां से इस प्रकार लकड़ी लाने की और बेचने की छूट मिलनी चाहिए ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। दूसरा जो जंगल के अन्दर कोयला बनाने का काम है, गोंद निकालने का काम है, शहद इकट्ठा करने का काम है, जिनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है उनके अलावा जो दूसरे काम हैं जिससे ठेकेदारों द्वारा गरीबों का शोषण होता है वह काम भी सरकार खुद करे ताकि इन मुश्किल के दिनों में इन आदिवासियों की हिफाजत हो सके और उनको संरक्षण मिल सके, उनका शोषण रुक सके। मैं सोचूंगा कि अगर वन विभाग के अधिकारीगण इन कामों को अपने हाथ में लेकर करेंगे तो लोगों को इससे मजदूरी मिलेगी और लोगों को राहत मिल सकेगी।

इसके अलावा जंगलात के एरिया के अन्दर कई ऐसे काम हैं जो लोगों को रोजी-रोटी देने के लिए किए जा सकते हैं।

(श्री मोहनराज)

मेड़बन्दी का काम है, पक्की नालियां बनाने का काम है, घोड़ा देने का काम है, चरागाहों को उन्नत करने का काम है, इन सब कामों को वन विभाग अपने कार्यों में शामिल करे तो वे काम जल्दी हो सकेंगे।

जहां तक इस अकाल की स्थिति के कारण पीने के पानी का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उस इलाके के अन्दर इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी की है। अभी मैं तीन दिन पूर्व बाली, सादड़ी और फालना गया था और तीनों ही जगहों पर लोग यह कह रहे थे कि यहां पर सरकार ने जलप्रदाय योजना तो शुरू की है लेकिन वहां पर कुओं में पानी इतना कम है कि वहां पर सुबह एक वक्त नलों में पानी जरूर आता है। नल एक वक्त जरूर खुलते हैं लेकिन पांच मिनिट से ज्यादा उनमें पानी नहीं आता। अब पांच मिनिट में कितना पानी मिल सकता है। तो इस प्रकार लोगों को बहुत मुश्किल से समय गुजारना पड़ रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर मैंने आज से दस बारह दिन पूर्व ही जिलाधीश महोदय का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन मैं तीन रोज पहले वहां गया तो हालत वैसी की वैसी ही पाई। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यहां से एक ऑफिसर को तत्काल इस काम के लिए डेप्यूट करे और पीने के पानी की समस्या को तत्काल हल करे। और इसके लिए सुझाव मैं यह देता हूं कि पहले भी जब अकाल के भयंकर दिनों में, दो वर्ष पूर्व जब अकाल पड़ा था तो जिन कुओं में पानी सूख गया था तो उनके पड़ौस में जो दूसरे काश्तकारों के व्यक्तिगत कुए थे उनसे पानी लेकर आम जनता को पानी दिया गया था और मैं सोचता हूं कि यही समाधान इस समय भी किया जा सकता है, जो तत्काल में सम्भव हो सकता है और आसानी से किया जा सकता है और इस काम को जितना जल्दी से जल्दी सरकार हाथ में लेकर करेगी मैं सोचता हूं कि जनता को तत्काल इससे लाभ मिलेगा।

दूसरी चीज मैं जो अर्ज करना चाहूंगा वह इस वक्त है शिक्षा की। शिक्षा के बारे में भी मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा मंत्रीजी ने काफी दिनों पहले यह घोषणा की थी कि जो भी प्रशिक्षित अध्यापक हैं उन सबको नौकरी पर लिया जावेगा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत अर्ज करना चाहूंगा कि आज भी अध्यापकों की बहुत बड़ी संख्या है जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं लेकिन जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इसलिए जो भी प्रावधान शिक्षा के हैड में किया जावे इस बात को मद्देनजर रख कर किया जावे और इस ओर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दिया जावे। अध्यापकों की कमी के बारे में मैं आपको बाली क्षेत्र के बारे में बताऊं कि बाली पंचायत समिति लगातार पिछले तीन चार वर्षों से शिक्षा विभाग से मांग कर रही है कि वहां पर कुछ और स्कूलें खोलने की अनुमति दी जावे लेकिन पिछले सात साल पूर्व में जितने अध्यापक स्वीकृत थे उतने ही अध्यापक आज भी स्वीकृत हैं, उनकी तनख्वाहों की राशि उतनी ही है, उनका बजट आज भी उतना ही है इसके अन्दर वृद्धि नहीं हुई है। सरकार क्या यह चाहती है कि प्राथमिक शिक्षा के अन्दर वृद्धि न हो, नए बच्चे पढ़ने के लिए न आवें नए स्कूल नहीं खोले जावें और उनके लिए

(श्री मोहनराज)

प्रावधान न किया जावे, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमें नए-नए स्कूल गांवों में खोलना है और नए अध्यापकों को स्कूलों में रखना है तो उनके लिए धनराशि भी हमें देनी पड़ेगी और बजट में उनके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम उसके लिए समुचित व्यवस्था करें और उस व्यवस्था के द्वारा जो शिक्षित बेकार हैं उनको भी काम दे सकें और जिन लोगों में शिक्षा का अभाव है, उनके लिए भी नई स्कूलें खोल सकें।

दूसरी चीज, सहकारिता के विषय में मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज से करीब दस बारह वर्ष पूर्व कई जगह इस तरह की सहकारी समितियां बना दी गई थीं लार्ज फार्मिंग सोसायटीज के नाम पर जिनके अन्दर निहित स्वार्थी लोगों

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

ने जमीनों पर अपना कब्जा कर लिया था। वास्तव में भूमिहीन किसानों की नहीं बल्कि बाली और पाली जिले के क्षेत्र में इस तरह की काफी सोसायटीज बनी हुई हैं जिनके ऊपर ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यापार धन्धा करते हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि कुछ अर्से पहले पाली जिलाधीश ने इस तरह की सोसायटीज को भंग करके उनकी जमीनों को पुनर्ग्रहण करने का प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया था लेकिन यहां आकर के सारा मामला खटाई में पड़ गया। यही इसका एकमात्र उचित हल था। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस सारे मामले पर विचार करके सरकार इस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले और जो सोसायटीज बनी हुई हैं, गलत हाथों में जिनके जमीनें हैं उनको पुनर्ग्रहण कर के भूमिहीन लोगों में जमीन बांटने का काम तत्काल सरकार करे और तत्काल इस बारे में कार्यवाही करे।

उद्योगों के बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पाली जिले के अन्दर पाली, सुमेरपुर, फालना और बाली, इन चार जगहों पर उद्योग बस्तियां स्थापित की गई थीं और उस समय लोगों में उत्साह व जोश था जिसके अन्दर स्वर्गीय हरिश्चन्द्रजी माथुर और स्वर्गीय सागरमलजी चोपड़ा इन दोनों ने उत्साह दिखाया था। ये दोनों ही हस्तियां आज दुनियां में नहीं रही हैं और सारा का सारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। मैं चाहूंगा कि उद्योग विभाग इस ओर सक्रिय कदम उठाये। यहां पर उद्योगों की पोटेन्शीलिटीज हैं। लोग बाहर से आना चाहते हैं। वे लोग कलकत्ता, बंगलोर, मद्रास, बम्बई, अहमदाबाद में व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं और वे अपने इस इलाके के अन्दर, इस क्षेत्र में नये उद्योग लगा कर अपने इस प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रेरणा नहीं मिलती है। जब कोई सदस्य उद्योग विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कोई समुचित उत्तर नहीं देते हैं। हमारे यहां पर जिस ढंग से काम हो रहा है वह ढंग बदला जाना चाहिये। परन्तु अभी तक हमारे नियम और कानून नहीं बदले हैं। हमारे मन्त्री महोदय कलकत्ता जाते हैं, हमारे मुख्य मन्त्री महोदय बाहर जाते हैं तो वे वहां पर वहां के व्यापारियों और उद्योगपतियों को इकट्ठा करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं, घोषणाएं करते हैं, कई

(श्री मोहनराज)

तरह की सुविधायें देने की बात करते हैं लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है, उनका अनुभव कुछ और ही है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनिट और लूंगा। लेकिन वे आश्वासन-आश्वासन ही रह जाते हैं और उन लोगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि राजस्थान के अन्दर उद्योगों का प्रसार करने के लिये, सलाह देने के लिये, लोगों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये १५-१६ जिले छांटे गये हैं उनमें इस पाली जिले को नहीं लिया गया है जहां पर कि सरकार की तरफ से चार औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं। यह काम बहुत बड़ा है। मैं सोचता हूं कि पाली जिले को भी उन जिलों में शुमार किया जाये तब जाकर के सरकार का जहां पर लाखों रुपया लगा है, जहां पर पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट हुआ है, उसको पूरी सुविधा नहीं दी जायगी तो वह सारा का सारा इन्वेस्टमेन्ट बेकार जायेगा और लोगों में एक निराशा का वातावरण फैलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री मोहनराज : मैं मद्य-निषेध के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस बारे में जो कट मोशन थे उतना ही निवेदन करूंगा। सरकार इस वक्त अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो प्रगति इस ओर होनी चाहिये थी मद्य-निषेध की ओर कि १ अप्रेल, १९७२ से सम्पूर्ण राजस्थान में मद्य-निषेध लागू करने की बात थी, यह जो घोषणा थी मैं सोचता हूं कि इसको लागू करने में जरूर आर्थिक कठिनाइयां हैं, लेकिन इन आर्थिक कठिनाइयों को हल करना चाहिये ताकि लोगों का नैतिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठे। यदि हम आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं करेंगे और नैतिक स्तर को गिरने देंगे और गरीब को और गरीब बनाना चाहेंगे तो हमारी योजनाएं निरर्थक हो जायेंगी। समाज के नीचे तबके के लोग जो आदिवासी हरिजन हैं, वे पिछड़े हुए लोग हैं। वे अपना पेट मजदूरी कर के पालते हैं। अगर शराब को जारी रखते हैं तो वे इसकी ओर जायेंगे। इसलिये हमें उनके निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिये उनके निर्माण के

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

लिये रेवेन्यू बढ़ाने के खातिर जब हम शराब को इन्ट्रोड्यूज करने की बात करते हैं तो यह एक ऐतराज की बात है और इस पर हमको गम्भीरता से सोचना चाहिये। सरकार यह सोचती है कि वह इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो यह माना जा सकता है। लेकिन जिन जिलों के अन्दर यह लागू कर दिया गया है वहां पर तो इसको गम्भीरता से लेना चाहिये। जो खराबियां इसमें आ गई हैं उनको दूर करने के लिये सरकार कटिबद्ध होकर काम करे और ठोस काम करे। मैं यह पाली जिले की बात करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है माननीय सदस्य।

श्री मोहनराज जैन : इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार पाली जिले में मद्य-निषेध लागू करे। वहां के सामाजिक कार्यकर्त्ता, सामाजिक संस्थाएं अगर सरकार मद्य-निषेध लागू करती है तो इसको सफल बनाने के अन्दर सरकार

(श्री मोहनराज)
भरसक उनकी सारी शक्ति का उपयोग कर सकती है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो शिकायत दूसरी जगहों पर है वह आपको पाली जिले के अन्दर नहीं मिलेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : हाजी जान मोहम्मद !

श्री जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : सदरे मोहतरिम, हमें इस बात की खुशी थी कि यहां विधान सभा में आकर हम जनता का काम करेंगे। लेकिन यहां पर यह देख कर अफसोस हुआ कि जिससे मिलता हूं और काम के लिये कहते हैं तो हमारे मिनिस्टर साहबान कहते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है। यह काम नहीं होगा। तो जहां से मैं जीत कर आया हूं उस जनता को हम क्या जवाब देंगे? बड़ी परेशानी है कि क्या किया जाये? कुछ सालों पहले हमारे झालावाड़ के दरबार मिनिस्टर थे। उन्होंने वहां पर काम किया था। उनके बाद कन्हैयालाल पटेल जो हमारे जिले के थे, वे मिनिस्टर बने। उन्होंने बिजली, सड़क का सारा पैसा, रुपया कहीं पर खर्च किया है तो उनके गांव के आसपास किया है। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा जिला और खास तौर से जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, वह पिड़ावा इलाका पिछड़ा इलाका है और यह टोंक का इलाका है और टोंक स्टेट राजस्थान में एक पिछड़ी हुई स्टेट है। टोंक स्टेट के जमाने में इसको काला पानी कहा जाता था। यह इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि मैं समझता हूं कि ऐसा राजस्थान में और नहीं है।

सदरे मोहतरिम मैं परेशान हूं। मैं निहायत ईमानदारी से अर्ज करना चाहता हूं। हम जो काम कराने के लिये कहते हैं तो अफसोस होता है, तबादले की बात कहते हैं तो कहा जाता है कि चोर हैं। जो अफसरान हैं वे बेईमान हैं, गिरदावर, थानेदार के तबादले के लिये मिनिस्टर साहब से ईमानदारी के साथ कहना चाहते हैं कि जो बेईमान अफसर हैं उसका तबादला होना चाहिये। एम० एल० ए० दोस्त और भाइयों! मैं काफी परेशान हूं कि जनता को जाकर क्या जवाब दूंगा? वहां के जो हालात हैं, जिन लोगों ने हमको वोट दिये हैं वे हमसे पूछेंगे कि तुमने जयपुर में बैठ करके हमारे लिये क्या किया है? हमारे एरिया की बहुत सी समस्यायें हैं। भवानीमंडी बहुत बड़ी मण्डी है हमारे इलाके की। हमारे इलाके की सारी पैदावार काश्तकार भवानीमण्डी लाते हैं। वहां पर जाने के लिये कोई सड़क नहीं है। सुनेल से भवानीमंडी एक सड़क है परन्तु बदकिस्मती से उस पर पुलिया नहीं है। पुलिया के लिये सामान आया और वह वहीं पर पड़ा रहा। वह सारा का सारा मटेरियल बरसात के पानी में बह गया। बारिश के अन्दर यह टापू बन जाता है और लोग नहीं जा सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है वह मध्यप्रदेश का है। वहां का भी यही हाल है। बारिश में आने-जाने का रास्ता बन्द हो जाता है और सारी जनता को परेशानी होती है। औरतें, बच्चे और आदमी अपने कन्धों पर सन्दूक, बिस्तरे रख कर ले जाते हैं और एक तरह से यह एरिया एक टापू बन जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह इलाका पिछड़ा हुआ है और अभी तक इसकी तरक्की नहीं हुई है। तरक्की तो सिर्फ कन्हैयालाल पटेल के गांव में हुई है। सारा पैसा वहां पर लगाया गया है। एक बांध भी बनाया गया है जो उनकी जमीन पर बनाया गया

(श्री जान मोहम्मद खां)

है। जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। जो बिल्डिंग बनाई गई है वह भी उनके गांव से दो मील की दूरी पर बनाई गई है। तो ऐसा काम हुआ है। पब्लिक का कोई काम नहीं हुआ है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं झालावाड़ दरबार के जमाने में जरूर कुछ बिजली पहुंचाई गयी थी। जो बिजली कन्हैयालाल पटेल ने पहुंचाई है वह उनके रिश्तेदारों को पहुंचाई गई है। सारे जिले के किसान बिजली के लिये परेशान हैं; इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे इलाके को बिजली दी जाये।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। एक धारोनिया गांव है। वहां पर कच्ची सड़क बनाई जा रही है। वहां पर कुलमी लोग आबाद हैं और वे बहुत अच्छे काश्तकार हैं। इस सड़क के लिये तीन-चार काश्तकारों के खेत काट दिये गये हैं और सड़क बन रही है। इस तरह से इन काश्तकारों के पेट काटे जा रहे हैं। वहां पर सरकारी जमीन है, रास्ता मौजूद है, इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि वे टेलीफोन से इसको बन्द करावें और जनता के जो खेत काटे जा रहे हैं उनको रोकें, इसको बंद करें। इसमें देरी नहीं होना चाहिये।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। पिड़ावा से कोटड़ी गांव है वहां पर भूतपूर्व गवर्नमेंट ने एक दो लाख रुपया पक्की सड़क बनाने के लिये लिये। जब वहां देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। मिट्टी पड़ी हुई है। पांच-सात हजार रुपये खर्च हुए होंगे, जबकि एक लाख तरेसठ हजार रुपया खर्च किया गया बताया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पैसा खाया है उनके खिलाफ क्यों नहीं केसेज चलाये? यह सड़क बननी चाहिये जबकि गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है।

समस्याएं तो बहुत सारी हैं। सड़कों के लिये अर्ज कर दिया। बारिश में टापू बन जाते हैं। जानवर मर जाते हैं वापस जा नहीं सकते हैं। मध्यप्रदेश और टोंक के रास्ते बन्द हो जाते हैं। हमारा कोई लीडर नहीं। एम. एल. ए. को पूछता कौन है? बड़ी फौज बन गई है। कोई कदर नहीं है। मैं निहायत ईमानदारी से अर्ज करना चाहता हूं झूठ बोलता नहीं। मुसलमान का वहां से कोई जीतना आसान काम है? यह पटेल साहब कहते थे कि ये तो पाकिस्तान बना देंगे, यह हिन्दुओं के साथ भेद करवा देंगे। ऐसा गन्दा प्रचार किया। सब पार्टीज एक साथ हो गयीं। महाराजा झालावाड़ साथ थे। पैक्ट कर लिया। बड़ी मुश्किलात से जीत कर आया हूं। जनता दिल से चाहती है। मैं एम. एल. ए. बन कर हाजिर हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि जनता के काम हों, सड़कें बनें, बिजली लगे। महाराजा झालावाड़ के मरने के बाद कन्हैयालाल पटेल ने अपने रिश्तेदारों को बिजली दी, जनता की सुविधा के लिये नहीं। इन्हीं पटेल के जरिये से हमारे इलाके में बड़ी-बड़ी घटनायें हुई हैं। एक आदमी को पिटवाया और जान से ही मर गया। जब थानेदार के पास गये तो उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उस बेचारे को झालावाड़ अस्पताल में ले गये उसके वहां पर ऐसा इन्जेक्शन लगाया कि बेचारा मर गया। गवाह पेश करने लगे, शहादत सब मौजूद लेकिन कोई सुनता नहीं। सरकार से अर्ज करना चाहता हूं इसकी फौरन इन्क्वायरी

(श्री जान मोहम्मद खां)

करवायें, थानेदार और एस. पी. को सजा मिलनी चाहिये। एस. पी. ने इस केस को दबाया उसको भी सजा मिलनी चाहिये। सारी जनता जानती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

साहब बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है। सुबह से इन्तजार कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

श्री जान मोहम्मद खां : एक नहीं हजारों किस्से हैं इन पटेल साहब के। इनके दोस्ती थी सेठ साहब से। उनके कहने से इन पटेल साहब ने मुकदमा खत्म कर दिया। बहुत सारी बाते हैं। आप इन्क्वायरी कराइये। मुल्जिम आजाद फिर रहे हैं जनता परेशान हो रही है। इसलिये मुझे चुना है। हजारों बातें हैं। अभी यहां नहीं कह सकता। बहुत शर्म की बातें हैं। मैं यहां नहीं कह सकता।

शिक्षा के मामले को ले लीजिये। पिड़ावा मध्यप्रदेश से मिला हुआ है। मध्यप्रदेश में शिक्षा की काफी तरक्की है। राजस्थान में हमारे यहां पता नहीं क्या वजह है, या तो शिक्षा मंत्रीजी नाराज हैं पिड़ावा से। हाई स्कूल बने। उनकी बड़ी महरबानी है। नहीं बनाना चाहते हाई स्कूल तो मध्यप्रदेश में बदल दें। महरबानी थी। हमारे बच्चे रोते फिरते हैं। हिन्दू मुसलमान, हरिजन, सब कौम के बच्चे झालावाड़ जाते हैं। सदरे मोतरिम फिर अर्ज करना चाहता हूं। एक घंटे का काम है। ऑर्डर दे दिया जाय।

सड़क की बात और कहता हूं। सड़क बन रही है। काश्तकारों के खेत बंट रहे हैं। यह भी रोक सकते हैं। सरकारी जमीन मौजूद है। यह किस्सा क्या है कि काश्तकारों के खेत काटे जायें? अब रिश्वत मिलने वाली नहीं है। जनता ने मुझे चुन लिया है। रिश्वत हरगिज नहीं देने दूंगा और लेने दूंगा। पटवारी, गिरदावर, थानेदार, तहसीलदार, की तकलीफ थी। जनता के हाथ नहीं जोड़े मैंने। वादा नहीं किया कि मुझे वोट दें। मैंने उनको विश्वास दिलाया। न कसम खाता हूं, न वादा करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे वोट दीजिये मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। मिनिस्टर साहब मेरी मदद करें। मैं झूठ बोलना नहीं जानता। इसलिये महरबानी करके सदरे मोतरिम, मैंने चन्द बातें कहीं उन पर ध्यान दीजिये। मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं कि नौकरी हमारे पास नहीं है यह काम नहीं है, वह काम नहीं है, तो हमारी सड़कें कैसे बनेंगी? हमारे काम आपको करना होगा। ठीक है हम भी एम० एल० ए० हैं वे भी एम० एल० ए० हैं। (करतल-ध्वनि) ये चन्द बातें मैंने रखी है जिनमें सचाई है। मैं दाढ़ी वाला हूं। और उधर भी दाढ़ी वाले हैं। हम दो हो गये हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : एक आप और एक मैं दो हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गेहलोत !

श्री अमृतलाल गेहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर राजस्थान प्रदेश का दूसरा बड़ा नगर है। उसकी समस्याओं के लिये मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

(श्री अमृतलाल गेहलोत)

मैंने आपके सामने ये जो मांगें पेश की हैं इनमें एक सनसनीपूर्ण मांग नजर आ रही है उसके सम्बन्ध में डिटेल्स में जिक्र करना चाहूंगा। ४४ नम्बर का आइटम है। १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत ३१,६४,०००) रु०। हमारी समाजवादी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत हम सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग व व्यापार लगाना चाहते हैं और व्यापार किया है और उस व्यापार में हमें घाटा लगा है लगभग ३४,००,०००) का। महीना था मई और जून का। १५६२७ मेट्रिक टन बाजरा जोधपुर, जालौर और बाड़मेर जिलों में किसानों से लिया गया ४८ रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से। उसकी लागत जब मैं देखता हूं तो ९६,४५,००० कुल व्यय किया गया और ४८ रुपये प्रति क्विन्टल में खरीदा गया और उस माल की लागत है ६२ रुपया यानी १४ इन्सीडेन्टल चार्जेज में खर्च किया गये हैं। जब उसको वापस बेचा गया तो मालूम पड़ा कि १२ हजार टन का टेण्डर काल हुआ २० अक्तूबर, १९७१ को और ४० रुपये प्रति क्विन्टल में वह माल बेच दिया गया। ३०२७ टन जो माल बचा हुआ था वह माल लगभग ५५ रुपया क्विन्टल में करीब २ माह पूर्व बेच दिया गया। तो इसमें तीन मुद्दे सामने आते हैं। पहला यह है कि १४ रुपया इन्सीडेन्टल चार्जेज हैं तो क्या वे वाजिब हैं ? ४० रुपये में जो माल बेचा गया है वह भाव वाजिब है क्या ? और तीसरा जिस समय ४० रुपये में बेचा गया तो वह समय वाजिब था या नहीं था ?

राजस्थान सरकार क्यों तैयार हुई बाजरा खरीदने के लिए। दो-तीन साल से भीषण अकाल था। भगवान इन्द्रदेव ने कृपा की और रेगिस्तानी इलाके में वर्षा हुई और बाजरे का उत्पादन हुआ परन्तु कृपा जरूरत से ज्यादा हो गई। जब बाजरा खेतों में पक गया तो बारिश हो गई और उससे बाजरे का रंग बदल गया और थोड़ा काला हो गया। भारत सरकार के एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की एडवाइज के मुताबिक कृषि मंत्रालय ने राज्य की तरफ से खरीदने का भाव ५५ रुपया क्विन्टल रखा और उसमें कटौती के भाव भी थे यानी अगर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बाजरा नहीं हो तो पहली कटौती डेढ़ रुपये की और दूसरी कटौती तीन रुपये की यानी ५२ रु० तक वह भाव था। जब यह मामला खाद्य निगम के सामने पेश किया गया तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया तो राजस्थान सरकार ने कृषि मंत्रालय से बातचीत की लेकिन मंत्रालय बिल्कुल इन्कार हो गया और बाजरा नहीं खरीदा। इससे बाजरे का भाव गिरता गया और वह ३७ रुपये प्रति क्विन्टल तक हो गया। लकड़ी का कोयला महंगा और बाजरा सस्ता, यह नौबत आ गई। किसान जिस समय एक रुपये का एक किलो बाजरा लेकर खा रहा था तो किसी ने नहीं देखा और आज उसका बाजरा ३७ रुपया क्विन्टल बिक रहा था तो वह दिवालिया हो गया तो राज्य सरकार को बाध्य होकर क्रय करना पड़ा। उसकी न्यूट्रिशन वेल्यू यानी पौष्टिक शक्ति बिलकुल नहीं गई थी वह खरीदने के लिये तैयार हुई तो समय बीत गया था मई का महीना था शुरू से किसान चिल्ला रहा था। जो छोटे काश्तकार थे उनका तो माल बिक गया।

(श्री अमृतलाल गेहलोत)

मई के महीने में आपने माल खरीदना चालू किया ४८ रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से और यह माल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों में खाद्य निगम के मार्फत रखा गया और ३० अक्टूबर को माल बेचा गया तो जैसा कि इसमें दिया गया है इसकी लागत कीमत ६२ रु० क्विन्टल थी १४ रु० खर्चा वाजिब है या नहीं, इसका मुल्यांकन करना है। क्या इन्सीडेन्टल चार्जेज इतने हो सकते हैं १४ रुपये बताये हैं आपने अपने हिसाब से और मेरे हिसाब से ९ रुपये से ज्यादा नहीं आता है? खाली बोरियों का भाव जोड़ें तो चार रुपये और दो रुपये से ज्यादा खरीदने का कमीशन नहीं हो सकता है। इसके अलावा पांच महीने माल गोदाम में रहा और उस पर साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज लगाया तो वह लगभग पौने दो रुपया हुआ और वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन के गोदाम का किराया ५० रु० १.२५ पैसे प्रति बोरी बनता है तो चार रुपया खाली बोरी का, २ रु० खरीदने के कमीशन का और ३ रुपया आ जाना चाहिये गोदाम किराया और ब्याज का अर्थात् ९ रुपया हुआ और इसमें बताया गया है १४ रुपया वह मेरी समझ में नहीं आता है। पांच रुपये ज्यादा बताये गये है ५ महीने खरीद कर रखा गया उसके इन्सीडेन्टल चार्जेज १४ रुपये बताये हैं जब कि व्यापारी के यहां पर खर्चा बहुत ही कम आता है।

जब माल बेचा गया तो ऐसे समय में बेचा गया जब कि बाजार में भाव मन्दे हो गये थे। आज १० बार टेलीफोन पर मैंने कोशिश की कि कृषि विभाग का जो प्राइस विभाग है उससे यह मालूम करूं कि २० अक्तूबर को जयपुर और जोधपुर में बाजरे के भाव क्या थे? ४० रुपये में यह फाइनल किया गया तो लोगों का कहना है कि उस समय बाजार में भाव ४८ रुपये का था। व्यापारियों ने मिल कर टेन्डर दिया है। मैं चाहता था कि सरकारी आंकड़े बाजार भाव के मुझको मिलते। मैंने आगे छानबीन की कि यह माल गया और व्यापारियों ने कितना नफा कमाया। यह माल उस वक्त महाराष्ट्र के तीन जिलों में गया—धूलिया, यवतमाल और खानदेश। उस वक्त वहां पर बाजरे का भाव ६५ रुपया क्विन्टल था और व्यापारियों ने लगभग ६५ रुपया क्विन्टल में बाजरा बेचा। यहां से जाने पर रेल द्वारा ५ रुपया खर्चा आता है। सवाल यह आता है कि इतना जल्दी हमें माल बेचना उचित था या नहीं? माल कब आपको बेचना चाहिए जब कि व्यापारी भाव बढ़ाते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करते हों उस वक्त में माल बेचना चाहिये था न कि अक्टूबर के महीने में जब कि माल का भाव नीचा था। वह माल जो बेचा गया है वह नीति के विरुद्ध था वह यदि राजकीय स्तर पर महाराष्ट्र में जाता तो लगभग ६० रुपये की कीमत आती। हमने एक महीने पहले माल बेचा तो ६५ रुपये क्विन्टल के हिसाब से बेचा था। तो बिना सोचे समझे, बिना सूझबूझ के माल को फेंक दिया गया और सरकार को ३० लाख रुपये से हाथ धोना पड़ा और लगभग ३० लाख का घाटा पड़ गया। यह समाजवाद है क्या? यह क्या हमारा सार्वजनिक व्यापार है? वह जो समाजवाद लाना चाहते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन करके उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्त करना चाहते हैं क्या उसके लिये वाजिब है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा

(श्री अमृतलाल गेहलोत)

इस चीज की जांच करवाने की मांग करता हूं कि यह ३० लाख रुपये का घाटा कैसे हुआ और किसानों के घर में ४८ रुपया क्विन्टल गया और उन व्यापारियों ने जिन्होंने इस माल को खरीदा उन्होंने लाखों रुपया कमाया। राज्य का सारा पैसा गया। आज हमारी पोजीशन है कि जरूरत की चीज के लिये भी हमारे पास पैसा नहीं और हमने खुले आम लाखों रुपया लूटने की व्यापारियों को छूट दे दी इसके लिए क्या हम दोषी नहीं हैं, क्या हम अपराधी नहीं हैं ?

दूसरी चीज मेरी समझ में नहीं आती है कि यह ३० लाख रुपयों का खर्चा बताया गया है बम्पर ड्रा का। आइटम नं० ७१-विविध इसमें आइटम है (६) बम्पर ड्रा के कारण राज्य सरकार द्वारा प्रचलित लाटरी हेतु ४३,६२,०००) रु० इसके लिये मांग की गई है। मुझे बतायें कि यह खर्चा किस बात का है ? लाटरी की तो लाटरी हो गई। क्या लाटरी में ४३.६२ लाख का घाटा लग गया ? इस का स्पष्टीकरण उत्तर देते समय दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग संख्या, १, सन् १९७२ जिसके द्वारा १५८ करोड़, ५० लाख ४० हजार का सप्लीमेण्ट्री बजट पेश किया गया है वैसे किसी राज्य के लिए आवश्यकतानुसार सप्लीमेण्ट्री बजट पेश भी होता है और इसको कुल मिलाकर देखा जाये तो कोई खास विवाद का प्रश्न नहीं है इसको स्वीकार करने के बारे में, लेकिन इससे राज्य की नीतियों के बारे में अधिकतर यह होता है कि यह किस किस प्रकार हुआ ? किस किस पर हुआ है ? इसका राज्य की नीति से क्या सम्बन्ध रहा है ? इसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के लिये लैण्ड रेट रिवाइज करने के लिए ३ लाख ५० हजार रुपये का अधिक खर्चा किया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड की सीलिंग का जब प्रश्न आया है तो कई बार इस सदन में यह प्रश्न उठाया गया है कि आप लैण्ड की सीलिंग के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करें। आज कम्युनिस्ट पार्टी के श्री योगेन्द्रनाथ हांडा यह कह रहे थे कि एस० डी० ओ० के पास हजारों सीलिंग के कागज पड़े हुये हैं। अगर एक एस० डी० ओ० सारे केस डील-नहीं कर सकता है तो क्या वजह है, लैण्ड रेट रिवाइज करने के लिए तो आप अतिरिक्त पदों को रखते हैं, तो सीलिंग के लिए क्यों नहीं रखते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार और राज्य सरकारों की नीति के अनुसार इम्प्ली-मेण्टेशन क्यों रुका हुआ है ? क्यों नहीं दूसरा अतिरिक्त स्टाफ रखते हैं ? क्यों नहीं इसका शीघ्र डिस्पोजल करते हैं ? इस प्रकार की नीति देखने में क्यों आती है ?

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की आबकारी नीति के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि मद्य-निषेध निरोध के लिए जो स्टाफ रखा उसके लिए १ लाख ३० हजार रु० उसकी ग्राण्ट के लिए रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें विश्वास रखता हूं लेकिन हम देखते हैं कि जहां हम स्टाफ रखते हैं तो वहां मद्य-निषेध को लागू करने की दिशा में क्या कारगर कदम

(श्री शंकरलाल)
उठाये हैं ? वह मैं जानना चाहूंगा। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदय, इस पर प्रकाश डालेगें। मैं निवेदन करूंगा कि चौथी विधान सभा में मद्य-निषेध के बारे में यह कहा गया था कि एक लाख रुपया हम ऐसी संस्थाओं को देंगे जो जनता में सोशल रिफार्म करेंगे। मद्य-निषेध के लिये वातावरण बनायेंगे जिससे कि जनता यह समझे कि यह एक बुरी चीज है। लेकिन वह न करके कानून के जरिये से जनता को दबायेंगे। इस प्रकार का दल लगाना जनता के लिए कोई उपयोगी नहीं है। आप ऐसा स्टाफ न लगायें जिसकी कि कोई उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार मैं कहूंगा कि राज्य परिवहन पुनरावेदन न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए २६ हजार रुपये की मांग की गई है। वैसे यह राशि अधिक नहीं है किन्तु जब राज्य में इसके लिए पहले से ट्रिब्युनल बना हुआ है, तब यह अलग से ट्रिब्युनल की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा जब कि कॉओपरेटिव का ट्रिब्युनल है जो कि कोऑपरेटिव के मामले डिसाइड करता है तो वह ट्रांसपोर्ट के मामलों को भी डिसाइड कर सकता है। इसके लिए सप्लीमेण्टरी बजट लायें तो यह अनावश्यक है। आगे भी आप ऐसे अनावश्यक ट्रिब्युनल को नहीं रखें। उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य कर्मचारियों को अतिरिक्त सहायता दी गई है। पाली के बारे में एक सवाल उठा था कि पाली शहर की आबादी ५० हजार से अधिक है। इसलिए वहां के कर्मचारियों को हाउस रेण्ट दिया जाना वाजिब है। यह वहां के कर्मचारियों की मांग है। मैं वित्त मन्त्रीजी और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि पाली शहर के कर्मचारियों को हाउस रेण्ट दिया जाये। यह उनकी उचित मांग है। इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमरी स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में परिणत करने में जो खर्चा हुआ है, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि प्राइमरी स्कूल पंचायत समितियों के अन्दर में चलते हैं। जब वह स्कूल माध्यमिक स्कूल बनता है तो उसका जो फर्नीचर होता है, वह पंचायत समितियों वाले उठाकर ले जाते हैं जैसे कोई हिन्दुस्तान पाकिस्तान हो गया हो। दूसरे उसको मिडिल स्कूल का फर्नीचर मिलता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि पंचायत समितियों के पास कोई काम नहीं है। सिर्फ मास्टरों की तनख्वाह और उनकी अदला बदली का काम ही उनका है। यह शिक्षा का मामला शिक्षा विभाग के पास ही होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों से ले लेनी चाहिए। मैंने यह प्रश्न माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुये वाद-विवाद के समय भी उठाया था। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अगर राजनैतिक भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो शिक्षा को पंचायत समितियों से हटा देना चाहिए। उसे एक ही विभाग के अधीन रखें। पंचायत समितियों के पास प्रोडक्शन का काम रखें। जैसे बैंक से कर्जा दिलाने का काम है, वह पंचायत समितियो के पास में रहे। शिक्षा का पंचायत समितियों के पास रहना

(श्री शंकरलाल)

उचित नहीं है। इसी प्रकार से जनस्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत जलप्रदाय में हानि होती है। जब आप एक योजना बनाते हैं। आप पानी का पैसा भी लेते हैं तो जलप्रदाय में हानि कैसे हुई है, क्या वित्त मन्त्री महोदय और राजस्थान सरकार यह बताने की कृपा करेगी? इसके अलावा जलप्रदाय योजना वहां लागू करें जहां वास्तव में पीने का पानी उपलब्ध होता हो। इस अवसर पर मैं एक बात और भी याद दिलाऊंगा। चतुर्थ विधान सभा में ऐसा एक प्रस्ताव पास किया गया था कि पेय जल के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाये। सरकार उससे मुकर नहीं सकती है। कल मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि १० करोड़ रुपया पेय जल के लिए खर्च करेंगे। तो मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों का बोर्ड हो, जिसका इम्प्लीमेण्टेशन सही ढंग से हो। यह सुझाव मैं माननीय मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में कुछ रुपयों की मांग की गई है। यह बताया गया है कि, ग्रामीण निर्माण योजना, जो केन्द्रीय सरकार की योजना है, उसके लिए कुछ राशि अपेक्षित है। यह व्यय केन्द्र सरकार के प्रति शोध्य है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण निर्माण योजना के तहत अभी तक कहीं कार्य चालू नहीं हुआ है। पाली जिला उन्नत जिलों में से है, जिसमें यह योजना लागू होने को है। इस योजना के तहत दो करोड़ प्रत्येक जिले में खर्च होगा। यह रूरल वर्क्स योजना है, यह दूसरे जिलों में कहां कहां पर चालू हुई है, कहां कहां काम शुरू हुआ है, दूसरों में क्यों नहीं हुआ है इसका सरकार जवाब दे? पाली जिले में इस योजना के तहत कुछ नहीं हुआ है। क्रैस प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ काम जरूर हुआ है, जिसमें कहा गया है, गांवों में बेरोजगारी को मिटाने के लिए एक हजार लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था है। उसमें भी कई दिक्कतें आती हैं। रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत लोगों को रोजगार मिल सके इसके लिए गई साल ही योजना चालू हो जानी चाहिए थी लेकिन उसके अन्तर्गत कोई काम चालू नहीं हुआ है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें कि यह क्यों चालू नहीं हुए? आगे के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय ऐसा आ गया है जब कि पाली की पूरी तहसील अकालग्रस्त है, उसमें फेमीन डिक्लेअर्ड है। जो कुछ थोड़ा बहुत धान लोगों के खेतों में हुआ है, वह भी कट चुका है और लोग बेकार बैठे हुए हैं। इसलिए यह उपयुक्त समय है, जब कि फेमीन वर्क्स चालू करें, फेमीन के कौन से काम चालू हों, इसके लिए एक कमेटी पहले होती थी, उसमें एक एम. एल. ए., प्रधान और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बैठ कर योजना तय करते थे। न जाने अब कौनसी प्रक्रिया चालू की है, न उस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और न कोई काम चालू होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना जल्दी से जल्दी चालू हो, इसके लिए इस कमेटी की मीटिंग बुला कर इस काम को चालू किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में और निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान भूमि जल बोर्ड को मशीनरी खरीदने के लिए पांच लाख पचास हजार रुपये की

(श्री शंकरलाल)

राशि चाहिए। यदि भू-जल मंडल के लिए मशीन की कमी है तो मशीन जरूर खरीदी जाय। लेकिन मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि इन मशीनों से वास्तविक जिन किसानों को फायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। इसका कारण यह है, एक तो उनको उपलब्ध करने की प्रक्रिया है, किस आदमी को कब मिलेगी, मशीन की उपलब्धि की प्रक्रिया हर आदमी को मालूम नहीं है, न पंचायत समिति इसके अन्दर मदद दे सकती है। दूसरी स्थिति इसके अन्दर यह होती है कि जो खर्चा होता है वह इतना होता है कि आज एक कुए को खोदने के लिए तीन हजार रुपये खर्च करे कोई और उसके बाद भी पानी नहीं निकले तो सारा पैसा बेकार जाता है। इसलिए कुछ सब्सीडी के तौर पर देकर गांव के गरीब किसान को मशीन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाय ताकि इस मशीन का फायदा हो नहीं तो बड़े-बड़े लोग जो हैं, जागीरदार जिन्हें न कहें तो भी बड़े बड़े लोगों के जो बड़े बड़े फार्म हैं वे ही इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिये गांवों में जहां कुए खोदने के लिए मशीन की जरूरत है, कुओं को गहरा कराने के लिए मशीन की जरूरत है, पत्थर तोड़ने के लिए मशीन की जरूरत है इस काम के लिए मशीन का फायदा किसानों को तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि किसानों के लिए सीधी और सरल प्रणाली न बनाई जाय और उनको सब्सीडी न दी जाय।

इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह जो सप्लीमेन्ट्री बजट रखा है, इस पर जो मुद्दे रखे हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए ३१ मार्च के बाद का बजट बनाया जाय और उसमें इन मुद्दों को रखा जाय तो वह जनता के लिए हितकर होगा।

श्री उपाध्यक्ष: गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमेन्ट्री बजट एक प्रकार से बहुत बड़े आंकड़ों का बजट है। मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा कि सप्लीमेन्ट्री बजट इसलिए रखने की आवश्यकता होती है कि राज्य सरकार कई बार कुछ भूल कर जाती है जो इस सप्लीमेन्ट्री बजट के आंकड़ों के द्वारा ठीक की जाय और काम चले। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारी समय-समय पर अपनी वाजिब मांगें रखते हैं, उनकी वाजिब मांग सरकार मानती नहीं है तो राज्य कर्मचारी आन्दोलन करते हैं। आन्दोलन के अन्दर राज्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी होती है, उसमें व्यय होता है। जैल में राज्य कर्मचारियों को ले जाया जाय तो उसमें भी खर्च होता है। उसके बाद में राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों की कुछ मांगों को मान लेती है। इस कारण से राज्य कर्मचारी फिर आन्दोलन करते हैं। राज्य कर्मचारी आन्दोलन करते हैं उन पर व्यय होता है, राज्य कर्मचारी आन्दोलन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन आदि के लिए आन्दोलन करते हैं। इसके अलावा नगर परिषद्, स्वायत्त शासी संस्थाओं के कर्मचारी आन्दोलन करते हैं, और हरिजन कर्मचारी हैं वे आन्दोलन करते हैं। वे राणावत आयोग सिफारिशों को मनवाने के लिए करते हैं। मैं समझता हूं कि यदि राणावत आयोग की सिफारिश पहले ही मान ली जाय तो किसी को आन्दोलन करने की आवश्यकता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ही नहीं रहती है। उससे राज्य सरकार के कर्मचारी भी प्रसन्न होंगे, नगर परिषद् के कर्मचारी भी प्रसन्न होंगे और जो यह चाहते हैं कि राणावत वेतन आयोग की सिफारिश लागू होनी चाहिए वे भी प्रसन्न होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में जो मांग रखी गई है, मैं समझता हूं, इस पर अधिक खर्चा करना बेकार है क्योंकि पुलिस की कई घटनायें हमारे सामने हैं, धौलपुर की घटना हमारे सामने है, नीम के थाने की घटना हमारे सामने है, सवाई माधोपुर की घटना हमारे सामने है। यह पुलिस का महकमा इतना अकर्मण्य है, बेकार है कि दिन दहाड़े चोरियां होती हैं, दिन दाहड़े जैन मंदिर में चोरियां होती हैं, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं होती हैं। इसलिए इस विभाग के ऊपर अधिक खर्चा नहीं करना चाहिए।

चिकित्सा के बारे में २९ नम्बर पर मांग की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर के अन्दर सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर दवा की कमी है, इतनी कमी है कि सोड़ा बाई कार्ब, जिसको मीठा सोड़ा कहते हैं, आज सवाई मानसिंह अस्पताल में मीठा सोड़ा उपलब्ध नहीं है, ए. पी. सी. की गोली नहीं है और मरीजों के पट्टी बांधने के लिए पट्टी नहीं है। राज्यपाल महोदय ने कहा था कि १९७१-७२ के अन्दर २८ लाख लोगों के टीके लगाये गये हैं। मैं जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि २८-२-७१ से असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हैल्थ सर्विसेज, एन. एस. ई. पी. की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस पोस्ट के लिए योग्य आदमी मिलता नहीं है या लाल फीताशाही के कारण से यह पोस्ट खाली पड़ी है। डब्ल्यू. एच. ओ. का प्रतिनिधि आज जयपुर में बैठा हुआ है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के अन्दर सवाई मानसिंह अस्पताल की हालत यह है कि पोस्ट खाली पड़ी है, मरीजों को भली प्रकार से दवा नहीं मिलती है यहां तक कि ए. पी. सी. की गोली नहीं मिलती है, पट्टी बांधने के लिए नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि बड़े से बड़े अस्पताल की आज यह दशा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सेल्स टैक्स के लिए निवेदन किया गया। मैं इस राय का हूं कि सेल्स टैक्स को समाप्त करना चाहिए। वांचू साहब कमेटी थी, डाइरेक्ट टैक्सेशन कमेटी, उसने सेल्स टैक्स को समाप्त करने के बारे में कहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जन-स्वास्थ्य विभाग की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। जनस्वास्थ्य विभाग ने जयपुर शहर के लिये एक योजना बनाई है, दस करोड़ रुपये की गटर डालने की योजना। मैं समझता हूं, विनियोग विधेयक, जो आपके सामने रखा गया है, उसमें इसका कोई हवाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर शहर में जन-स्वास्थ्य विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह पीने के पानी की समस्या का समाधान करे। अब पीने के पानी की समस्या चालू हो गई है, नलों के अन्दर पानी नहीं आता है और आता है तो अशुद्ध पानी आता है। नलों में गटर का गन्दा पानी आता है, कभी-कभी मल-मूत्र भी निकलता है नलों में। राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दिया है। मुख्य मन्त्री जी ने कल कहा था कि वह जयपुर के अन्दर पीने के पानी की समस्या का समाधान कर देंगे। मैं समझता हूं कि बनास योजना जो जयपुर में पानी लाने के लिए चालू हो जानी चाहिये थी, तेरह करोड़ रुपये की योजना, वह चालू नहीं हुई है। जयपुर के अन्दर जब तक बनास का पानी नहीं आयेगा, मैं समझता हूं तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, अगर पीने का पानी नहीं मिलेगा तो इससे जयपुर के लोगों को परेशानी होगी और जो पानी मिलेगा वह अशुद्ध मिलेगा तो उसको पीकर लोग बीमार होंगे। मेरा निवेदन है कि तेरह करोड़ रुपये की बनास की योजना है, इसको लागू करें। राज्य सरकार इस योजना को लागू नहीं करेगी तो जयपुर शहर के लोगों की पीने की पानी की समस्या है उसके कारण लोग पीने के पानी के लिए तरसने लगे हैं और मेरे दल को मजबूर होकर आन्दोलन करना पड़ेगा। अभी अमानी शाह, लक्ष्मण डूंगरी में रिजरवायर है, वह चौदह लाख गैलन का है। इस टंकी से जयपुर शहर के पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, यह रिजरवायर छोटा है, इसलिए बड़ा रिजरवायर बनाया जाना चाहिए। सुबह वह एक हाइड्रेन्ट पर पहुँचेगा, पहले बड़ी चौपड़ पर पहुँचेगा, फिर छोटी चौपड़ पर पहुँचेगा, तब तक पानी देने का जो टाइम है वह पूरा हो जायगा। पानी हाइड्रेन्ट पर घूमता हुआ आता है इस कारण लोगों को पानी नहीं मिलता है और पानी की समस्या बनी रहती है। इस कारण से कच्ची बस्ती के लोग बड़े त्रस्त रहते हैं। सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो और चाहे बरसात का, कच्ची बस्ती के लोग परेशान रहते हैं...

वहां पर हाइड्रेंट्स नहीं हैं। आग लग जाए तो घाट गेट से इंजिन आएगा और वहां से पानी लाना पड़ेगा। फायर स्टेशन की हालत खराब है। फायर गाड़ी की हालत खराब है उसका नाम है सुसनवानू, वह कच्चे में नहीं जा सकती। इस प्रकार हाइड्रेंट्स न होने से पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आग लग जाए तो बुझाने के लिए गाड़ी घाट दरवाजे से आएगी। १९०६ से लेकर ९१०१ तक ६० कुएं बने थे जहां से १.२५ लाख गैलन पानी मिलता था। उन कुओं से सफाई न होने के कारण और बोरिंग न होने के कारण केवल एक लाख गैलन पानी मिलता है। कुओं की सफाई नहीं होगी, बनास योजना लागू नहीं होगी, कच्ची बस्ती में आग बुझाने की गाड़ी नहीं जाएगी, हाइड्रेंट्स नहीं लगायेंगे तो जयपुर की जनता को गर्मी के दिनों में काफी कष्ट का सामना करना पड़ेगा।

इसी प्रकार से परिवार नियोजन के बारे में कहा गया है। परिवार नियोजन का पालन न तो मंत्री महोदय करते हैं न जनता करती है और जिस ढंग से हिन्दुस्तान में परिवार नियोजन के नाम पर प्रचार होता है, लाखों रुपये जो खर्च होते हैं, लोगों को जो प्रलोभन दिया जाता है, वे परिवार नियोजन का जो पालन करते हैं, उससे उनके शरीर को नुकसान होता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परिवार नियोजन के बजाय यदि राज्य सरकार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

स्थान-स्थान पर खेलने-कूदने के स्थान बना ले तो मनुष्य जब थक जाएगा तो वहां जाकर अपनी थकान मिटाएगा, विश्राम करेगा और सरकार का जो अभिप्राय है वह भी पूरा हो जाएगा। बाग बगीचे बन जायेंगे, खेलने-कूदने के स्थान बन जायेंगे इसलिये परिवार नियोजन के नाम पर जो रकम रखी है उसका मैं विरोध करता हूं।

कृषि के बारे में मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करूं कि लोन लेने में काश्तकार को कठिनाई, बिजली खेत पर पहुंचती नहीं, वोल्टेज मिलता नहीं, वोल्टेज मिलेगा तो फ्यूज चला जायेगा। उसके ठीक करने के लिये ३-३, ४-४ दिन कोई आता नहीं, खड़ी खेती चली जाएगी। काश्तकार को बिजली की मोटर नहीं। यह सम्भव नहीं कि वह दो-दो मोटर रख सके। इसलिये कृषि की ग्रांट का मैं विरोध करता हूं।

अकाल सहायता के बारे में आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि अकाल सहायता कार्य राजनैतिक आधार पर किया गया है, पगार लोगों को राजनैतिक आधार पर दिया गया है। अकाल सहायता राशि का दुरुपयोग राजस्थान में किया गया है।

विद्युत् विभाग की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वह निष्क्रिय है। वोल्टेज आती नहीं, लोग परेशान हैं। जयपुर शहर में केवल एक बाजार में बड़ी लाइन डालने के लिये २.५० लाख रुपये केवल केवल बदलने के लिये बोर्ड मांगता है जबकि नगर परिषद् ५ लाख रुपये सार्वजनिक कार्यों पर खर्च करती है। एक ट्यूब लाइट लगाने के लिये १५००) रु० विद्युत् विभाग मांगता है। कल मुख्य मन्त्री ने कहा कि मेरा कोई मन्त्री भ्रष्ट नहीं है और मैं भी भ्रष्ट नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं कि कोई मन्त्री भ्रष्ट नहीं हो लेकिन कोई अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, जयपुर नगर परिषद् के गैरीजन ऑफिसर श्री मोहनलाल शर्मा ने मन्त्री महोदय पर भ्रष्टता के आरोप लगाये तो मैं समझता हूं जांच करनी चाहिये थी। जांच करने के बजाए उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। यदि भ्रष्टता बताने वाले को ही राज्य सरकार पहले खत्म करेगी तो भ्रष्टता सामने रखने वाला कौन होगा? राज्य सरकार यह घोषणा करती है कि कोई भ्रष्ट नहीं है, कोई बेईमान नहीं है तो फैसला करना चाहिये। कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, उसके मुंह पर ताला लगाया जाए, भ्रष्ट कहने वाले व्यक्ति को कुचल दिया जाये तो यह सही बात नहीं। उसको सस्पेंड न करके सामना करना चाहिये।

कल यहां पर काफी चर्चायें हुई हैं और उन चर्चाओं में विकास कार्य की भी चर्चा हुई, मनोरंजन कर की चर्चा हुई। मनोरंजन कर के बारे में मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि १९५७ में ६ प्रतिशत नगर-परिषद् को कुल मनोरंजन कर मिलता था लेकिन अब १६ वर्षों में ५९ प्रतिशत की वृद्धि हो गई। सब शहरों के साथ यह समस्या हो गई। ६५ पैसा राज्य सरकार मनोरंजन कर के रूप में लेती है। मुख्य-मन्त्री ने कहा नगरपालिका सिनेमा खोल दे उससे जो आय होगी उस पर रोक नहीं लगायेंगे। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि राज्य सरकार जो नगर-परिषद् का एक बहुत बड़ा हिस्सा दबाती है वह नगर परिषद् को दे दे। राज्य सरकार जयपुर में ७ सिनेमाघरों से जो मनोरंजन कर की

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आय होती है वह पूरी दे दे तो राज्य सरकार के विकास कार्य के लिये नगर परिषद् को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक रुपये पर ५९ पैसे की करों में वृद्धि हो गई, दर्शकों में वृद्धि हो गई, सिनेमाघरों में वृद्धि हो गई। सर्कस, प्रदर्शनी, टूर्नामिन्ट्स से आय होती है वह नगर परिषद् को मिलती थी। १९५५ में यह आय राज्य सरकार ने अपने हाथों में ले ली। अब १९७१ में केवल जैमिनी सर्कस के एक शो पर राज्य सरकार ने ७५०) रु० लिया। इसका मतलब एक दिन में एक शो पर २२५०) रु० राज्य सरकार ने जैमिनी सर्कस पर कमाया। और टूर्नामिंट्स हों, प्रदर्शनियें हों, उसकी आय अलग है। रेट्स बढ़ गए। अन्य मनोरंजन कर के साधन राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिये। १९७१ में राज्य सरकार को केवल जयपुर शहर की सिनेमाओं से ३० लाख रुपये की आमदनी हुई। ६७ हजार रुपये केवल जैमिनी सर्कस से मिले हैं। यह जयपुर नगर परिषद् को दे दे तो जयपुर का स्वतः ही विकास हो जाएगा। राज्य सरकार के अहसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके विपरीत १९५७ में तीन सिनेमा हॉल थे। सरकार ने ३,०४,६६४) रुपया परिषद् को मनोरंजन कर के दिये और उसमें भी १,५२,३३२) रुपया पानी के काट लिये जबकि सरकार ने पानी के बिल के भुगतान की जिम्मेदारी ले ली लेकिन आज तक परिषद् को ३ लाख रुपये भी नहीं मिले। इसलिये नगर परिषदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुआ कि मनोरंजन कर नगर परिषद् को मिलना चाहिये। यह नगर परिषद् की आय है। इस प्रकार की मांग अध्यक्षों ने की है लेकिन नगर परिषद् को ३ लाख ६७ हजार दे दिये जायें तो भी सरकार की आय बढ़ेगी क्योंकि सिनेमाओं की संख्या बढ़ेगी, दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और मनोरंजन के साधन जयपुर में आते रहेंगे तो राज्य सरकार से अहसान मांगने की आवश्यकता नहीं है।

आपने गांधी शताब्दी में यान्त्रिक गाड़ियां खरीदने के लिये नगर परिषद् को ४ लाख रुपये दिये लेकिन यान्त्रिक शब्द की परिभाषा आज तक नगर परिषद् को नहीं दी। नगर परिषद् ने १५ टेम्पो मांगे थे उसके बजाय ५ दिये वह भी खराब दिये। सम्पूर्ण पैसे में से १.६० लाख खर्च हुआ है। ३१ मार्च आ गया है वह लेप्स हो जायगा। आपने ४ लाख जो यान्त्रिक गाड़ियों के लिये दिया, 'यान्त्रिक का अर्थ अपना निकाल कर परिषद् को सामान खरीदने नहीं दिया। इसलिए ३१ मार्च से पहले सामान परिषद् को खरीदने की आज्ञा दें ताकि वह गाड़ियां, बाल्टी इत्यादि खरीद सके और गलियों की सफाई की व्यवस्था हो सके।

आपने पुराने तहारतों को फ्लश में बदलने के लिये ३ लाख रुपये दिये लेकिन आपकी पद्धति के अनुसार समाज कल्याण संचालक बैठेगा, नगर परिषद् में डायरेक्टर बैठेगा। आपकी पद्धति के कारण आज तक केवल २,४००) रु. अनुदान का दिया है। ३००) रु. एक लेट्रिन के लिये देना है लेकिन परिषद् ने कुल २,४००) रु. दिया है। बाकी पैसा क्यों पड़ा है ? मलकानी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवाना चाहिये। हरिजन सर पर मैला ढोते हैं उस प्रथा को खत्म करना चाहिये। तो आपको अपनी पद्धति का सरलीकरण करना पड़ेगा।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

१ लाख रुपये जो पड़े हैं उसको ३१ मार्च के आगे खर्च करने की अनुमति दें।

आपने जो जयपुर शहर में शौचालय बनाये हैं उनको बदलने के लिए दो लाख रुपये दिये। लेकिन परिषद् ने एस्टीमेट बना कर आपकी सेवा में भेजा। सारे टेण्डर्स को परिषद् ने स्वीकृति के लिये आपके पास भेजे, आपने स्वीकार नहीं किया तो वह पैसा जो उन पर केवल एक लाख खर्चा हुआ है, बाकी पड़ा है। यह ९ लाख समाज कल्याण से जो अनुदान मिला उसमें से मुश्किल से २ लाख खर्च हुआ है, ७ लाख रुपये परिषद् के पास पड़े हैं।

आज जयपुर शहर के अन्दर हालत बहुत ही खराब हो रही है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि आज तारीख २९ मार्च हो गई है और ३१ मार्च दो दिन बाद ही आ जायेगी इसलिये आपने जो रकम सैंक्शन की है वह काम नहीं आ सकेगी और वह लेप्स हो जायेगी। इसलिये उसको लेप्स नहीं होने देने के लिये राज्य सरकार ऐसे आदेश प्रसारित करे कि वह रकम नगर परिषद् ३१ मार्च के बाद में भी काम ले सके। इसके अलावा जो मैं आपसे महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी जो मनोरंजन कर आप लेते हैं, राज्य सरकार लेती है वह राज्य सरकार न लेकर आज तक जो ३० लाख ६७ हजार रुपया हुआ है वह आप नगर परिषद् को दिलावें ताकि जयपुर नगर का विकास हो जो कि आज बरसों से रुका हुआ है वह पूरा हो सके। उस ३० लाख ६७ हजार रुपये के देने से इसमें ४ प्रतिशत प्रशासनिक व्यय दो इन्सपेक्टरों को देने के बाद जो कि करीब दो लाख रुपये होता है, करीब २८ लाख रुपये नगर परिषद् के पास जयपुर के विकास के लिये रह जायेंगे। अगर आप यह रकम दे देंगे तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आपको फिर जयपुर के विकास के लिये ज्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। फिर तो नगर परिषद् जयपुर खुद ही अपने शहर का विकास कर सकेगी। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस रकम को जयपुर के विकास के लिये जल्दी से जल्दी दिलाने की व्यवस्था करें। मैं यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि पहले भी मनोरंजन कर में जो रकम आती थी उसमें ६ पैसा प्रति रुपया नगर परिषद् का होता था ऐसा प्रावधान था। यह तो बाद में आपने देना बन्द कर दिया है और अगर यह ३० लाख ६७ हजार रुपया आप जयपुर के विकास के लिये दे देंगे तो मनोरंजन कर की रकम तो कोई अहसान भी नहीं करते जयपुर की नगर परिषद् पर। इसके अलावा आपने जयपुर के विकास के लिये ४ लाख ५० हजार रुपये की सैंक्शन की थी उसके लिये आपने यह कहा था कि इसमें ७५ प्रतिशत तो राज्य सरकार देगी और २५ प्रतिशत जयपुर नगर परिषद् अपने पास से जमीन बेच कर जो कि करीब १ लाख ४० हजार रुपया होता है, जयपुर नगर परिषद् देगी। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर नगर परिषद् कौनसी जमीन बेचे? आपने पहले ही सन् ६१ में यह रोक लगादी थी कि जयपुर की म्युनिसिपैलिटी शहर के बाहर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की जमीन तो बेच नहीं सकती और जयपुर के शहर के परकोटे में इतनी जमीन नहीं है कि इतने पैसे आ सकें तो इस तरह से जमीन बिकेगी नहीं, पैसा आयगा नहीं और जो राज्य सरकार ने पैसा दिया है वह कागजों में ही रह जायगा और ३१ मार्च आने वाली है और वह पैसा लेप्स हो जायगा। अत्यन्त ही खेद का विषय है उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर के विकास के लिये राज्य सरकार इस तरह से अड़चनें लगा रही है और ऊपर से कह रही है कि हम जयपुर का विकास चाहते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मुख्य मंत्रीजी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रकार की जो जमीन बेचने की रोक जयपुर नगर-परिषद् पर लगा रखी है सन् ६१ से उसे तुरन्त खत्म करें और जो रुपया आपने दे रखा है वह ३१ मार्च को लेप्स न होकर आगे काम में आने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इसी प्रकार जयपुर के विकास के लिये आपने ५ लाख ६० हजार रुपये की सैंक्सन की है। उसके लिये जयपुर नगर परिषद् ने टेन्डर मांग लिये, नक्शे बन गये कि यहां-यहां पर काम होगा, विज्ञापन दे दिये गये। वर्क ऑर्डर तय हो गया, इस प्रकार जयपुर की नगर परिषद् ने दस हजार रुपये का खर्चा कर दिया तो आपने यहीं ७५ और २५ प्रतिशत वाली रोक लगादी। आप भी जरा सोचें उपाध्यक्ष महोदय, कि जमीन बेचने की बात जो सरकार कर रही है क्या वह नहीं जानती है कि जयपुर नगर परिषद् के पास जमीन कहां है दूसरा कोनसा जरिया पैसा आने का है, जिससे कि जयपुर नगर परिषद् रुपया लावे। मनोरंजन कर के पैसे आपने बन्द कर दिये, और सर्कस, टूर्नामेन्ट, कुश्तियें आदि से जो पैसा मिल सकता था वह आपने बन्द करा दिया तो आप भी बताइये उपाध्यक्ष महोदय, एक तो जयपुर की म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा यों ही नहीं दूसरे इस तरह से दस हजार रुपये का खर्चा बेकार हो गया, इसलिये मैं यह राज्य सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि आप जयपुर की जनता पर और जयपुर के विकास के लिये कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर इन्हें पूरा करावें। एक तरफ तो आप राज्य सरकार के बजट में इतनी बड़ी बड़ी धनराशि जयपुर नगर परिषद् के लिये, जयपुर के विकास के लिये रख देते हैं पर उस पर जो रोक आपने लगादी है उसे आप नहीं हटा रहे हैं तो फिर जयपुर का विकास कैसे हो सकता है? क्योंकि बजट लेप्स हो जाता है, काम होते ही नहीं हैं और आज जयपुर का विकास कार्य बिलकुल बन्द पड़ा है, चारों तरफ जिधर देखो सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां सड़ रही हैं, और इस तरह से जयपुर शहर का विकास कार्य बन्द पड़ा है।

(३.२४ म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

आज जो राज्य सरकार ने ४ लाख ५० हजार रुपये जयपुर शहर में नल व गटर डालने के लिये सैंक्शन किये और ९ लाख रुपये और जयपुर नगर परिषद् के पास आपके सैंक्शन किये हुए पड़े हैं पर वे काम इसलिये ही नहीं आ सकते हैं कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी जमीन बेचकर रुपये उसमें लगावे तो वह काम शुरू हो। मैं कहता हूं कि आप मनोरंजन कर के जो ३० लाख

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

६७ हजार रुपये हैं वे ही क्यों नहीं म्युनिसिपेलिटी को दे देते ताकि विकास कार्य हो सके। इस तरह आपने १३ लाख रुपये संक्शन किये हैं, अलग अलग स्कीम्स के नाम से आप रुपया संक्शन करते हैं पर रोक उसमें यह लगा देते हैं कि जयपुर नगर परिषद् इसमें ७ लाख ४ हजार रुपये जमीन बेच कर लगावे तो यह रकम काम आवेगी । इसके बारे में कई बार राज्य सरकार से निवेदन किया जा चुका है कि जयपुर शहर के अन्दर कोई जमीन नहीं है कि जिसे जयपुर नगर परिषद् बेचकर यह काम करवा सके । मैं जानता हूं कि जयपुर का विकास कार्य यह कांग्रेस की सरकार करना नहीं चाहती है । अगर यह विकास कार्य करना नहीं चाहती तो यह रोक नहीं लगाती कि जमीन बेचकर इतने रुपये इसमें लगावें । इसलिये मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन है कि आप इस प्रकार की रोक को हटा कर जयपुर शहर का विकास कार्य करावें । आज जयपुर शहर के अन्दर नाहरगढ़ रोड की सड़क टूटी फूटी हुई है, खजाने वालों के रास्ते में सड़क की हालत बहुत खराब है । अगर आप इन्हें ठीक करवादें तो मैं आपसे निवेदन करदूं कि यह एक अच्छा पर्यटक केन्द्र बन जायगा । आज बाहर से पर्यटक लोग आते हैं और बहुत परेशान होते हैं क्योंकि जो नाहरगढ़ के किले को सड़क जाती है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है । आज अगर खजाने वालों के रास्ते में पर्यटक अगर मूर्तियां खरीदने जाता है उसके लिये बड़ी तकलीफ हो जाती है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि जयपुर शहर के पर्यटक केन्द्र से सरकार की आय और बढ़ सकती है अगर आप जयपुर का विकास करदें ।

(घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके मार्फत और निवेदन करना चाहता हूं । कल जनसंघ पर यह आरोप मुख्य मन्त्रीजी ने लगाया था कि जनसंघ ने कहा कि छाछरों पर अगर पानी के नल लगा दिये जाते या पानी की व्यवस्था किसी प्रकार कर दी जाती तो ठीक रहता । अध्यक्ष महोदय, हमने जो कुछ कहा उसका तात्पर्य यह नहीं था । हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि अगर युद्ध के दिनों में छाछरों में आप अगर पानी की समय पर हवाई जहाज द्वारा हमारी फौज को व्यवस्था कर देते तो मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, हम तुरन्त हैदराबाद पर कब्जा करने में सफल हो जाते । हम यह तो जानते ही हैं कि सीमा प्रान्त इलाका है वह पाकिस्तान का वहां पर हम नल वगैरह या और किसी प्रकार की व्यवस्था दूसरे देश में कैसे कर सकते हैं ? पर यह तो बात युद्ध के समय पानी की व्यवस्था के लिये कहा गया था हमारी फौज के लिये । इतने मूर्ख हम नहीं हैं कि यह बात करते कि वहां पर राज्य सरकार ने पानी का इन्तजाम क्यों नहीं किया ? तो जो मुख्य मन्त्री का माननीय सदस्यों को गुमराह करने के लिये यह कहा गया कि जनसंघ ने ऐसा कहा कि राजस्थान सरकार ने पानी की समस्या के हल के लिये छाछरों में कोई काम नहीं किया यह गलत कहा है ।

(घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी समाप्त करता हूं । दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से वह यह है कि जो मलकानी रिपोर्ट नगर परिषदों के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लिये दी गयी है उसको भी अभी तक राज्य सरकार ने लागू नहीं करके नगर परिषदों के ऊपर कुठाराघात किया है। उसमें जो राज्य सरकार से करीब ४० हजार गाड़ियां नगर परिषद् को मिलनी चाहियें व जयपुर के हरिजनों के लिये भी कोई विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ है। उनको जमीनों के पट्टे भी नहीं मिले हैं। आज आपने जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से नाहरगढ़ रोड व खजानों वालों के रास्ते को ठीक कराने के लिये आदेश देने की घोषणा इस सदन में पहले की थी उसके बारे में जब मैं वहां पर इन्जीनियर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फण्ड्स नहीं हैं और इस स्कीम के लिये जो खर्चा होना चाहिये वह बजट की ग्रान्ट भी नहीं है। मैंने देखा कि सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स में आ जावेगी वह भी नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन इस बारे में यह करना चाहता हूं कि वहां पर सड़क पर दोनों ओर पानी बरसात में भर जाता है और सड़क टूटी हुई है। लोग आते जाते हैं तो गड्ढे जो बीच में सड़कों पर पड़ गये हैं उनमें गिर जाते हैं ऐसी बुरी व्यवस्था है इसलिये आप उसकी मन्जूरी देकर तुरन्त सड़क ठीक करवा कर वहां डामर कराने की व्यवस्था करावें ताकि जनता को राहत मिले। जहां तक सड़क पर पानी भरने का सवाल है, यह तो आपको चौड़ा रास्ता, चान्दपोल बाजार और इधर जौहरी बाजार सभी जगहों पर पानी भर जाता है, गटर सिस्टम ठीक नहीं है। इधर सड़कों की मरम्मत नहीं होने की वजह से सड़कें टूट गयी हैं। बरसात में पानी भर जाता है। और मैं आपसे निवेदन करदूं कि पुरानी बस्ती, खजाने वालों के रास्ते में और नाहरगढ़ की सड़क पर पानी इस तरह से भर जाता है कि उसमें आप चाहें तो छोटी नाव चलालें। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप जयपुर में आये हैं, कोई बीकानेर से, कोई जोधपुर से, कोई उदयपुर से, चित्तौड़ से—बरसात आने वाली है। पानी सड़कों पर भर जायेगा। आपको भी इन सड़कों पर चलना होगा। चूंकि सड़कें टूटी हुई हैं आपके भी ठोकर लग सकती है इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से उम्मीद करता हूं कि वे जयपुर की सड़कों की हालत ठीक कराने के लिये राज्य सरकार पर दबाव डालकर उन्हें ठीक करायेंगे और जयपुर के शहर का विकास कार्य कराने में मेरी मदद करेंगे। इसके अलावा आपको एक बात और निवेदन करदूं वह है जयपुर में पेय जल की समस्या। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। आज जयपुर के नलों द्वारा जो पानी आ रहा है वह बहुत ही खराब किस्म का है, और जो राज्य सरकार ने बनास से पानी जयपुर में लाने की योजना बनायी थी वह तुरन्त पूरी करके जयपुर की जनता को राहत पहुँचाई जाय। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार घोषणायें तो जयपुर के विकास के लिये करती है। जयपुर की जनता को पीने के पानी के लिये जो घोषणायें की हैं उनको पूरा करने में बिलकुल असमर्थ रही है। आज बनास योजना से जो पानी नहर द्वारा लाना था वह शुरू नहीं हुई है। इसलिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा आपके मार्फत अध्यक्ष महोदय, कि गर्मी आ रही है जनता को जल संकट होगा उसका निवारण जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करे।

(घन्टा)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह नजूल सम्पत्ति के बारे में। आज जयपुर में, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में जितनी नजूल सम्पत्ति थी वह कानूनन नगर परिषद की होती है। आज जयपुर नगर परिषद् की कई दुकानें, ये रामनिवास बाग में जो रवीन्द्र मंच है, रामप्रकाश सिनेमा है ये और भी जो इस प्रकार की नजूल सम्पत्ति है, उसे जयपुर नगर परिषद् को दी जाय। जिस प्रकार आपने बीकानेर में, उदयपुर में, जोधपुर में नजूल सम्पत्ति को वहां की नगर परिषदों को दी है। आज इसकी हजारों रुपये की आय जो वह नगर परिषद् को मिलनी चाहिये वह पी० डब्ल्यू० डी० विभाग उसका किराया ले रहा है। राज्य सरकार से कई बार निवेदन किया पर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि नजूल सम्पत्ति को तुरन्त जयपुर नगर परिषद् को दी जाय ताकि वह अपनी आय बढ़ा कर जयपुर नगर का विकास करे।

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शायद घन्टी का अर्थ नहीं समझते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अभी बैठ जाता हूँ। सिर्फ एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। वह है, जयपुर नगर की कच्ची बस्ती वाले लोगों की हालत के बारे में, कच्ची बस्तियों में पानी, बिजली व चिकित्सा के बारे में। यह पानी बिजली और चिकित्सा की हालत आज उन गरीबों की हो रही है उसे मैं अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसकी व्यवस्था करें और आज जो उन जमीनों पर कब्जा किये हुए बरसों से बैठे हैं उन्हें उसका पट्टा दिया जाय। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य मानता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री वित्त मन्त्री !

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव पर विचार सदन में प्रकट किये गये, उन पर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा।

एक बात सदन में जोरों से कही गई कि मद्य-निषेध नीति को स्थगित कर दिया गया तो फिर उस पर खर्च की मांग क्यों की गई ? मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि कल माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में घोषणा की थी कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस नीति को कुछ दिनों के लिये स्थगित कर रहे हैं जब तक कि आर्थिक स्थिति पुनः ठीक नहीं हो जावे।

अब जिन इलाकों में मद्य-निषेध की नीति को हमने लागू किया है उन जिलों और तहसीलों में कोई दूसरे जिलों से शराब न ले जावे या इलिसिट डिस्टिलेशन वहां न होने पावे इसकी रोकथाम और देखभाल के लिये प्रीवेन्टिव फोर्सेज हमें रखनी पड़ेंगी जिसके लिये खर्चे को मांग की गई है।

मैं मानता हूँ कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे देश में शराब की आदतें बढ़ी हैं। और यह भी मानता हूँ कि

(श्री चन्दनमल वैद)

पूरी तरह से प्रोहिबिशन कानून के जरिये नहीं किया जा सकता। इसके लिये तो हमारे सोशल वर्करों को समाज में जाकर समझाना पड़ेगा, इसके लिये अन्दर से वातावरण निर्मित करना पड़ेगा, इसके लिये कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

फिर भी जिन छः जिलों में हमने मद्य-निषेध घोषित किया है वहां चौकसी के लिये प्रीवेन्टिव फोर्स हमें रखनी होगी। मैं साथ ही यह भी स्वीकार करता हूँ कि इतना हमारे करने पर भी लोग इल्लिसिट डिस्टिलेशन की आदत नहीं छोड़ेंगे, गैर-कानूनी ढंग से, हमारे अधिकारियों को कह लीजिये, मिलीभगत से या रिश्वतखोरी से यह काम चलने की सम्भावना है, फिर भी हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम इसको रोकने के लिये प्रयत्न करें। और मैं यह सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चौकस रखी जावेगी और जिन छः बातों की तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है उन बातों की तरफ सरकार पूरी तरह से ध्यान रखेगी और कम से कम इस तरह के अपराध हों इसका पूरा प्रयत्न करेगी। पूरी तरह से इन अपराधों को रोक देंगे यह दावा तो हम भी नहीं कर सकते। पर इतना प्रयास हमारा है कि इन अपराधों को सख्ती से रोकें और आगे चलकर सारे राजस्थान में जो प्रोहिबिशन हम करना चाहते हैं, वह कर सकें।

साथ ही सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं और नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ड्राइव को ज्यादा जोरों से चलावें और समाज को अन्दर से इसके लिये तैयार करें। सजगता के साथ वे इस आन्दोलन को चलावें। सरकार नीति के तौर पर उनके साथ है और हर सम्भव मदद करने को भी तैयार है। वे समाज को अन्दर से अगर तैयार कर लेंगे तो सरकार का काम आगे से आसान और सुगम हो जावेगा।

दूसरी बात पीने के पानी के प्रबन्ध के बारे में सदन में कही गई। मैं इस बारे में इतना ही निवेदन करूंगा कि मुख्यमन्त्री ने कल सदन में घोषणा की है कि अगले साल दस करोड़ रुपये पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये खर्च किये जावेंगे।

मैं मानता हूँ इससे भी सारे राजस्थान की समस्या हल नहीं हो सकेगी। कई वर्षों तक इसी तरह की राशि खर्च करते रहेंगे तब जाकर मुश्किल से इस समस्या को हम हल कर पावेंगे।

राजस्थान में पीने के पानी को उपलब्ध कराने की समस्या नहीं है। वास्तव में समस्या है पीने के पानी की खोज करना। पानी के स्रोत नहीं मिल रहे हैं। इसी के लिये प्रयास करना है। मैं यह भी जानता हूँ कि कई जगह वाटर वर्क्स भी बन गये हैं पर वहां भी पानी की कमी है। तो इस समस्या को हम सब आपस में मिलकर सहयोग के साथ ही हल कर सकेंगे और सहयोग से ही इस दिशा में हम अच्छी प्रगति कर पावेंगे।

अब यह कहना कि हमारे ब्यावर में तो इसकी व्यवस्था कर ही दी जावे, या जयपुर में बनास का पानी ला ही दिया जावे, और शहरों की तरफ ध्यान ही नहीं

(श्री चन्दनमल वैद)

दिया जावे तो यह सम्भव नहीं होगा। बांट-बांट कर खाना होगा। जो साधन इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं उनको सारे राजस्थान के हित में काम में लाना है। समस्याएं हमारे सामने सब जगह की हैं, बड़े शहरों की भी हैं, छोटे शहरों की भी हैं, ब्यावर, बाड़मेर, जयपुर, बीकानेर, चूरू जैसलमेर सभी जगह इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो इन सब जगहों की जरूरत को प्रायोरिटी के साथ या साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा करके हल करना है। केवल एक इलाके की समस्या को हल करने से काम नहीं चलेगा।

जयपुर की पानी की समस्या के बारे में कहा कहा गया। मैं इस बात की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा है कि हम इस बारे में सचेष्ट हैं, सजग हैं। पर फिर भी यह बताना चाहता हूं कि बनास योजना के बारे में हम खोज-बीन कर रहे हैं। यह योजना जिस रूप में है उसी रूप में शायद सफल न हो सके। पर इसका मतलब यह नहीं कि जयपुर शहर की पीने के पानी की समस्या को नजर अन्दाज कर देंगे। अगर बनास की योजना फिट नहीं होती है तो ट्यूबवैल खुदाकर और-और तरह के कुए खुदा कर समस्या का समाधान किया जावेगा। इस समस्या की तरफ हम सजग और सचेष्ट हैं। इतना मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। इसके अलावा आगे जाकर जयपुर से आने वाले जनसंघ के नेता भी हैं, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं जिनको सुनकर ताज्जुब हुआ और आश्चर्य भी हुआ। एक वक्त था जब बंगला देश के शरणार्थियों के लिये जनसंघ के नेता लोग आंसू बहाते थकते नहीं थे। पर वे ही आज यह कह रहे हैं कि शरणार्थियों के लिये सहायता के पैसे की मांग क्यों की गई ? उनकी यह दुतरफा नीति मेरी समझ में नहीं आती। हमें उनके लिये चिकित्सा और दूसरी चीजों का भी प्रबन्ध करना था जो हमने किया। हमारे यहां से चिकित्सा दल वहां भेजा गया और उसी के लिये जो खर्चा हमने किया उसी की मांग यहां कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं कि अब आपकी शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी कहां चली गई और बिहारी मुसलमानों के लिये हमदर्दी कहां से उमड़ पड़ी ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मन्त्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमने बिहारी मुसलमानों को यहां लाने करने की बात कभी नहीं कही। न हमने शरणार्थियों के प्रबन्ध के लिये खर्चा नहीं करने की बात कही।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बून्दी) : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह प्रसन्नता की बात है कि कांग्रेस ने इन लोगों ने यह माना तो है कि जनसंघ ने मुसलमानों के न्यायिक अधिकारों के लिये आवाज उठाई है। उनका पक्ष लिया है। यही खुशी की बात है।

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझता हूं कि जनसंघ के लोग अपनी इस करारी हार से बौखला से गये है। और इस बौखलाहट में ये यह भी भूल गये हैं कि हमने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। एक तरफ शरणार्थियों का पक्ष लेते हैं और बंगला

(श्री चन्दनमल वैद)

देश को मान्यता दिलाने के लिये आसमान सिर पर उठाये घूम रहे थे और जब खर्च का प्रश्न आता है तो विरोध करते हैं। जब अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग का प्रश्न आता है, राजा-महाराजाओं की समाप्ति का प्रश्न आता है तो बहुत बढ़-बढ़ कर बातें करते हैं पर जब क्रियात्मक रूप देने का प्रश्न आता है तो पीछे भागते हैं और उन्हीं राजा-महाराजाओं और पूंजीपतियों को टिकट देकर अपनी तरफ से लड़ाते हैं। उनके साथ हो जाते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पूंजीपति, राजा-महाराजा तो कांग्रेस के टिकट से बहुत बड़ी संख्या में लड़े हैं और उनके साथ आज कांग्रेस की ही भारी सांठ-गांठ है। इन्हीं पूंजीपतियों और शक्कर की मिल वालों के करोड़ों के चन्दे के बल पर कांग्रेस ने यह चुनाव लड़ा है। २४ महाराजा उनके टिकट पर लड़े हैं।

श्री चन्दनमल वैद : मुझे इसका भी खेद है कि जो आपके साथ होने चाहिये थे वे भी आपके साथ आज नहीं हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो सत्ता में थे विलासिता और राग रंग में थे ऐसे लोग आपके साथ ही रहेंगे, वे हमेशा ही सत्ता लोलुप रहे हैं सत्ता आज आपके साथ है, आपका साथ छोडने में उनको दुःख होगा इसलिये वे पुराने राजा-महाराजा आज सत्ता में बैठे नये राजा-महाराजाओं को कैसे छोड़ सकते हैं। मजदूर, किसान आपके साथ क्या रहेंगे, ये राजा-महाराजा ही रहेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : आपके साथ कोई रहने वाला नहीं है अगर आपका यही रवैया रहा तो। जो रवैया पहले अपनाया उसके कारण तो बहुत से आपके बड़े से बड़े नेता सदन में आने से रह गये। अगर अब भी वही रवैया रहा तो जितने आये हैं वे भी आगे नहीं आ पावेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अपने भाषण को आप अपनी बातों तक ही सीमित रखें तो बढ़िया होगा। जनसंघ में राजा-महाराजा होना आवश्यक नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्यों ने छोर और नया छोर के बारे में जनसंघ दल के नेता ने कहा उसका उत्तर कल दिया गया था, पर खेद है कि कल वे सदन में उपस्थित नहीं थे। पर उनकी पार्टी के अन्य सदस्य तो थे। कम से कम उनका यह फर्ज था कि वे अपने नेता को उससे अवगत कराते जो मुख्य मन्त्री ने कल यहां कहा था इस बारे में। लेकिन उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की और आज फिर वही मुद्दा उठा दिया। सेना के तीनों अंगों के उच्चाधिकारियों ने राजस्थान की तारीफ करते हुए यहां तक कहा है कि अन्य राज्यों के मुकाबले में राजस्थान एक प्रान्त ऐसा रहा जिसने सबसे ज्यादा सेना के हर अंग की हर बात में मदद की। पैदल फौज की और वायु सेना दोनों की। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि उनको पानी नहीं पहुँचाया और मदद नहीं की सरकार ऐसा अगर करती तो सेना हैदराबाद पहुँच जाती। यह सब सदन को केवल गुमराह करने की बातें हैं। पर ऐसा लगता है जनसंघ चौका चूक गया है जैसी कि कहावत है कि "अवसर चूकी डोमनी, गावे ताल बेताल"। इस तरह की बात आज जनसंघ कर रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूँ यदि सैनिकों को वायुयान के माध्यम से तीन दिन बाद भी पीने का पानी सप्लाई किया गया, यदि यह निर्धारित समय पर कर दिया जाता तो वे हैदराबाद पहुँच जाते और कोई बात नहीं कही है।

(व्यवधान)

मैं समझता हूँ मुख्य मन्त्रीजी को भाषण में भी यह बात कहनी चाहिये थी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ६५ में राजस्थान की सरकार को भारत पाक संघर्ष में ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत जमीन खोनी पड़ी।

श्री चन्दनमल बैद : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ। सन् ७१ में भारत पाक संघर्ष हुआ उसमें १० हजार से अधिक किलोमीटर भूमि पर भारतवर्ष का कब्जा है। आप ६५ की बात को लेकर चलते हैं और सदन को गुमराह करते हैं। आप पीछे देखना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं।

(व्यवधान, अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : ७२ की बात करते क्या शर्म आती है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, जनरल मानेकशाह ने भी कहा था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री गिरधारी लाल भार्गव :....कि सरकार को सैनिकों का विश्वास नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं सैनिकों को लाकर पेश कर सकता हूँ। सरकार ने थोथी घोषणायें की हैं। किसी प्रकार की फौजी भाइयों को जमीनें नहीं दी हैं।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, आज सवेरे आपके चेम्बर के अन्दर सारे दलों के मेम्बर्स को इकट्ठा किया गया था और वहां पर यह व्यवस्था दी गई थी कि कोई माननीय सदस्य जब सदन में बोल रहे हों तो दूसरे माननीय सदस्य इन्टरप्ट नहीं करेंगे। जब वित्त मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं तो मैं नेता महोदय को कहूँगा कि वे अपने सदस्यों को न बोलने दें और बीच-बीच में इन्टरप्ट न करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो बात पूछी जाय उस बात का जवाब उसी रूप में दिया जाय नहीं तो....

श्री अध्यक्ष : जवाब उसी रूप में दे दें। लेकिन बीच-बीच में दखलन्दाजी न करें।

(हियर-हियर की ध्वनि)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने किसी को गाली नहीं दी है। वित्त मंत्रीजी का कर्त्तव्य केवल उत्तर देना ही नहीं है सबको....

श्री अध्यक्ष : जब एक माननीय सदस्य बोलते हैं तो इन्टरप्ट नहीं करना चाहिये। जब आपका वक्त आय तो आप उसका उत्तर दीजिये। जब एक आदमी बोलता है तो कम से कम उसका ख्याल तो रखना चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : यह खुशी की बात है माननीय सदस्य ने ६२ की याद दिलाई

(श्री चन्दनमल वैद)

है। हमने इस वर्ष भारत पाक संघर्ष का चुनाव में फायदा उठाया है तो ६२ में भी अगर चीन ने हम पर आक्रमण किया और भूमि पर कब्जा किया तो उसका फायदा भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने ही उठाया है और ७२ में भारत ने पाकिस्तान को पूरी शिकस्त दी है तो उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी ने ही उठाया है....

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप खामोश नहीं रह सकते हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : पुलिस विभाग की ओर कई माननीय सदस्यों ने इशारा किया है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग का खर्चा बढ़ा है। पहला तो भारत पाक संघर्ष के कारण खर्चे में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद जो आम चुनाव हुये उससे भी खर्चे में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद तीन बटालियन जो यहां पर बढ़ाई गई हैं उसके कारण भी खर्चा बढ़ा है और इस कारण एक करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। यह सारा पैसा भारत सरकार से मिलेगा लेकिन चूंकि यह नियम है कि जो भी खर्च किया जाय उसकी अनुमति पहले सदन से ली जाय इसलिये इसकी अनुमति सदन से ली जा रही है। इसके बाद पुलिस फोर्स को माडरनाईज किया जाय इसके कारण तीन बटालियनों की बढ़ोतरी हुई। इसमें खर्चा बढ़ा, भारत पाक संघर्ष हुआ उसके कारण पुलिस के खर्चे में बढ़ोतरी हुई। यह खर्चा भारत सरकार से प्राप्त हो जायेगा और हमारे यहां जमा हो जायेगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह उठाया गया जो बाड़मेर में बाजरा भेजा गया उसमें काफी नुकसान हुआ है। आपको याद होगा कि बाड़मेर में बाजरा ज्यादा पैदा हुआ है लेकिन असमय वर्षा होने के कारण वह बाजरा काला हो गया। किसान उस काले बाजरे से बड़ा परेशान था। बाजार में खरीददार उस काले बाजरे को खरीदना नहीं चाहते थे इसलिये राज्य सरकार ने किसानों को सहायता देने की दृष्टि से उस बाजरे को निश्चित दर पर खरीदा। यह हम जानते थे कि उस बाजरे को खरीदने से राज्य सरकार को नुकसान होगा लेकिन किसान का हित होगा, इसलिये उसको खरीदा गया। उसके बाद उसको बेचने के लिये सारे हिन्दुस्तान से टेण्डर आमन्त्रित किये गये बल्कि टेण्डर ही आमन्त्रित नहीं किये गये आन्ध्र प्रदेश और दूसरी सरकारों को भी लिखा गया। सारे भारत में जो टेण्डर आमन्त्रित किये गये और जो रेट आई उस पर बेचा है। मैं मानता हूं उसमें घाटा रहा है लेकिन किसान के हित को देखते हुये राज्य सरकार को ऐसा करना जरूरी था। अगर किसान के हित के लिये राज्य सरकार को घाटा भी खाना पड़े तो मैं समझता हूं इसमें कोई हानि नहीं है। जो टेन्डर आये उस हिसाब से ४० रुपये और कुछ पैसे के हिसाब से बाजरे को बेचा गया उसके बाद मैं आपको बताऊं बाजरे के भाव और भी बढ़ गये थे और बाकी का बाजरा ५५ रुपये ६० पैसे के हिसाब से बेचा गया। जो कुछ भाव प्राप्त हो सकता था वह भाव प्राप्त करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन किसान

Page No 78

(श्री चन्दनमल वैद)

को राहत देने के लिये अगर घाटा भी हुआ तो सहन करना पड़ता है इसमें सदन को चिन्ता नही करनी चाहिये। मैं समझता हूँ किसान को राहत देने के लिये राज्य सरकार को इससे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो भी आगे आना चाहिये।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : जनसंघ की बात....

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे पूंजीपतियों की चिन्ता नहीं होती है। उनकी ठेकेदारी तो आपने ले रखी है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी !

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, जो बम्फर ड्रा हुआ है लाटरी का उसमें ४३ लाख ६३ हजार की डिमान्ड रखी गई है। जो बम्फर ड्रा होता है उसमें टिकटें ज्यादा बेचते हैं और टिकटें ज्यादा छपवानी पड़ती हैं और टिकटें ज्यादा बेचने पर जो कमीशन देना पड़ता है वह दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं जो मौजूदा ड्रा चल रहा है उसमें हमारा अन्दाज है करीब ५६ लाख रुपये का शुद्ध लाभ होगा। ४३ लाख ६२ हजार हमारी हानि नहीं हैं बल्कि यह तो एक्स्ट्रा खर्चा बम्फर ड्रा के लिये राज्य सरकार को करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कल भी जब हम ७२-७३ के बजट पर विचार-विमर्श करेंगे तब माननीय सदस्यों को बहुत कुछ कहने का मौका मिलेगा। कल केवल अनुदान पास किया जायगा उसके बाद अप्रेल या मई के महीने में जब मैं पूरे बजट को लेकर उपस्थित होऊंगा उस समय माननीय सदस्यों को एक एक मांग पर विचार-विमर्श करने का पूरा मौका मिलेगा। इस समय मैं इतना ही कह कर माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा जो डिमान्ड पेश की गई है उसको स्वीकृत करें और मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं विनियोग विधेयक प्रस्तुत करूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इस वक्त कोई प्रश्न नहीं है।

मांग संख्या १

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू-राजस्व के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,७०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या २

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या ३

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ४

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर के संबध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,५१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ५

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३–अन्य कर और महसूल के संबंध में ३१, मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ६

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १४–स्टाम्प्स के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ८

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८–संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,०८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ९

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,३७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

Page No 80

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या ११

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या १२

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८८,४०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या १३

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,२७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या १५

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४३,५१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या १६

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,४६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या १७

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,१२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

Page No 81

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या १८

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३०—का-परिवार नियोजन के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या १९

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक—३१ कृषि के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या २०

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,३०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या २२

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,१५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या २३

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०५,७३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या २५

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या २६

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४२ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६१,४६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या २९

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४–दुभिक्ष सहायता के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,२८,९४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ३०

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ६५–निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, ७२–निवृत्ति वेतनों के संराशिकरण के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,८०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ३२

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,८४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ३४

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१–विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७६,६६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ३५

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७६–अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या ३८

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ९५—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,७८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ३९

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८१,७१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ४०

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९८—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत, ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,९१,८९,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ४१

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ४३

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १२०—निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,०००रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ४४

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १२४—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले

(श्री अध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३१,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

मांग संख्या ४५

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक था– राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,६७,२२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

विनियोग वधेयक।

विनियोग विधेयक

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९७२ को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९७२ को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

(विराम)

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, ७२ को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९७२ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित किया गया)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक ३० मार्च, ७२ को प्रातः १०.३० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की बैठक ४.०३ बजे म० प० दि० ३० मार्च, ७२ को प्रातः १०.३० बजे तक के लिए स्थगित हुई)

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक २९ मार्च, १९७२

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५	शीर्षक	अनु. अनु. मतदान	अनु. अनु. की मांगों पर विचार एवं मतदान
८	अन्तिम से १२	सम्बन्व	सम्बन्ध
९	अन्तिम से १३	कुछ	कुछ
११	अन्तिम से ७	श्री गरुदयालसिंह संधु	श्री गुरुदयालसिंह संधु
१३	अन्तिम से १४	जी	की
२६	१४	ते	ने
३२	१८	चाहिये	चाहिये
११२	२०	मुश्किालत	मुश्किलात
१४७	१६	कहा कहा	कहा